

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017

तारांकित प्रश्नोत्तर

महासमुंद जिले में पावर प्लांटो, राईस मिलरो, ईट भट्टो द्वारा प्रदूषण फैलाने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

1. (*क्र. 2638) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में पावर प्लांटो, राईस मिलरो, ईट भट्टों द्वारा प्रदूषण फैलाने की कितनी शिकायतें 01 जनवरी, 2014 के बाद प्राप्त हुयी ? शिकायतकर्ता शिकायत का दिनांक, संयंत्र का नाम, मालिक का नाम, शिकायत की प्रकृति की विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) क्या शिकायतों की जांच की गई ? यदि हां, तो परिणाम एवं कार्यवाही से अवगत कराएं ? (ग) इन संयंत्रों द्वारा प्रदूषण दूर करने हेतु कितनी मात्रा में वृक्षारोपण किया गया है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जी हां. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) प्रश्नांश-ख में उल्लेखित 10 उद्योगों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

बस्तर जिले में लौह अयस्क के लोडिंग अनलोडिंग स्थलों में पर्यावरण नियमों का पालन

2. (*क्र. 2532) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में 23-2-17 की स्थिति में किन-किन स्थानों में लौह अयस्क लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य किया जाता है ? क्या सभी स्थानों में पर्यावरण नियमों के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत कार्यरत मजदूरों का पर्यावरण नियमों के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 से 23-2-2017 के मध्य कब-कब किनके माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) बस्तर जिले में दिनांक 23-02-17 की स्थिति में जगदलपुर रेल्वे स्टेशन के रेल्वे साईडिंग एवं बड़े आरापुर रेल्वे स्टेशन के रेल्वे साईडिंग में लौह अयस्क के लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य किया जाता है. उक्त दोनों स्थलों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है. (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित स्थलों पर कार्यरत मजदूरों का पर्यावरण नियमों के तहत स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का प्रावधान नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

3. (*क्र. 1024) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक सिंचाई, सड़क, खनन एवं अन्य कार्य हेतु कितने कृषकों की भूमि किस-किस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई ? (ख) उक्त अवधि में किस-किस दर से भूमि का मुआवजा तय किया गया ? क्या उक्त सभी कृषकों को भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष बचे कृषकों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक सिंचाई, सड़क,

खनन एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु 205 कृषकों से अधिग्रहित की गई भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	वर्ष	परियोजना का नाम	प्रभावित कृषकों की संख्या
1.	2014-15 से 2016-17	सिंचाई (नहर निर्माण)	22
		सड़क निर्माण	183
		अन्य कार्य	निरंक

(ख) उक्त अवधि में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथा संशोधित)/प्रचलित गार्ड लाईन के प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किया गया है। सड़क निर्माण कार्य हेतु 183 कृषकों में से 126 कृषकों को एवं नहर निर्माण हेतु 22 कृषकों में से 19 कृषकों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष बचे कृषकों को मुआवजा के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रायगढ़ जिले में सूखा राहत मद के तहत स्वीकृत राशि

4. (*क्र. 2510) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में सूखा राहत मद के तहत वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2016 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये हैं ? (ग) यदि पूर्ण नहीं हुये हैं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायगढ़ जिले में सूखा राहत मद के तहत वर्ष 2014 से दिसम्बर 2016 तक स्वीकृत की गई राशि का विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाये अनुसार है। (ख) स्वीकृत राशि से पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाये अनुसार है। (ग) सूखा राहत मद अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत राशि में से 16 नग नलकूप खनन कार्य स्थल चयन में विवाद होने के कारण अपूर्ण है। शहरी क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों में से 26 कार्य निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने, 02 कार्य ठेकेदार द्वारा प्रारंभ नहीं करने तथा 11 कार्य स्थल चयन में विवाद होने के कारण अपूर्ण है।

उच्च शिक्षा हेतु ऋण का प्रावधान

5. (*क्र. 2603) **श्री अरूण चोरा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिये रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत किस वर्ष एवं किस विभाग के माध्यम से की गई ? (ख) इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों के लिये उच्च शिक्षा के लिये कुल कितना ऋण देने का प्रावधान है ? बालकों एवं बालिकाओं के लिये ऋण कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राज्य शासन द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के विद्यार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाले ब्याज दर को दृष्टिगत रखते हुए “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना” की शुरुआत वर्ष 2012-13 से तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से की गई है। (ख) इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु अलग से ऋण देने का प्रावधान नहीं है, अपितु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत विभिन्न सहयोगी बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण जिनकी मोरेटोरियम अवधि 30 जून 2012 या उसके बाद पूर्ण हो रही है उनके ब्याज के अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य के वामपंथ चरमपंथी प्रभावित जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के उपरांत लगने वाले ब्याज की संपूर्ण राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है एवं राज्य के शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के उपरांत शिक्षा ऋण पर केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज वहन करना होता है, एवं शेष ब्याज की राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

रामपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य की स्थिति

6. (*क्र. 1954) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 में कितने पुल-पुलिया तथा सड़कों के निर्माण के लिये कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? (ख) कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

विधान सभा क्षेत्र आरंग अंतर्गत रीवा-कुकरा-नारा-टेकारी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

7. (*क्र. 1229) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रीवा-कुकरा-नारा-टेकारी मार्ग पर सड़क निर्माण/चौड़ीकरण हेतु कुल कितने कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था ? कृपया ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) क्या अधिग्रहित समस्त भूमि का मुआवजा कृषकों को दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) जी नहीं. अवार्ड पारित होने के पश्चात् दो माह के अंदर मुआवजा भुगतान करने का प्रयास किया जावेगा.

खरसिया तहसील के ग्राम कुनकुनी में आदिवासियों की भूमि का क्रय-विक्रय

8. (*क्र. 2397) **श्री उमेश पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिला खरसिया तहसील अंतर्गत ग्राम कुनकुनी में आदिवासियों की जमीन के बेनामी क्रय-विक्रय के मामले में जांच दल द्वारा किन-किन बिन्दुओं पर जांच की गई ? जांच रिपोर्ट कब सौंपा गया ? यदि नहीं, तो कब तक सौंपी जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : रायगढ़ जिला, खरसिया तहसील के अंतर्गत ग्राम कुनकुनी के आदिवासियों की जमीन के बेनामी क्रय-विक्रय के मामले में जांच दल गठित किया जाकर निम्न बिन्दुओं पर जांच किया गया :—

1. सप्तर्षि इंटर प्राइजेज कंपनी द्वारा ग्राम कुनकुनी में कितनी भूमि किन-किन तिथियों में क्रय की गई ? कंपनी के नाम पर कुल कितनी भूमि धारित है ?
2. उक्त कंपनी द्वारा आदिवासियों की कुल कितनी भूमि कंपनी के किस व्यक्ति के नाम पर क्रय की गई है ?
3. कंपनी के किन-किन व्यक्तियों के नाम से भूमि क्रय की गई है, क्या वे व्यक्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ? उक्त व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त किया जावे, जिसके आधार पर उक्त भूमि का संव्यवहार किया गया है ? उक्त व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता क्या है ? क्या उक्त व्यक्ति भूमि क्रय करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम है ?
4. कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि क्या छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) की परिधि में आता है ? क्या पूर्व से उक्त भूमि को लेकर धारा 170(ख) के प्रकरण न्यायालय में संस्थित है ?
5. कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि में क्या छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के प्रावधान आकर्षित होते हैं ?
6. आदिवासियों की भूमि के संव्यवहार में उप पंजीयक कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा यदि किसी प्रकार अनियमितता हुई तो उसका उल्लेख करें ?
7. अन्य बिन्दु जो जांच के समय आवश्यक हो.

गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 04-08-2015 को जांच प्रतिवेदन सौंपी गई है.

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बायपास सड़कों की स्वीकृति

9. (*क्र. 196) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में किन-किन बासपास सड़कों की स्वीकृति कब-कब दी गई, कार्यवार बताएं ? (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित बायपास सड़क की लागत एवं निर्माण एजेंसी सहित कार्य की अद्यतन स्थिति बताएं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

भटगांव कोयला खदान से निकलने वाले मलमायुक्त पानी का बैजनाथपुर जलाशय में प्रवाह

10. (*क्र. 2320) **श्री पारसनाथ राजवाड़े :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एस.ई.सी.एल. भटगांव एरिया के अंतर्गत दुग्गा खुली कोयला खदान से मलमायुक्त पानी भैयाथान विकासखंड के बैजनाथपुर जलाशय में प्रवाहित किया जा रहा है? यदि हां, तो उसकी रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जी नहीं. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में छत्तीसगढ़ युवासूचना क्रांति योजना के तहत लैपटॉप-टैबलेट वितरण

11. (*क्र. 2307) **श्री बृहस्पत सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना अंतर्गत प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों के छात्रों हेतु दिये जाने वाले लैपटॉप टेबलेट वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में किस कंपनी से कितनी-कितनी मात्रा में क्रय किये गये एवं कितना भुगतान किया गया ? (ख) योजनांतर्गत उक्त वर्षों में कितने छात्रों को लैपटॉप-टेबलेट वितरण लक्षित किया गया था ? कितना वितरण किया गया ? वर्षवार संख्या बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) उक्त वर्षों में लैपटॉप-टेबलेट, लक्षित एवं वितरण की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	शैक्षणिक वर्ष	लैपटॉप		टेबलेट	
		लक्ष्य	वितरण हेतु महा. को उपलब्ध कराए गए	लक्ष्य	वितरण हेतु महा. को उपलब्ध कराए गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2014-15	17,867	17,867	56,000	56,000
2.	2015-16	17,367	डी.बी.टी. के माध्यम से राशि का हस्तांतरण	70,000	डी.बी.टी. के माध्यम से राशि का हस्तांतरण
3.	2016-17	17,267	16,319	70,000	आरंभ नहीं
(8 मार्च 2017 की स्थिति में)					

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत राशि

12. (*क्र. 2336) **श्री अशोक साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत कितनी-कितनी राशि वर्ष 2012-13 से जनवरी 2017 तक स्वीकृत की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत स्वीकृत राशि से कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों की जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत वर्ष 2012-13 से जनवरी 2017 तक स्वीकृत राशि का विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	विकासखण्डवार स्वीकृत राशि		
		कवर्धा	स. लोहारा	बोड़ला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2012-13	16,85,400.00	41,65,000.00	41,65,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	2013-14	44,34,050.00	25,08,950.00	30,94,222.00
3.	2014-15	56,05,000.00	42,55,000.00	42,55,000.00
4.	2015-16	3,71,50,000.00	2,17,00,000.00	10,74,00,000.00
5.	2016-17	1,49,50,000.00	2,02,50,000.00	1,47,50,000.00

(जनवरी 17 तक)

(ख) उक्त राशि से कराये गये कार्यों, स्वीकृत राशि तथा पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है।

कोण्डागांव जिला में आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत एवं व्यय राशि

13. (*क्र. 1917) **श्री संतराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में आपदा प्रबंधन के तहत कितनी-कितनी राशि वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2017 तक स्वीकृत की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) स्वीकृत राशि में कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये गये ? (ग) जिला कोण्डागांव में वर्ष 2014-15 में बाढ़ प्रबंधन पर कितनी धन राशि जिले में खर्च की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कोण्डागांव जिले में आपदा प्रबंधन के तहत वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी 2017 तक स्वीकृत राशि का विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	स्वीकृत राशि (3)
1.	कोंडागांव	965.27
2.	फरसगांव	1069.72
3.	माकड़ी	898.42
4.	केशकाल	778.28
5.	बड़ेराजपुर	457.17

(ख) स्वीकृत राशि में से कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है। (ग) जिला कोंडागांव में वर्ष 2014-15 में बाढ़ प्रबंधन के अंतर्गत विकासखण्ड कोंडागांव में रुपये 35.00 लाख तथा विकासखण्ड बड़ेराजपुर में रुपये 30.00 लाख इस प्रकार कुल 65.00 लाख रुपये व्यय की गई।

राजिम विधान सभा अंतर्गत पुल-पुलिया, सड़क, भवन निर्माण की स्वीकृति

14. (*क्र. 1716) **श्री संतोष उपाध्याय** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-2015 से फरवरी-2017 तक कुल कितने पुल-पुलिया, सड़क एवं भवन निर्माण/मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई ? विकासखण्डवार, कार्यवार लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ? कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति किन कारणों से लंबित है ? लंबित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा ? (ग) प्रश्नांकित अवधि में पूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्य एजेंसी/ठेकेदारों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दी गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में दी गई है। (ग) किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में कौशल उन्नयन योजना के तहत प्रशिक्षण एवं प्रदत्त रोजगार

15. (*क्र. 2077) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में सत्र 2016 में किस-किस जिले में कितने-कितने लोगों को किस-किस कार्य हेतु कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है ? (ख) उक्त प्रशिक्षित लोगों में किस-किस जिले में कितने लोगों को रोजगार मिला ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) छत्तीसगढ़ में सत्र 2016-17 में राज्य के समस्त 27 जिलों में कुल 93,264 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया. जिलेवार कोर्सवार प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ में है. (ख) उक्त प्रशिक्षित में से 27,116 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है. जिलेवार रोजगार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब में है.

पथलगांव महाविद्यालय में बालिका छात्रावास की स्वीकृति

16. (*क्र. 1888) **श्री रोहित कुमार साय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पथलगांव महाविद्यालय में बालिका छात्रावास की स्वीकृति कब और कितने राशि की हुई है ? क्या कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : यू.जी.सी. द्वारा बालिका छात्रावास हेतु राशि 53.37 लाख रुपये की स्वीकृति 26 फरवरी 2007 को की गई. जी नहीं. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय में अनुज्ञा प्राप्ति के दर्ज प्रकरण

17. (*क्र. 2549) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्राप्ति के लिए संचालनालय स्तर पर कितने प्रकरण दर्ज हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार वर्ष 2015-16 से प्रश्नावधि तक कितने अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये, और कितने अस्वीकृत किये गये एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) संचालनालय द्वारा विकास अनुज्ञा जारी नहीं की जाती है. अतः संचालनालय में विकास अनुज्ञा के लिए कोई प्रकरण दर्ज नहीं है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायपुर में न्यू सर्किट हाऊस की निर्माणाधीन स्लैब गिरने की जांच

18. (*क्र. 2589) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 23-02-2017 को रायपुर जिलांतर्गत न्यू सर्किट हाऊस की निर्माणाधीन एक्सटेंशन बिल्डिंग का स्लैब गिरने की घटना में कितने मजदूर या अन्य लोग घायल हुये हैं ? (ख) उक्त निर्माण कार्य किन-किन विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण में कराया जा रहा था ? उनके नाम, पदनाम सहित जानकारी दें ? (ग) क्या इस घटना की जांच कराई जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) स्लैब कांक्रिट ढलाई के दौरान सेंट्रिंग गिरने की घटना में 13 मजदूरों को चोट आई थी. (ख) कार्यपालन अभियंता-श्री एस.एन. श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी-श्री राजीव नशीने, एवं उप अभियंता-श्री प्रदीप पर्वते. (ग) जी हां.

कोरबा जिला में नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन

19. (*क्र. 1823) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 31-01-17 तक नामांतरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तहसीलवार बतावें ? (ख) उपरोक्त प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कितने प्रकरणों का नामांतरण किया जा चुका है ? कितने का अभी तक नामांतरण नहीं हो पाया है ? तहसीलवार बतावें ? (ग) नामांतरण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जिला कोरबा अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 31-01-2017 तक कुल 14325 नामांतरण के आवेदन प्राप्त हुए हैं. तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील का नाम	नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन
कोरबा	4267
करतला	2231
कटघोरा	3996
पाली	2446
पोड़ीउपरोड़ा	1385
योग	14325

(ख) जिला कोरबा अंतर्गत उपरोक्त नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 13642 प्रकरणों का नामांतरण किया जा चुका है. जिला कोरबा अंतर्गत कुल 683 आवेदन प्रकरणों का नामांतरण नहीं हो पाया है. तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील	प्राप्त आवेदन	निराकृत नामांतरण	शेष नामांतरण
कोरबा	4267	4123	144
करतला	2231	2177	54
कटघोरा	3996	3904	92
पाली	2446	2164	282
पोड़ीउपरोड़ा	1385	1274	111
योग	14325	13642	683

(ग) जिला कोरबा अंतर्गत नामांतरण हेतु वर्ष 2014-15 से 31-01-2017 तक कुल 683 प्रकरण शेष है, जो संबंधित राजस्व न्यायालय में प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है.

मुख्यमंत्री जी द्वारा जांजगीर से चांपा फोरलेन निर्माण की घोषणा पर की गई कार्यवाही

20. (*क्र. 2089) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जांजगीर से चांपा फोरलेन बनाने की घोषणा दिनांक 9 दिसंबर, 2012 को एवं दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 से कलेक्ट्रेट जिला अस्पताल होते हुए पीथमपुर मार्ग तक प्रगति पथ निर्माण डिवाइडर एवं फुटपाथ सहित निर्माण की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो दोनों घोषणाओं के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है और निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जी हां. जांजगीर से चांपा फोरलेन निर्माण बाबत प्राक्कलन लागत रु. 108.30 करोड़, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 09-02-2017 को प्रेषित. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 से पीथमपुर मार्ग जंक्शन तक मार्ग निर्माण लंबाई 2.7 कि.मी. को आगामी बजट में सम्मिलित कराया जा रहा है. कार्य पूर्णता की तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

उरगा से धरमजयगढ़ सड़क निर्माण हेतु प्रावधानित राशि

21. (*क्र. 927) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उरगा से धरमजयगढ़ मार्ग सड़क निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? (ख) उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) उरगा से धरमजयगढ़ मार्ग सड़क निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा राशि का प्रावधान नहीं किया गया है. (ख) संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

धमतरी से जगदलपुर सड़क चौड़ीकरण हेतु पीआरए कंपनी द्वारा मटेरियल डम्प, लैब मिक्सर प्लांट व अन्य कार्य हेतु लगाए गए कैम्प

22. (*क्र. 1289) **श्री मोहन मरकाम** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी से जगदलपुर सड़क चौड़ीकरण हेतु अधिकृत एजेंसी पीआरए कंपनी द्वारा मटेरियल डम्प लैब, मिक्सर प्लांट व अन्य कार्य हेतु किन-किन स्थानों पर कैम्प/प्लांट लगाया गया है ? इस हेतु कितनी भूमि अधिग्रहित की गई व इसकी अनुमति किस विभाग से ली गई व कब ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार क्या उक्त प्लांट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना था ? यदि हां, तो एजेंसी द्वारा कब आवेदन किया गया तथा स्वीकृति कब दी गई ? (ग) कंडिका “ख” के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु कब और कहां जन सुनवाई आयोजित की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) जी हां. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

जिला सुकमा में शासकीय और निजी जमीन की अदला-बदली

23. (*क्र. 111) **श्री कवासी लखमा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सुकमा में वर्ष 2011 से जनवरी 2017 तक शासकीय और निजी जमीन की अदला बदली की गयी है ? यदि हां, तो किस-किस प्रायोजन हेतु ? किन-किन व्यक्ति को ? शासकीय जमीन और निजी जमीन का रकबा, खसरा नं., स्थलवार, व्यक्ति के नाम-पता सहित जानकारी देने की कृपा करेंगे.

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : जी हां. जिला सुकमा में वर्ष 2011 से जनवरी 2017 तक शासकीय कार्यों हेतु प्रभावित कुल 07 भूमि स्वामियों के स्वामित्व की कुल खसरा 08 कुल रकबा 6.078 हेक्टेयर निजी भूमि के बदले में कुल खसरा नं. 09 कुल रकबा 6.068 शासकीय भूमि अदला-बदली में प्रदान किया गया. अदला-बदली में प्रदाय की गई भूमि एवं व्यक्तियों का नाम-पता का विस्तृत विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु अधिकृत व्ही.टी.पी. केन्द्र

24. (*क्र. 1346) **श्री अमरजीत भगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु कितने व्ही.टी.पी. केन्द्र विभाग द्वारा अधिकृत किये गये थे ? जिलेवार जानकारी बतायें ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार प्रशिक्षण हेतु व्ही.टी.पी. केन्द्र खोलने की अनुमति हेतु क्या मापदण्ड नियत किये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 2562 तथा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत कुल 1669 वीटीपी प्रशिक्षण हेतु अधिकृत हैं. जिलेवार जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” के प्रशिक्षण हेतु वी.टी.पी. केन्द्र खोलने की अनुमति हेतु मापदण्ड प्रपत्र “ब” में † संलग्न है.

रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाऊस की निर्माणाधीन एक्सटेंशन बिल्डिंग का स्लैब गिरने की जांच

25. (*क्र. 2597) **श्री भूपेश बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 23-02-2017 को रायपुर जिलांतर्गत न्यू सर्किट हाऊस की निर्माणाधीन एक्सटेंशन बिल्डिंग का स्लैब गिरने की घटना की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये ? (ख) मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा कब-कब निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया ? तिथिवार जानकारी देवें ? (ग) क्या उप अभियंता एवं एसडीओ स्लैब की ढलाई के समय नियमानुसार उपस्थित थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) स्लैब कांक्रीट ढलाई के दौरान सेंट्रिंग गिरने की घटना हुई है. जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. जांच पूर्ण होने पर ही निष्कर्ष बताया जाना संभव है. (ख) निरीक्षण नहीं किया गया. (ग) जी हां. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र के प्राप्त आवेदन

1. (क्र. 475) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सक्ती विधान सभा क्षेत्र के किन-किन तहसीलों में आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु 2016 में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? जिसमें से कितने प्रमाण पत्र बनाये जा चुके हैं ? और कितने बाकी हैं ? प्रमाण पत्र कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? तहसीलवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : सक्ती विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 02 तहसीलें आती हैं, जिसमें विषयांकित प्रयोजनों के लिए प्राप्त, निराकृत तथा लंबित आवेदन पत्रों की मदवार जानकारी निम्नानुसार है :—

जाति प्रमाण पत्र

क्रमांक	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सक्ती	4324	4094	230
2.	चांपा	1144	1118	26
योग		5468	5212	256

निवास प्रमाण पत्र

क्रमांक	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सक्ती	3222	3076	146
2.	चांपा	1099	1085	14
योग		4321	4161	160

आय प्रमाण पत्र

क्रमांक	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सक्ती	4859	4819	40
2.	चांपा	1166	1160	06
योग		6025	5979	46

टीप :— निराकरण हेतु लंबित आवेदन पत्र समय सीमा के भीतर हैं, जिनका समय सीमा में निराकरण कर दिया जावेगा.

शिवरीनारायण-बिरा-घटोली (चाम्पा) मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

2. (क्र. 476) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत शिवरीनारायण-बिरा-घटोली (चाम्पा) हेतु कितनी राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया था तथा प्राक्कलन के अनुसार कुल कितनी लम्बाई एवं चौड़ाई में उक्त मार्ग का निर्माण किया जाना है एवं उस हेतु कितनी राशि स्वीकृत किया तथा निविदा किस संस्था को प्रदान की गई ? (ख) निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित भूमि

3. (क्र. 928) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. द्वारा वर्ष 2014-15 से जनवरी 2017 तक की अवधि में कोयला खदान हेतु कितनी ग्राम पंचायतों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ख) अधिग्रहित भूमि से कितने किसान कितने गांव के लोग प्रभावित हुए हैं ? (ग) क्या किसानों को पुनर्वास राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कितना शेष है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? (घ) उक्त अवधि में अधिग्रहित भूमि के एवज में कितने को नौकरी प्रदान की गई एवं कितने शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. द्वारा वर्ष 2014-15 से जनवरी 2017 तक की अवधि में कोयला खदान हेतु 13 ग्राम पंचायतों के 1490.206 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है. (ख) अधिग्रहित भूमि से 1106 किसान 13 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं. (ग) जी नहीं. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (घ) अधिग्रहित भूमि के एवज में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरु नहीं की गयी है.

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से ऑन लाईन परीक्षा फार्म से प्राप्त राशि

4. (क्र. 1364) **श्री देवजीभाई पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र के महाविद्यालय के नियमित प्राइवेट छात्र-छात्राओं से परीक्षा आवेदन ऑन लाईन लिये गये हैं ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार कितने नियमित/ प्रायवेट स्टुडेंट ने परीक्षा फार्म भरा और इसमें कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 478 महाविद्यालयों के नियमित/प्राइवेट छात्र-छात्राओं से परीक्षा आवेदन ऑन लाईन लिये गये हैं. (ख) इन महाविद्यालयों में नियमित 1,98,352 तथा प्राइवेट 2,47,705 छात्रों से कुल रु. 62,18,01,366 प्राप्त हुए.

विकासखंड गौरैला के अमरकंटक-पकरिया-गौरैला मार्ग का निर्माण

5. (क्र. 1690) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोटा के गौरैला विकासखंड के अमरकंटक-पकरिया (व्हाया दुर्गाधारा) गौरैला मार्ग निर्माण की स्वीकृति किस वर्ष में हुई थी ? कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? अद्यतन स्थिति की जानकारी दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : मार्ग के कि.मी. 3 से 9 (कुल 7 कि.मी.) के निर्माण के लिये रु. 498.16 लाख की स्वीकृति वर्ष 2003-04 में प्राप्त हुई, इस स्वीकृति के अंतर्गत कार्य वर्ष 2004-05 में पूर्ण किया गया. इसी मार्ग के कि.मी. 1 से 7 एवं कि.मी. 9 से 16 में डामर नवीनीकरण के लिये कुल रु. 128 लाख की स्वीकृति वर्ष 2016-17 में प्रदान की है, जिसका कार्य अप्रारंभ है.

फौती उठाने की निर्धारित प्रक्रिया

6. (क्र. 2079) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व रिकार्ड में फौती उठाने की क्या प्रक्रिया है ? (ख) फौती उठाने पर किसी व्यक्ति द्वारा हक त्यागने हेतु शासन ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राजस्व रिकार्ड में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 164 सहपठित धारा 109 व 110 के प्रावधानों के तहत फौती उठाई जाती है. (ख) फौती उठाने पर किसी व्यक्ति द्वारा हक त्याग संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व 49 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकता है.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क पुल तथा भवन निर्माण की स्वीकृति

7. (क्र. 2337) **श्री अशोक साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान कितने सड़क पुल तथा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ? कितने कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

जिला कोरबा अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के पंजीकृत संस्था

8. (क्र. 2445) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिला अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के कितने पंजीकृत एवं विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र (व्ही.टी.पी.) संचालित है ? नाम पता सहित विकासखण्डवार बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : कोरबा जिले के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु कुल 104 वीटीपी पंजीकृत एवं विभाग द्वारा संचालित वीटीपी की जानकारी विकासखण्डवार, नाम पता सहित प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. कोरबा जिले के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना में कौशल प्रशिक्षण हेतु कुल 48 पंजीकृत एवं विभाग द्वारा संचालित वीटीपी की जानकारी विकासखण्डवार, नाम पता सहित प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है.

बिलासपुर जिले की अरपा विकास योजना की स्थिति

9. (क्र. 2474) **श्री भूपेश बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले की अरपा विकास योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? (ख) क्या अरपा विकास प्राधिकरण की अनापत्ति के बगैर अरपा नदी के दोनों किनारे 200 मीटर तक जमीन की खरीदी बिक्री एवं निर्माण प्रतिबंधित है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) अरपा विकास योजना वर्ष 2033 तक के लिये तैयार की गई है, जिसकी अधिसूचना छ.ग. राजपत्र दिनांक 28-03-2014 को प्रकाशित होने के पश्चात् अंगीकृत की गई, जो वर्तमान में प्रभावशील है. (ख) अरपा नदी के तट के दोनों ओर 200 मीटर तक जमीन की खरीदी-बिक्री हेतु अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अनापत्ति लिये जाने की शर्त लगाई गई है. अरपा विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पी.पी.पी. योजना क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि पर विकास/निर्माण की अनुमति/अनापत्ति दी जा रही है.

प्रदेश में राजस्व ग्राम में परिवर्तित वन ग्रामों के अधिकार अभिलेख में संशोधन

10. (क्र. 2475) **श्री भूपेश बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में राजस्व ग्राम में परिवर्तित 425 वन ग्रामों के अधिकार अभिलेख में संशोधन कर राजस्व को सौंप दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : जी नहीं. प्रदेश में 428 वन ग्राम राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं. उक्त ग्रामों में भूमि की स्थिति “वन भूमि” की है.

जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट हेतु भूमि अधिग्रहण

11. (क्र. 2590) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर नगरनार स्टील प्लांट हेतु कब-कब, कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ? भूमि अधिग्रहण से कितने किसान प्रभावित हुए हैं ? (ख) प्रभावित कितने किसानों को पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा एवं नौकरी प्रदान की गई है ? तथा कितने प्रभावित किसान शेष हैं ? (ग) क्या जिन किसानों को नौकरी नहीं दी गई है, उन्हें भत्ता प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां तो कितना भत्ता दिया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) तहसील जगदलपुर अंतर्गत ग्राम नगरनार में एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट हेतु भूमि अधिग्रहण की गई है एवं प्रभावित किसानों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	वर्ष (2)	अधिग्रहित भूमि (3)	प्रभावित किसानों की संख्या (4)
1.	2001	288.81 हे.	303
2.	2010	318.74 हे.	1052

(ख) 2001 के प्रभावितों में से 293 को नौकरी दी गई है तथा 2010 के प्रभावितों में से 1037 खातेदारों को पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा प्रदान किया गया है. 25 खातेदारों के मध्य स्वत्व को लेकर विवाद होने से नामांकन न भरने से तथा नाबालिग होने के कारण नौकरी/मुआवजा दिया जाना शेष है. (ग) जी हां.

1.	अशिक्षित/आठवीं से कम शिक्षित व्यक्तियों को	रुपये 10500/- प्रतिमाह
2.	आठवीं पास व्यक्तियों को	रुपये 11000/- प्रतिमाह
3.	स्नातक पास व्यक्तियों को	रुपये 12000/- प्रतिमाह

उद्योग स्थापना हेतु अधिग्रहित भूमि

12. (क्र. 2634) **श्री भूपेश बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 2016-17 में उद्योग स्थापना हेतु कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है ? उद्योग का नाम सहित जिलेवार जानकारी दें. (ख) जिन उद्योगों ने भूमि अधिग्रहण के उपरांत उद्योग की स्थापना नहीं की है, क्या ऐसी स्थिति में अधिग्रहित भूमि भूस्वामियों को वापस दिये जाने का प्रावधान है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वर्ष 2012-13 से 2016-17 में उद्योग स्थापना हेतु जिला दुर्ग, कोरबा, सूरजपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कांकेर एवं रायपुर जिले में भूमि उद्योग हेतु अधिग्रहित की गई है, एवं शेष 20 जिले में उद्योग स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है. जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	जिला (2)	वर्ष (3)	उद्योग का नाम (4)	अधिग्रहित भूमि की जानकारी हे. (5)
1.	दुर्ग	2013	छ.ग. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.	18.23
2.	कोरबा	2012-13 से 2014-15	एन.टी.पी.सी. जमनीपाली (राखड़ बांध हेतु) स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल रिसोर्स कनबेरी मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड बांधाखार	60.522 11.884 7.855
3.	सूरजपुर	2012 से 2015	इफको छ.ग. पावर लि. (छ.ग.रा.वि. मण्डल एवं इफको का संयुक्त उपक्रम)	1.370

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	जांजगीर-चांपा	2012-13 से 2015-16	2×500 मे.वा. मड़वा-तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु औद्योगिक प्रयोजन हेतु. मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लि. सिंघीतराई मेसर्स डी.बी. पावर लि. बाड़ादरहा मेसर्स आर.के.एम. पावर जेन लि. उच्चपिण्डा	36.644 5.156 38.856 4.267
5.	कांकेर	2015-16	छ.ग. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर	53.300
6.	रायगढ़	2012 से 2015	मे. एन.टी.पी.सी. लिमिटेड मे. सारडा एनर्जी लिमिटेड मे. एन.टी.पी.सी.लि. मे. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड मे. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. मे. डी.बी. पावर लिमिटेड मे. वेदन्ता वासरी एण्ड लाजस्टिक साल्यूशन प्रा.लिमिटेड मे. मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड मे. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड मे. एन.टी.पी.सी. लिमिटेड मे. कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड मे. वीसा पावर लिमिटेड	251.724 67.920 339.412 105.332 7.382 26.392 29.749 27.783 2.448 127.974 34.210 6.332
7.	रायपुर	2013-2015	मेसर्स जीएमआर छ.ग. एनर्जी लिमिटेड मेसर्स गोदावरी एनर्जी एण्ड इस्पात लि. मेसर्स गोदावरी एनर्जी एण्ड इस्पात लि.	50.499 3.484 0.344

(ख) जी हां. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-101 में प्रावधान है कि जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा यथास्थिति मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए वापस किया जाएगा. शासन द्वारा अभी इस संबंध में नियम नहीं बनाये गये हैं.

महासमुंद विकासखण्ड के ग्रामों में हटाए गए अतिक्रमण

13. (क्र. 2639) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2017 तक महासमुंद विकासखण्ड के कितने गांवों से अतिक्रमण हटाए गए ? नाम, हटाए गए अतिक्रमण का रकबा एवं आवासीय या कृषि भूमि की जानकारी देवें ? (ख) क्या उपरोक्त अतिक्रमण हटाने के बाद संपूर्ण ग्राम के समस्त अतिक्रमण मुक्त हो गया है ? (ग) क्या अतिक्रमण भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी कोई व्यवस्था की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2017 तक महासमुन्द विकासखण्ड अंतर्गत 21 ग्रामों में अतिक्रमण हटाये गये. नाम, हटाए गए अतिक्रमण का रकबा एवं आवासीय या कृषि भूमि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. उपरोक्त अतिक्रमण हटाने के बाद सभी ग्राम आंशिक रूप से अतिक्रमण मुक्त हुए हैं. (ग) अतिक्रमित भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो इस संबंध में ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारियों को निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है.

बस्तर विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि का चयन

14. (क्र. 2647) **श्री दीपक बैज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर विश्वविद्यालय का निर्माण हेतु कहां पर और कितनी भूमि का चयन किया गया है ? (ख) क्या बस्तर विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है ? यदि हां तो कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? और यदि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा ? (ग) उक्त विश्वविद्यालय की लागत राशि क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) 1. जगदलपुर धरमपुर नं.-2 में 15 एकड़ भूमि आवंटित है. 2. ग्राम कालीपुर, घाटपदमूर एवं धरमपुरा एजुकेशन हब के अंतर्गत 122.24 एकड़ भूमि चिन्हित है. (ख) जी नहीं, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) बस्तर विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है.

नगरनार स्टील प्लांट हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

15. (क्र. 2648) **श्री दीपक बैज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार स्टील प्लांट हेतु फरवरी, 2017 तक कितने व कौन-कौन से गांवों की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है ? उक्त अधिग्रहित भूमि में कितने किसानों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है व कितनों को मुआवजा देना शेष है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कितने प्रभावित किसानों को स्टाईफण्ड दिया गया है ? व कितने प्रभावितों को उक्त स्टील प्लांट में नौकरी दी गई है ? कितनों को नौकरी दिया जाना शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत ग्राम नगरनार में एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट हेतु फरवरी, 2017 तक अधिग्रहित भूमि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. उक्त अधिग्रहित भूमि में 1340 किसानों को 69,60,62,768/- (अक्षरी-उनहत्तर करोड़ साठ लाख बँसठ हजार सात सौ अड़सठ रुपये) मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, व 15 किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है. (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 624 प्रभावित किसानों को स्टाईफण्ड दिया गया है. 293 प्रभावितों को उक्त स्टील प्लांट में नौकरी दी गई है. 348 प्रभावितों को नौकरी दिया जाना शेष है.

जिला रायपुर एवं महासमुंद में भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में मुआवजा भुगतान

16. (क्र. 2670) **श्री देवजीभाई पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर, महासमुंद क्षेत्र में जनवरी 2015 से फरवरी, 2017 तक भूमि अधिग्रहण के कितने प्रकरणों में मुआवजा भुगतान किया गया ? राशि सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश “क” के प्रकरणों में खसरा नं./प्लाट नं. मिसिंग के प्रकरणों में मुआवजा भुगतान की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए समय सीमा क्या निर्धारित है ? (ग) प्रश्नांश “क” के प्रकरणों में कितना-कितना टी.डी.एस. कटौती की गई ? राशि सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जिला रायपुर में जनवरी 2015 से फरवरी, 2017 तक भूमि अधिग्रहण के 36 प्रकरणों में मुआवजा भुगतान किये गये हैं, एवं महासमुंद जिले में 37 प्रकरण नये भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत भुगतान की गई है व 58 प्रकरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत मुआवजा भुगतान किया गया है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शाये अनुसार है. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में कोई मिसिंग खसरा नहीं पाया गया है. मिसिंग प्रकरणों के कोई भुगतान की पृथक से प्रक्रिया नहीं है. राजस्व रिकार्ड अनुसार भुगतान किया जाता है. भुगतान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है. (ग) प्रकरणों में टी.डी.एस. कटौती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शाये अनुसार है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र की पुल-पुलिया, भवन तथा सड़कों के निर्माण की स्वीकृति

1. (क्र. 212) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2012-13 से 15 फरवरी, 2017 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने पुल-पुलिया, भवन एवं सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) इनमें से कितने कार्य निरस्त किए गए ? (ग) कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं ? अद्यतन स्थिति बताएं.

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

महासमुंद के महाविद्यालयों में फीस एवं जनभागीदारी शुल्क के रूप में प्राप्त राशि

2. (क्र. 461) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माता कर्मा एवं महाप्रभुवल्लभाचार्य महाविद्यालय महासमुंद में वर्ष 2015-2016 व 2016-2017 के दौरान फीस एवं जनभागीदारी शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं इसे किस-किस कार्य हेतु खर्च किया गया ? कितनी राशि बची ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद एवं शासकीय महाप्रभुवल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान फीस एवं जनभागीदारी शुल्क के रूप में प्राप्त राशि एवं बची राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर अंकित है. उक्त राशि का व्यय सायकल स्टैण्ड, छात्रसंघ निर्वाचन, प्रायोगिक सामग्री, परिचय पत्र, स्नेह सम्मेलन, वाचनालय एवं महाविद्यालय पत्रिका, खेलकूद गतिविधियों, सोसल गेदरिंग, परिचय पत्र, शिक्षकों/कर्मचारियों के मानदेय, युवा उत्सव, विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये व्याख्यान हेतु मानदेय, युथ कार्निवाल, पुस्तकें, फर्नीचर एवं अन्य महाविद्यालयीन विकास के कार्यों आदि पर खर्च किया गया.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में भवनों के निर्माण की स्थिति

3. (क्र. 477) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से दिसम्बर 2016 तक लोक निर्माण विभाग 50 लाख से अधिक लागत के कुल कितने शासकीय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किया गया ? कार्यवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने अपूर्ण हैं ? कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

रायगढ़ जिले में बाढ़ आपदा के तहत स्वीकृत राशि

4. (क्र. 616) **श्री रोशनलाल अग्रवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन मद से कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गई ? (ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय आपदा मद से कौन-कौन से कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायगढ़ जिले को वर्ष 2015-16 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 325.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है. (ख) उक्त राशि में से पेयजल व्यवस्था हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए 160.50 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 150.65 लाख इस प्रकार कुल 311.15 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 16 नलकूप खनन कार्य स्थल चयन में विवाद होने के कारण अपूर्ण है. शहरी क्षेत्रों में 26 कार्य निविदा प्रक्रिया में विलंब होने, 2 कार्य ठेकेदार द्वारा प्रारंभ नहीं करने तथा 11 कार्य स्थल चयन में विवाद होने के कारण अपूर्ण है.

रायगढ़ जिले में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत संचालित प्रशिक्षण केन्द्र

5. (क्र. 617) **श्री रोशनलाल अग्रवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2013 से 31-1-2017 तक कौशल विकास योजना के तहत कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) रायगढ़ जिले में उक्त कार्यक्रम के तहत कितने शासकीय, अशासकीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, किस केन्द्र में किस-किस ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? (ग) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में प्रशिक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2013 से 31-01-2017 तक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 13162 प्रशिक्षार्थियों को तथा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत कुल 4817 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया. विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 113 शासकीय एवं 29 अशासकीय संस्थायें संचालित हैं. केन्द्रवार ट्रेडवार दिये जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी प्रपत्र "ब" में † संलग्न है. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु 167 शासकीय एवं 18 अशासकीय संस्थायें पंजीकृत हैं तथा वर्तमान में किसी केन्द्र में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है. (ग) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी प्रपत्र "स" में † संलग्न है. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत संबंधित संस्थाओं को उनके द्वारा संचालित किये गये प्रशिक्षण के विरुद्ध क्लेम करने पर राज्य प्राधिकरण द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है. वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में संस्थाओं को भुगतान की गई राशि का विवरण प्रपत्र "स" में † संलग्न है.

मरईगुड़ा से गोलापल्ली सड़क निर्माण की लागत

6. (क्र. 626) **श्री कवासी लखमा** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरईगुड़ा से गोलापल्ली 8 कि.मी. सड़क निर्माण की लागत कितनी है ? कितने कि.मी. सड़क निर्माण हो चुका है. ? (ख) क्या उक्त सड़क में पुल-पुलिया का निर्माण भी कराया जा रहा है ? यदि हां तो इनका कार्य किस फर्म को दिया गया ? स्थलवार अलग-अलग जानकारी दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

जिला सुकमा में धर्मपेंटा से किस्टाराम सड़क का निर्माण

7. (क्र. 627) **श्री कवासी लखमा** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सुकमा में धर्मपेंटा से किस्टाराम 20 कि.मी. सड़क निर्माण की लागत कितनी है ? उक्त सड़क में कितने पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है ? स्थलवार-लागत सहित अलग-अलग जानकारी दें ? पूर्ण अपूर्ण स्थलवार ? (ख) उक्त सड़क निर्माण की निविदा किस फर्म (ठेकेदार) को दिया गया ? उक्त सड़क निर्माण में ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

सरगुजा संभाग में महाविद्यालयों में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

8. (क्र. 865) **श्री अमरजीत भगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग में वर्ष 2016 में कितने महाविद्यालय के प्राचार्यों/प्रभारी प्राचार्यों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) उक्त प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) सरगुजा संभाग में वर्ष 2016 में 03 महाविद्यालय के प्राचार्यों/प्रभारी प्राचार्यों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ख) उक्त दो शिकायतों की जांच अपर संचालक के द्वारा की जा रही है. तीसरी शिकायत की जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

जिला रायगढ़ में कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण

9. (क्र. 951) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में वर्ष 2015-16 से जनवरी 2017 तक अवधि में कितनी-कितनी राशि से कौशल उन्नयन संबंधी कार्यक्रम कहां-कहां किस-किस संस्था द्वारा आयोजित किये गये ? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने हितग्राहियों को कौन-कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है तथा कितने हितग्राहियों को किट प्रदाय किया गया है ? (ग) प्रशिक्षण उपरांत कितने हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जिला रायगढ़ में वर्ष 2015-16 से जनवरी 2017 तक अवधि में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत प्रशिक्षण का संचालन किया गया. उक्त योजनाओं के अंतर्गत राशि तथा संस्थावार आयोजित किये गये प्रशिक्षण की वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट अ" में है. (ख) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी 2017 तक 8221 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 653 हितग्राहियों को किट प्रदाय किया गया है. ट्रेडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट ब" में है. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत उक्त अवधि में 638 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा हितग्राहियों को कीट प्रदान करने का प्रावधान नहीं है. ट्रेडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट स" में है. (ग) प्रशिक्षण उपरांत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2645 हितग्राहियों को तथा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत 223 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है.

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोयला खदान क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन की खरीदी-बिक्री

10. (क्र. 952) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कोयला खदान क्षेत्र में कोयला खनन हेतु अवैध रूप से आदिवासियों की जमीन, कोटवारी जमीन एवं आवंटन की जमीनों के खरीदी-बिक्री के कितने-कितने प्रकरण सामने आये हैं ? (ख) क्या ग्राम-बोरों के आदिवासियों के निजी जमीन को बिना सहमति के फर्जी रजिस्ट्री करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) प्रश्नांश "क" के तहत प्रकरण में कितने लोगों की संलिप्तता पाई गई है ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले 02 वर्षों में कोयला खनन हेतु अवैध रूप से आदिवासियों की जमीन, कोटवारी जमीन के खरीद बिक्री के प्रकरण नहीं पाये गये हैं. ग्राम उदउदा में आवंटन के जमीन की खरीद बिक्री संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई है. (ख) ग्राम बोरो के आदिवासियों के निजी जमीन को बिना सहमति के फर्जी रजिस्ट्री करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ग) शिकायत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ के राजस्व मामला क्रमांक 1303/बी-121/2015-16 पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है. जांच कार्यवाही पूर्ण होते ही दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से नुकसान के प्राप्त प्रकरण

11. (क्र. 1027) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्राकृतिक आपदा के प्राप्त प्रकरणों में से कितने में सरकारी सहायता राशि दी जा चुकी है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	वर्ष 2015-16 (3)	वर्ष 2016-17 (4)
1.	बलौदाबाजार	87	3175
2.	सिमगा	49	45
3.	तिल्दा	55	44

(ख) प्राकृतिक आपदा के प्राप्त प्रकरणों में से निम्नलिखित प्रकरणों में सहायता दी जा चुकी है :-

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	वर्ष 2015-16 (3)	वर्ष 2016-17 (4)
1.	बलौदाबाजार	87	37
2.	सिमगा	49	32
3.	तिल्दा	55	44

आरंग नगर पालिका अंतर्गत तालाब डबरी में अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

12. (क्र. 1246) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत शासकीय अभिलेखानुसार कुल कितने तालाब/डबरी हैं ? कृपया खसरावार तथा रकबावार जानकारी दें ? क्या सभी तालाब/डबरी वर्तमान में प्रयोग के लायक हैं ? (ख) क्या आरंग नगर अंतर्गत किसी तालाब/डबरी का पाटकर कोई निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से तालाब/डबरी में क्या-क्या निर्माण कार्य किया गया है ? (ग) क्या जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 के बीच उपरोक्त स्थान पर तालाब/डबरी में या पार पर अतिक्रमण की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हुई है तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायपुर जिले के आरंग नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत शासकीय अभिलेखानुसार कुल 39 तालाब/डबरी हैं. खसरा तथा रकबावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. वर्तमान में भंडारी तालाब, कैठा तालाब एवं नारायणबंद तालाब को छोड़कर सभी तालाब/डबरी प्रयोग के लायक है. (ख) जी हां, आरंग नगर क्षेत्रांतर्गत तालाब/डबरी को पाटकर नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य किया गया है.

- (1) नारायण बंध तालाब के 4.786 हे. भाग को पाटकर राजीव गांधी उद्यान का निर्माण किया गया है.
- (2) कैठा तालाब के 1.61 हे. भाग को पाटकर टारुन हॉल का निर्माण किया गया है.
- (3) भंडारी तालाब के 0.687 हे. भाग को पाटकर सब्जी मण्डी का निर्माण किया गया है.

(ग) जी हां, जनवरी 2014 से जनवरी 2017 के बीच नगर पालिका, आरंग में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है. नगर पालिका, आरंग द्वारा महामाया तालाब पार वार्ड क्रमांक 13 में 15 अतिक्रमण धारियों को नोटिस जारी किया गया है. कार्यवाही लंबित है. अतिक्रमण धारियों की सूची † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत डी.बी.पावर लिमिटेड द्वारा ग्रीन बेल्ट की स्थापना

13. (क्र. 1360) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर में डी.बी. पावर लिमि. बाडादरहा, आर.के.एम. पावर लिमि. उच्चपिंडा, एथेना पावर लिमि. सिंधितराई द्वारा किन-किन स्थानों पर ग्रीन बेल्ट स्थापित किया गया है ? (ख) उक्त कंपनियों द्वारा स्थापित ग्रीन बेल्ट में कितने पौधे कितनी-कितनी मात्रा में रोपण किये गये हैं ? (ग) शासन द्वारा उक्त कंपनियों को ग्रीन बेल्ट स्थापना किये जाने का क्या लक्ष्य दिया गया था ? क्या कंपनियों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति की गई ? यदि नहीं तो कंपनियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-3 अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-4 अनुसार है. (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-5, 6 एवं 7 अनुसार है.

अम्बिकापुर में भूखण्ड क्रमांक 3467 तथा 3385/1 के भूमि मद में परिवर्तन संबंधी

14. (क्र. 1788) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है, कि अम्बिकापुर के भू-खण्ड क्रमांक 3467 रकबा 52.06 एकड़ तालाब एवं भू-खण्ड क्रमांक 3385/1 रकबा 2.2 एकड़ तालाब पार मद सन् 1995 तक राजस्व अभिलेखों में तालाब मद में दर्ज था ? (ख) यदि हां तो वर्तमान में उक्त भू-खण्ड का रकबा कितना-कितना है तथा किन-किन राजस्व अधिकारियों के किस-किस आदेश के तहत इस रकबे के मूल स्वरूप को परिवर्तन कर आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए कर दिया गया ?

† परिशिष्ट “बाईस”

†† परिशिष्ट “तेईस”

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. अम्बिकापुर के भू-खण्ड क्रमांक 3467/1 रकबा 52.06 एकड़ तालाब एवं भू-खण्ड क्रमांक 3385/1 रकबा 2.12 एकड़ तालाब पार मद में सन् 1995 तक श्री मदनेश्वर शरण सिंह देव आ. श्री अम्बिकेश्वर शरण सिंह देव के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज था. (ख) वर्तमान में उक्त भू-खण्ड का रकबा 21.00 एकड़ तालाब, 32.88^{3/4} एकड़ आवासीय, 0.29^{1/4} एकड़ व्यवसायिक है, कलेक्टर सरगुजा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 2/अ-4/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 05-11-1996 के अनुसार उक्त भूमि का आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए निर्धारण किया गया है.

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में प्राध्यापकों के स्वीकृत/कार्यरत पद

15. (क्र. 1807) **श्री शंकर धुवा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में (सभी शंकाओं में) सहायक प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक, प्राध्यापक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पदों पर नियमित तथा कितने पदों पर संविदा शिक्षक कार्यरत हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में (सभी संकायों में) सहायक प्राध्यापक के 53, सह-प्राध्यापक के 22 एवं प्राध्यापक के 13 पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पदों के विरुद्ध 25 सहायक प्राध्यापक, 03 सह-प्राध्यापक एवं 03 प्राध्यापक पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं तथा 03 संविदा व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं जिसकी संकायवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गुणवत्ता की प्राप्त शिकायत की जांच

16. (क्र. 1843) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है ? (ख) क्या उक्त की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या गुणवत्ता की जांच की गई है ? जांच में क्या पाया गया ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया है. (ख) जी नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

17. (क्र. 1852) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कितने कृषकों की कुल कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? क्या भूमि अधिग्रहण के पश्चात् सभी कृषकों का खाता दुरुस्त किया जा चुका है ? (ख) क्या सभी कृषकों को उनकी भूमि के मुआवजों को भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं तो कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान लंबित है ? लंबित मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कुल 14 ग्रामों की 570 कृषकों की कुल 85.425 हे. जमीन का अधिग्रहण किया गया है. भूमि अधिग्रहण के पश्चात् सभी कृषकों का खाता दुरुस्त किया जा चुका है. (ख) जी नहीं. 439 कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है. तथा 131 कृषकों की मुआवजा राशि दिया जाना शेष है. लंबित मुआवजा राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. लंबित मुआवजा राशि का भुगतान के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में सीमांकन नामांतरण डायवर्सन के लंबित आवेदनों का निराकरण

18. (क्र. 1853) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, जाति, निवास के कितने आवेदन 31 जनवरी 2017 की स्थिति में लंबित हैं ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, जाति, निवास के 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में लंबित आवेदन की जानकारी तहसीलवार निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	सीमांकन (3)	नामांतरण (4)	डायवर्सन (5)	त्रुटि सुधार (6)	जाति (7)	निवास (8)
1.	सक्ती	31	04	03	03	230	146
2.	चाम्पा	05	20	21	08	26	14
योग		36	24	24	11	256	160

(ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण एक माह में पूर्ण कर लिया जाएगा.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कृषकों के तैयार आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरण

19. (क्र. 1927) **श्री संतराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र केशकाल के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने कृषकों का आर.बी.सी. 6-4 का प्रकरण अत्याधिक वर्षा होने से हुए क्षति रेत गाद प्रकरण, मकान क्षति एवं अन्य क्षति के संबंधित प्रकरण तैयार किये गये तथा कितने प्रभावित मुआवजा प्राप्त करने से वंचित है ? तहसीलवार कृषकों को प्रदाय किये गये मुआवजा का विवरण प्रदान करें.

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : विधान सभा क्षेत्र केशकाल के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में सभी प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है. तहसीलवार विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में नामांतरण/सीमांकन के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

20. (क्र. 2071) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिसम्बर, 2016 तक भूमि स्वामित्व के नामांतरण/सीमांकन के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? तहसीलवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से दिसम्बर 2016 तक भूमि स्वामित्व के नामांतरण/सीमांकन के प्राप्त आवेदन पत्रों की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	नामांतरण (3)	सीमांकन (4)
1.	जैजैपुर	5599	272
2.	चांपा	82	83
3.	मालखरौदा	21	25
योग		5702	380

(ख) कंडिका “क” के प्राप्त आवेदनों में समय-सीमा में निराकरण की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	नामांतरण (3)	सीमांकन (4)
1.	जैजैपुर	5494	180
2.	चांपा	64	79
3.	मालखरौदा	21	25
योग		5579	284

नई राजधानी रायपुर में निजी अस्पतालों एवं मेडिकल संस्थाओं को खोलने हेतु भूमि आवंटन

21. (क्र. 2263) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किन-किन निजी अस्पतालों एवं मेडिकल संस्थाओं को वर्ष 2010 के उपरांत नई राजधानी रायपुर में अस्पताल खोलने हेतु कब-कब, कितनी-कितनी भूमि आवंटन हेतु कितने आवेदन राज्य शासन को प्राप्त हुए ? कितने प्रक्रियारत हैं ? कितने को भूमि आवंटित की गई है ? (ख) भूमि आवंटन की शर्तों के साथ निजी अस्पताल व मेडिकल संस्थान के नाम सहित जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” अनुसार.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों, पुल पुलिया के संधारण एवं पुर्ननिर्माण की स्वीकृति

22. (क्र. 2338) **श्री अशोक साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2017 की स्थिति में कौन-कौन सी सड़कें, पुल पुलिया जर्जर हालत में हैं ? (ख) प्रश्नांश क की किन-किन सड़कों व पुल पुलिया का संधारण तथा पुर्ननिर्माण के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) कोई सड़क एवं पुल-पुलिया जर्जर हालत में नहीं है. (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में स्वीकृत कार्यों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

कबीरधाम जिले में महाविद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पद

23. (क्र. 2339) **श्री अशोक साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले के महाविद्यालयों हेतु प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, पीजी प्राचार्य, यूजी प्राचार्य, स्पोर्ट्स अधिकारी, ग्रंथपाल तथा कालेज रजिस्ट्रार के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं ? (ख) प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विगत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रचलित भर्ती नियम, 1990 में यू. जी. सी. नियमन, 2010 के अनुसार संशोधन प्रस्तावित है. संशोधन के उपरांत रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी.

रायगढ़ एवं खरसिया विधान सभा क्षेत्र से निर्माण कार्यों के प्रेषित प्रस्तावों की स्वीकृति

24. (क्र. 2405) **श्री उमेश पटेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले पांच वर्षों में रायगढ़ जिला के रायगढ़ व खरसिया विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के सेतु प्रभाग द्वारा कुल कितने-कितने पुल, आर. ओ. बी. एवं अण्डर ब्रिज का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है ? (ख) प्रश्नांक “क” के तहत पांच वर्षों में प्रेषित प्रस्ताव में कितने कार्य स्वीकृत हुए ? एवं स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

रायगढ़ जिला में कोटवारी जमीन की खरीद/बिक्री

25. (क्र. 2406) **श्री उमेश पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक रायगढ़ जिले में कोटवारी जमीन खरीद बिक्री के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए ? थानावार दर्ज प्रकरणों की जानकारी दें ? (ख) क्या रायगढ़ जिले में कोटवारी जमीन खरीद बिक्री घोटाला के मामले में राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण की जांच कर दोषियों पर अपराध दर्ज करने के आदेश जारी किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक रायगढ़ जिले में कोटवारी जमीन खरीद बिक्री के प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं. (ख) वर्ष 2014-15 के पूर्व के प्रकरणों में रायगढ़ जिले में कोटवारी जमीन खरीद बिक्री के 15 मामलों में मान. राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है.

प्रदेश में संचालित तकनीकी महाविद्यालय

26. (क्र. 2534) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 23-2-17 की स्थिति में कितने आईटीआई, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : प्रदेश में 23-02-2017 की स्थिति में कुल 172 शासकीय आई. टी. आई. एवं 101 निजी आई. टी. आई. तथा 51 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है, जिसमें 31 शासकीय पॉलिटेक्निक तथा 20 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शामिल है.

जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित केशकाल घाट का चौड़ीकरण

27. (क्र. 2535) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित केशकाल घाट के चौड़ीकरण एवं वैकल्पिक मार्ग निर्माण की पृथक-पृथक योजना प्रस्तावित है ? (ख) यदि हां तो दिनांक 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में उक्त मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्र भिलाई-दुर्ग द्वारा उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

28. (क्र. 2554) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 से 24-2-17 तक किन-किन उल्लंघनकारी उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उल्लंघनकारी कितने उद्योग वर्तमान में चालू एवं कितने बंद है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग द्वारा वर्ष 2014-15 में उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है, वर्ष 2015-16 में उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है एवं 01 अप्रैल 2016 से 24 फरवरी 2017 तक उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है. (ख) प्रश्नांश-क में उल्लेखित उद्योगों में से वर्तमान में 65 संचालित है तथा 01 बंद है.

प्रदेश अंतर्गत अधिक भार लेकर चलने वाली वाहनों की जांच

29. (क्र. 2558) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा किस-किस श्रेणी की सड़कों के लिए कितने चक्के वाली वाहन के लिए कितनी-कितनी भार क्षमता निर्धारित की गई है तथा ट्रकों की बड़ी साइज (सामग्री भरने की जगह) कितनी-कितनी निर्धारित है ? ओव्हर लोड चलने वाली वाहनों एवं निर्धारित साइज से अधिक साइज की वाहनों की जांच करने की विभाग द्वारा कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : 1. वाहनों की भार क्षमता का निर्धारण सड़क की श्रेणी के आधार पर नहीं किया जाता है, अपितु केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 58 के अंतर्गत भार क्षमता का निर्धारण किया जाता है. इस संबंध में समस्त मालवाहनों, मल्टी एक्सल मालवाहनों के लिए अधिकतम भार क्षमता का निर्धारण किया गया है और इसी आधार पर वाहनों के पंजीयन के समय पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा निर्माता द्वारा निर्मित वाहनों का अधिकतम भार क्षमता दिया जाता है. पृथक-पृथक मालवाहनों का पृथक-पृथक प्रकार के भार क्षमता दिया जाता है, उसका विवरण प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. 2. केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 93 के अंतर्गत वाहनों की अधिकतम चौड़ाई, ऊंचाई तथा लंबाई निर्धारित की गई है, जिसका विवरण प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. 3 ओव्हरलोड चलने वाले वाहनों एवं निर्धारित साइज से अधिक साइज की वाहनों की जांच करने की विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का विवरण प्रपत्र "स" पर † संलग्न है.

नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र द्वारा होटल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान को प्रदत्त भूमि

30. (क्र. 2559) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या “नया रायपुर विकास प्राधिकरण” क्षेत्र में होटल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान को कितनी भूमि किस खसरा नंबर की प्रदान की गयी है ? यदि हाँ तो किस दर पर तथा किस नियमों एवं शर्तों के तहत ? उक्त प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधक/संचालक/स्वामित्व कौन-कौन है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : “नया रायपुर विकास प्राधिकरण” क्षेत्र में होटल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के लिये पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को ग्राम-उपरवारा, तहसील-अभनपुर, जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2878, क्षेत्रफल 4.23 हेक्टेयर (42300 वर्ग मीटर), रुपये 415.00 प्रति वर्गमीटर की दर पर प्रदान की गयी है. नियम एवं शर्तें परिशिष्ट में † संलग्न है. संस्थान के प्रबंधक/संचालक/स्वामित्व “पर्यटन विभाग” है.

कांकेर जिला में स्थित गढ़िया पहाड़ में सी. सी. रोड निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

31. (क्र. 2593) **श्री टी. एम. सिंहदेव** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले में स्थित गढ़िया पहाड़ में सी. सी. रोड निर्माण हेतु कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) उक्त सड़क निर्माण को पूर्ण करने की समय सीमा क्या है ? क्या निविदा की शर्तों के अनुरूप समय सीमा पूर्ण हो चुकी है ? (ग) क्या सड़क निर्माण में विलंब के कारण लागत राशि में वृद्धि की गई है ? यदि हाँ तो कितना ? (घ) उक्त सड़क निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) से (घ) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

प्रदेश में सूखा प्रभावित कृषकों को राशि वितरण में अनियमितता की शिकायतों पर कार्यवाही

32. (क्र. 2594) **श्री टी. एम. सिंहदेव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2016 में सूखा प्रभावित कृषकों को राशि वितरण में पटवारियों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा राशि वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो दोषियों के नाम, पदनाम एवं उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी जिलेवार देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” कुल कितनी शासकीय धनराशि के गबन के मामले प्रकाश में आये ? जिलेवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हाँ. दोषियों के नाम, पदनाम एवं उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी जिलेवार ‡ संलग्न परिशिष्ट के कालम क्रमांक 1 से 4 में दर्शाये अनुसार है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट के कालम क्रमांक 5 में दर्शाये अनुसार है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचित/असिंचित भूमि का रकबा

33. (क्र. 2614) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि योग्य कुल कितने हेक्टेयर भूमि है ? उसमें से सिंचित क्षेत्रफल एवं असिंचित क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर है ? तहसीलवार जानकारी देवें. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार सिंचित कुल कृषि रकबा में से कितने-कितने हेक्टेयर भूमि किस स्रोत के माध्यम से सिंचित की जाती है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि योग्य कुल 82884 हेक्टेयर भूमि है. उसमें से सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रफल की जानकारी तहसीलवार निम्नानुसार हैं :-

तहसील	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	असिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
बेमेतरा	8324	11472
बेरला	25715	37373
योग (हेक्टेयर)	34039	48845

† परिशिष्ट “चौतीस”

†† परिशिष्ट “पैंतीस”

‡ परिशिष्ट “छत्तीस”

(ख) प्रश्नांश “क” अनुसार सिंचित कुल कृषि रकबा 34039 हेक्टेयर में से सिंचित स्रोत की जानकारी निम्नानुसार है :-

सिंचित स्रोत (1)	सिंचित भूमि (हेक्टेयर) (2)
शासकीय नहर	4358
शासकीय तालाब	1585
नाला से	513
कुआं से	60
नलकूप से	27523
योग	34039

बेमेतरा जिले में बेरोजगार युवाओं का पंजीयन

34. (क्र. 2615) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा जिला गठन के उपरांत कितने बेरोजगार युवाओं का रोजगार कार्यालय में पंजीयन किया गया है ? (ख) पंजीकृत कितने बेरोजगारों को जनवरी, 2017 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बेमेतरा जिला गठन के उपरांत कुल 52562 बेरोजगारों युवाओं का जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मागदर्शन केन्द्र, बेमेतरा में पंजीयन किया गया है. (ख) कुल पंजीकृत बेरोजगारों में से जनवरी 2017 की स्थिति में 902 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया.

राजस्थान पावर ग्रिड कारपोरेशन हेतु कोयला उत्खनन/परिवहन हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

35. (क्र. 2620) **श्री अमरजीत भगत** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्थान पावर ग्रिड कारपोरेशन को सरगुजा एवं सूरजपुर जिला अंतर्गत कोयला खनन एवं परिवहन हेतु कितनी-कितनी भूमि कितने-कितने ग्रामों व कितने-कितने कृषकों से लेकर दी गई है ? मुआवजे राशि सहित जानकारी देवें ? (ख) कोल परिवहन हेतु किन-किन सड़कों का उपयोग किया जा रहा है ? खदान प्रारंभ होने से लेकर 31 जनवरी, 2017 तक कोल परिवहन के दौरान कितनी दुर्घटना हुई ? उक्त सड़क हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई व कितने लोगों घायल हुए ? कंपनी के द्वारा उन्हें क्या-क्या सहायता एवं मुआवजा दी गई ? (ग) कंपनी के द्वारा जमीन लेने से पहले किन-किन ग्राम पंचायतों में आम सभा लेकर सहमति ली गई ? ग्रामों के नाम व तिथि सहित जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) राजस्थान पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा सूरजपुर जिला में किसी भी प्रकार की भूमि का अर्जन नहीं किया गया . सरगुजा जिला अंतर्गत कोयला खनन एवं परिवहन हेतु अधिग्रहित की गई भूमि, ग्राम का नाम, कृषकों की संख्या व मुआवजा राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

ग्राम का नाम	अधिग्रहित रकबा हे.	कृषकों की संख्या	मुआवजा राशि रुपये में
परसा	109.079	139	22,65,98,881/-
केते	199.190	123	44,59,89,069/-
साल्ही	25.462	55	5,35,36,452/-
हरिहरपुर	34.459	46	6,93,96,384/-
योग	368.190	363	79,55,20,786/-

(ख) **जिला सूरजपुर** से प्राप्त जानकारी अनुसार कोल परिवहन हेतु परसा खदान से कमलपुर एवं परसा खदान से रामानुजनगर तक सड़क मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है. जून 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कुल 08 दुर्घटना हुई जिसमें मानव क्षति हुई है. अभी तक कुल रुपये 31,75,000/- का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जा चुका है. घायलों की संख्या शून्य है. **जिला सरगुजा** से प्राप्त जानकारी अनुसार कोल परिवहन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 तथा वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था सांडबार बैरियर से कालीघाट तक बाईपास सड़क का उपयोग किया जा रहा है. खदान प्रारंभ होने की तिथि 22-1-2013 से 31 जनवरी, 2017 तक कोल परिवहन के दौरान हुई दुर्घटना/मृत्यु तथा कंपनी द्वारा उन्हें दी गई सहायता एवं मुआवजा का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	कंपनी द्वारा दी गई राहत	
				प्रकरणों की संख्या	राशि (रु. में)
2013	1	1	0	0	0
2014	13	7	13	1	5,00,000/-
2015	16	7	13	1	3,50,000/-
2016	14	5	12	1	3,50,000/-
2017	2	0	2	0	0
योग	46	20	40	3	12,00,000/-

(ग) जिला सरगुजा में कंपनी के द्वारा जमीन लेने से पहले ग्राम परसा में दिनांक 08-08-2009 को ग्राम केते में दिनांक 08-08-2009 को, ग्राम साल्ही में 09-08-2009 को तथा ग्राम हरिहरपुर में 09-08-2009 को ग्राम सभा आयोजित कर सहमति ली गई है। सूरजपुर जिले में जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

जिला राजनांदगांव में संचालित उद्योगों के पर्यावरण नवीनीकरण के प्राप्त आवेदन

36. (क्र. 2626) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में संचालित उद्योगों को पर्यावरण रिनिवल एनओसी हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण किया गया ? (ख) कितने उद्योगों को रिनिवल एनओसी प्रदान की गई ? (ग) कितने उद्योगों का रिनिवल एनओसी बाकी है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी अनुसार अद्यतन स्थिति में राजनांदगांव जिले में संचालित कुल 219 उद्योगों से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुये. प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण किया गया. (ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 185 उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण प्रदान किया गया है. (ग) 34 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण किया जाना शेष है.

उच्च शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं टेबलेट का वितरण

37. (क्र. 2636) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में कितने विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं कितनों को टेबलेट वितरण किये जाने का लक्ष्य था ? लैपटॉप व टेबलेट प्रत्येक की लागत क्या थी ? लक्ष्य के विरुद्ध उक्त अवधि में कितना-कितना वितरण किया गया ? जिलेवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में लैपटॉप एवं टेबलेट वितरण किए जाने का लक्ष्य एवं वितरण हेतु महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए लैपटॉप एवं टेबलेट की जिलेवार जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए लैपटॉप व टेबलेट की लागत की जानकारी प्रपत्र "ब"में † संलग्न है.

महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में बंटवारा, नामांतरण, खतौनी, त्रुटिसुधार, पट्टा नवीनीकरण के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

38. (क्र. 2641) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में बंटवारा, नामांतरण, खतौनी, त्रुटि सुधार, पट्टा नवीनीकरण एवं

सीमांकन के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? वर्षवार बताएं ? (ख) प्राप्त आवेदनों में कार्यवाही हेतु कितनी समयावधि निर्धारित है ? कितने प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में हुयी तथा कितने प्रकरण लंबित है ? प्रकरणों के लंबित होने का कारण बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में बंटवारा, नामांतरण, खतौनी, त्रुटिसुधार, पट्टा नवीनीकरण एवं सीमांकन के प्राप्त आवेदनों की वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवेदनों में से निम्नलिखित प्रकरणों में छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत समयावधि निर्धारित है :-

क्र.	मद	अवधि
1.	सीमांकन	03 माह
2.	अविवादित नामांतरण	03 माह
3.	अविवादित बंटवारा	03 माह

2. उक्त (1) को छोड़कर शेष आवेदनों को छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत निम्नानुसार शीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जाता है. 3. प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवेदनों के प्राप्त निराकरण व लंबित की जानकारी व लंबित का कारण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में कौशल उन्नयन हेतु स्वीकृत राशि

39. (क्र. 2649) **श्री दीपक बैज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में माह फरवरी 2017 तक कौशल उन्नयन हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (विकासखंडवार जानकारी दें) (ख) प्रश्नांश “क” में तहत स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य संपादित किये गये हैं ? तथा कौन-कौन से संस्थानों को कितनी राशि किन-किन कार्यों में किस-किस आधार पर दी गई है ? (ग) प्रश्नांश “ख” के अंतर्गत कितने बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये गये हैं ? (विकासखंडवार जानकारी दें)

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में माह फरवरी 2017 तक कौशल उन्नयन हेतु कुल राशि रु. 21,43,000/- स्वीकृत किये गये हैं. विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	विकासखंड का नाम	स्वीकृत राशि
2015-16	लोहण्डीगुड़ा	1707500.00
2016-17 (फरवरी 2017 तक)	बास्तानार	435500.00
कुल		2143000.00

(ख) प्रश्नांश “क” में तहत स्वीकृत राशि से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में माह फरवरी 2017 तक स्वीकृत राशि से किये गये कार्य, संस्थाओं को कार्यों हेतु दी गई राशि एवं उसका आधार से संबंधित जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ग) प्रश्नांश “ख” के अंतर्गत 90 बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये गये हैं. विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखंड का नाम	रोजगार प्राप्त हितग्राहियों की संख्या
लोहण्डीगुड़ा	90
बास्तानार	0

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत भवन निर्माण कार्य

40. (क्र. 2650) **श्री दीपक बैज** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में माह फरवरी 2017 तक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कितने व कौन-कौन से भवन कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं ? (विकासखंडवार जानकारी दें)। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य की भौतिक व वित्तीय स्थिति की जानकारी दें ? (ग) क्या गुणवत्ताहीन भवन निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रायपुर में केन्द्री तक रेललाईन के स्थान पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण

41. (क्र. 2651) **श्री भूपेश बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर से केन्द्री तक की रेल लाईन को उखाड़ कर इस पर नया एक्सप्रेस हाईवे सड़क निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? प्रावधानित राशि से कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित है ? क्या निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है ? (ख) उक्त सड़क निर्माण हेतु बेदखली कार्य से कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रु. 100 प्रतीक प्रावधान. फ्लाईओव्हर, एलीकेटेड कारीडोर सहित चारलेन सड़क निर्माण, अनुमानित लंबाई 12.02 कि. मी. जी नहीं. (ख) 1376 परिवार.

भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में अवैध कब्जा के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

42. (क्र. 2654) **श्री देवजीभाई पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर जिला कांकेर नगरीय क्षेत्र में भूमि के अवैध कब्जे के कितने प्रकरण दर्ज हैं ? कब्जाधारी का नाम, कब्जा किए गए एरिया सहित बतावें ? (ख) विगत 3 वर्षों में कब्जाधारियों को बेदखली करने हेतु विभाग ने कब-कब, क्या कार्यवाही की ? नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या कब्जाधारियों द्वारा कब्जा की गई भूमि को अन्य व्यक्ति को आवास/व्यवसाय उपयोग में बेचने संबंधी भी शिकायतें हैं, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नगरीय क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में 125 अवैध कब्जाधारियों के प्रकरण दर्ज किया गया है। वर्षवार कब्जेधारियों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 70 प्रकरण में अर्थदण्ड आरोपित की गई है और अवैध कब्जा हटाने बेदखली आदेश निष्पादित की गई है। शेष 55 कब्जाधारियों के विरुद्ध अवैध कब्जा हटाने हेतु प्रकरण दर्ज कर तहसील न्यायालय भानुप्रतापपुर में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही जारी है। (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभिन्न मार्गों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति

43. (क्र. 2655) **श्री देवजीभाई पटेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में जिला रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्र के किन-किन मार्गों के निर्माण, उन्नयन, डामरीकरण कार्य के लिए सम्मिलित किया गया ? विधानसभार, लागत सहित बतावें ? (ख) कंडिका "क" के किन-किन मार्गों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ? (ग) कंडिका "ख" के मार्गों के निर्माण की प्रगति वर्तमान में क्या है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गई है।

महाविद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या

44. (क्र. 2663) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक महाविद्यालयों में सेट-अप स्वीकृत किया गया है ? (ख) क्या सभी स्नातक महाविद्यालयों में सेट-अप के अनुसार अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है ? यदि नहीं तो कितने महाविद्यालयों में सेट-अप से कम लोग हैं और उनकी पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. (ख) जी नहीं. 169 स्नातक महाविद्यालय में सेट-अप से कम लोग है. पूर्ति हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र हेतु वार्षिक बजट में स्वीकृत सड़कें

45. (क्र. 2666) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2017 तक वार्षिक बजट में कौन-कौन से सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) उक्त सड़कों में कौन-कौन सी सड़कें पूर्ण हो चुकी है ? तथा कौन-कौन सी सड़कें अपूर्ण है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के भू-अर्जन के लंबित प्रकरण

46. (क्र. 2667) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व विभाग में सत्र 2014-15 से 31 जनवरी, 2017 तक में लोक निर्माण विभाग के भू-अर्जन राशि भुगतान के कितने प्रकरण लंबित है ? योजनावार जानकारी दी जावे ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व विभाग में सत्र 2014-15 से 31 जनवरी, 2017 तक में लोक निर्माण विभाग/सेतु निर्माण संभाग के भू-अर्जन राशि भुगतान के कोई प्रकरण लंबित नहीं है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में बजट में स्वीकृत राशि

47. (क्र. 2668) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2017 तक प्रति वर्ष बजट में कौन-कौन सी सड़क स्वीकृत किया गया है ? (ख) उक्त सड़कों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिए गए है तथा कौन-कौन से सड़क अधूरे हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

जिला रायपुर में निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

48. (क्र. 2671) **श्री देवजीभाई पटेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में 01 जनवरी, 2016 से 27-02-2017 तक विभाग के अंतर्गत कहां-कहां पर, कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य कराए गए/प्रचलित है ? ठेकेदार के नाम, लागत सहित ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के कार्यों में कहां-कहां से अनियमितता की शिकायतें मिली ? क्या भवन निर्माण में स्लैब ढहने की भी घटना प्रकाश में आयी है ? यदि हां तो इसकी जवाबदेही किस पर तय की गई ? (ग) प्रश्नांश "ख" के प्रकरणों में क्या मापदंड के अनुसार सामग्री में खामियां पाई गई है ? यदि हां तो इसकी जांच कब-कब, किनके-किनके द्वारा की गई ? जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है. (ख) जी नहीं. भवन निर्माण में कांक्रीट ढलाई के दौरान सेंट्रिंग गिरने की घटना हुई. जांच प्रक्रियाधीन है. (ग) घटना की तकनीकी जांच मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 2638) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

महासमुंद्र जिले में पावर प्लांटों, राईस मिलों, ईट भट्टों द्वारा 01 जनवरी, 2014 से वर्तमान अवधि तक प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायत बाबत जानकारी

क.	शिकायतकर्ता का नाम	मंडल में शिकायत प्राप्ति दिनांक	संयंत्र का नाम	मालिक का नाम	शिकायत की प्रकृति का विवरण
1.	श्री हर्ष शर्मा, जिला-महासमुंद्र	14.11.2014	मेसर्स कालिन्दी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-तुमगांव, जिला महासमुंद्र	श्री अजय अग्रवाल, संचालक	कालिन्दी पावर के राखड़ से समस्या के संबंध में
2.	श्री महेन्द्र कुमार साहू, जिला-महासमुंद्र	07.09.2015	राईस मिलों से सितली नाला के प्रदूषण के संबंध में	-	राईस मिलों से सितली नाला के प्रदूषण के संबंध में
3.	श्री आकाश सोनी एवं समस्त स्थानीय कृषक, तिलक चौक, पुराना रावणभाठा, वार्ड नं. 16, महासमुंद्र	16.06.2016	मेसर्स खेतावत इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कांपा, जिला-महासमुंद्र	श्री वरुण खेतावत	प्रदूषण के संबंध में।
4.	आम आदमी पार्टी शाखा सरायपाली एवं ग्रामवासी बोंदा, नवापाली, बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुंद्र	19.07.2016	मेसर्स समलेश्वरी इण्डस्ट्रीज, ग्राम- बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील- सरायपाली, जिला- महासमुंद्र	श्री शंकरलाल अग्रवाल	प्रदूषण के संबंध में।
			मेसर्स हिन्दुस्तान एग्रोटेक, ग्राम- बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील- सरायपाली, जिला- महासमुंद्र	श्री शंकरलाल अग्रवाल	प्रदूषण के संबंध में।
5.	श्री विक्रम सिंह ठाकुर, एफ.सी. आई. के पास, भगवा चौक, महासमुंद्र	06.01.2017	मेसर्स गोयल फूड, (मेसर्स सूर्या पेड्डी प्रोसेसिंग पितियाझर रोड, जिला-महासमुंद्र)	श्री अनूप गोयल	प्रदूषण के संबंध में।
			मेसर्स एम.पी. राईस ट्रेडिंग कंपनी, महासमुंद्र, जिला-महासमुंद्र	श्री बजरंग अग्रवाल	प्रदूषण के संबंध में।

6.	श्री विक्रम सिंह ठाकुर, एफ.सी. आई. के पास, भगवा चौक, महासमुंद	02.02.2017	मेसर्स गोयल फूड (मेसर्स सूर्या पेड्डी प्रोसेसिंग पितियाझर रोड, जिला- महासमुंद)	श्री अनूप गोयल	प्रदूषण के संबंध में।
			मेसर्स एम.पी. राईस ट्रेडिंग कंपनी, महासमुन्द, जिला- महासमुन्द	श्री बजरंग अग्रवाल	प्रदूषण के संबंध में।
7.	आम आदमी पार्टी शाखा सरायपाली एवं ग्रामवासी बोंदा, नवपाली, बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला- महासमुन्द	01.03.2017	मेसर्स समलेश्वरी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुन्द	श्री शंकरलाल अग्रवाल	प्रदूषण के संबंध में।
			मेसर्स हिन्दुस्तान एग्रोटेक, ग्राम-बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुन्द	श्री शंकरलाल अग्रवाल	प्रदूषण के संबंध में।

महासमुंद जिले में पावर प्लांटों, राईस मिलों, ईट भट्टों द्वारा 01 जनवरी, 2014 से वर्तमान अवधि तक प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच बाबत जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	श्री हर्ष शर्मा, जिला-महासमुन्द	निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत् नहीं पाया गया।	उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट यथा राखड़ के समुचित अपवहन के संबंध में पत्र दिनांक 18.08.2015 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
2.	श्री महेन्द्र कुमार साहू, जिला-महासमुन्द,	दिनांक 31.10.2015 को निरीक्षण के दौरान दूषित जल का निस्सारण सीधे नाले में नहीं पाया गया। स्थिति सामान्य अवलोकित हुई।	सितली नाले के पास स्थापित 05 राईस मिलों क्रमशः मेसर्स सूर्या पेड्डी प्रोसेसिंग, पिटियाझर रोड, जिला-महासमुन्द, मेसर्स एम.पी.राईस ट्रेडिंग कंपनी, जिला-महासमुन्द, मेसर्स महासमुन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-लभराखुर्द, जिला-महासमुन्द, मेसर्स प्रशांत राईस मिल, ग्राम-लभराखुर्द, जिला-महासमुन्द, मेसर्स सालासर बालाजी फूड्स प्रोडक्ट्स, भलेसर रोड, जिला-महासमुन्द को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सतत संचालन एवं संधारण करने दूषित जल के उपचार हेतु सक्षम व्यवस्था करने, शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, ठोस अपशिष्ट यथा राखड़ आदि का समुचित अपवहन करने के संबंध में पत्र दिनांक 19.11.2015 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
3.	श्री आकाश सोनी एवं समस्त स्थानीय कृषक, तिलक चौक, पुराना रावणभाठा, वार्ड नं. 16, महासमुन्द	निरीक्षण के समय स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट यथा राखड़ के समुचित अपवहन के संबंध में पत्र दिनांक 24.08.2016 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
4.	आम आदमी पार्टी शाखा सरायपाली एवं ग्रामवासी बोंदा, नवापाली, बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला- महासमुन्द	यह इकाई अरवा राईस मिल है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत् नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय स्थिति सामान्य पाई गई।	भूसे/डस्ट के नियंत्रण हेतु स्थापित सायक्लोन के आउटलेट को परिसर के अंदर स्थापित करने के संबंध में पत्र दिनांक 17.10.2016 के माध्यम से निर्देशित किया गया है। उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पत्र दिनांक 17.10.2016 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

5.	श्री विक्रम सिंह ठाकुर, एफ.सी.आई. के पास, भगवा चौक, महासमुन्द	निरीक्षण के समय उद्योग मेसर्स सूर्या पेड्डी प्रोसेसिंग/गोयल फूड पितियाझर रोड, जिला- महासमुन्द उत्पादनरत नहीं पाया गया।	उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पत्र दिनांक 06.03.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
		स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पत्र दिनांक 06.03.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
6.	श्री विक्रम सिंह ठाकुर, एफ.सी.आई. के पास, भगवा चौक, महासमुन्द	निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।	उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पत्र दिनांक 06.03.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
		स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पत्र दिनांक 06.03.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
7.	आम आदमी पार्टी शाखा सरायपाली एवं ग्रामवासी बोंदा, नवापाली, बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला- महासमुन्द	यह इकाई अरवा राईस मिल है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। भूसे/गर्दा/कोढ़ा के संग्रहण/अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई।	मेसर्स समलेश्वरी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला- महासमुन्द को भूसे/गर्दा/कोढ़ा के संग्रहण/अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था करने बाबत इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.03.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
		निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर होना पाया गया।	मेसर्स हिन्दुस्तान एगरोटेक, ग्राम- बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला- महासमुन्द को औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत दिनांक 14.03.2017 को नोटिस जारी किया गया है।

प्रपत्र "स"

प्रश्नांश-ख में उल्लेखित उद्योगों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी

क.	संयंत्र का नाम	संयंत्र द्वारा किया गया वृक्षारोपण
1.	मेसर्स कालिन्दी पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-तुमगांव, जिला-महासमुन्द	23,000
2.	मेसर्स सूर्या पेड्डी प्रोसेसिंग, पिटियाझर रोड, जिला-महासमुन्द	90
3.	मेसर्स एम.पी.राईस ट्रेडिंग कंपनी, जिला-महासमुन्द,	105
4.	मेसर्स महासमुन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-लभराखुर्द, जिला-महासमुन्द	50
5.	मेसर्स प्रशांत राईस मिल, ग्राम-लभराखुर्द, जिला-महासमुन्द,	20
6.	मेसर्स सालासर बालाजी फूड्स प्रोडक्ट्स, भलेसर रोड, जिला-महासमुन्द	10
7.	मेसर्स खेतावत इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कांपा, जिला-महासमुन्द	100
8.	मेसर्स समलेश्वरी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुन्द	200
9.	मेसर्स हिन्दुस्तान एग्रोटेक, ग्राम-बैतारी, चट्टी गिरोला, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुन्द	(दोनों उद्योग एक ही परिसर में स्थापित हैं।)
10.	मेसर्स गोयल फूड (मेसर्स सूर्या पेड्डी प्रोसेसिंग, पिटियाझर रोड, जिला-महासमुन्द)	90

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 2510) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सूखा राहत मद के तहत विकासखण्डवार आवंटित राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016 (दिसम्बर 2016 तक)
1	2	3	4	5.
1	रायगढ़	0	0	77.47
2	पुसौर	0	0	29.35
3	खरसिया	0	0	34.28
4	सारंगगढ़	0	0	39.13
5	बरमकेला	0	11.25	49.25
6	घरघोड़ा	0	0	27.32
7	तमनार	0	0	25.46
8	लैलूंगा	0	0	16.55
9	धरमजयगढ़	0	0	12.34
	योग	0	11.25	311.15

प्रपत्र "ब"

सूखा राहत मद के तहत पूर्ण कार्यों का विवरण

स.क्र.	कार्य का नाम	पूर्ण कार्यों की संख्या
1	2	3
1	नलकूप खनन कर हेड पम्प स्थापना कार्य	43
2	सिंगल फेस पावर पम्प स्थापना	150
3	कम जलस्तर वाले पावर पम्प में राईजर पाईप बढ़ाने का कार्य	2500
4	खराब पावर पम्प/हैंडपम्प में राईजर पाईप बदलने का कार्य	2000
5	नवीन पावर पम्प स्थापना राईजर पाईप	2000
6	संधारण वाहन किराया	8
7	विभिन्न वार्ड/जोन में आवर्धन योजना अन्तर्गत बिछाये गये नवीन डी.आई. पाईप लाईन से पूर्व में बिछाये गये जी.आई. /पी.व्ही.सी. पाईप लाईन का इन्टरकनेक्शन कार्य	105
8	नल जल योजना अतिरिक्त स्रोत हेतु नलकूप खनन कार्य	19
9	पावर पम्प स्थापना	16
10	नलकूप खनन एवं हैंडपम्प स्थापना	2
11	विभिन्न वार्ड में पुराने कुओं की सफाई एवं अन्य कार्य	11
12	विभिन्न वार्ड में पुराने कुओं ओपनवेल पम्प स्थापना तथा अन्य कार्य	6
13	विभिन्न वार्ड में 2000 ली. क्षमता का सिस्टर्न निर्माण तथा अन्य कार्य	7

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1954) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रामपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य

क्र.	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/प्रगति पर/ अप्रारंभ)
1	2	3	4
वर्ष 2014-15			
सड़क कार्य			
1.	श्यांग-खरपाली-कुदमुरा मार्ग के कि.मी. 6 से 10=5.00 कि.मी. में डब्ल्यू.बी.एम नवीनीकरण तथा नया डामरीकरण कार्य	80.00	पूर्ण
2	सीपत बलौदा कोरबा मार्ग के कि.मी. 44/8 से 46/10 (150मी.) = 2.35 कि.मी. में नवीनीकरण	64.00	पूर्ण
3	सक्ती कोरबा मार्ग के कि.मी. 30,31,36, 39/6-8-10 =3.60 कि.मी. में नवीनीकरण	45.00	पूर्ण
योग:- 3 कार्य		189.00	3 पूर्ण
पुल-पुलिया कार्य			
निरंक			
वर्ष 2014-15 कुल योग :- 03 कार्य		189.00	3 पूर्ण

क्र.	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/प्रगति पर/ अप्रारंभ)
1	2	3	4
वर्ष 2015-16			
सड़क कार्य			
1	लेमरू से बड़गांव तक प्र.श्रे.मार्ग डामरीकरण लंबाई 6.00 कि.मी., 12 नग पुल-पुलिया सहित।	863.75	प्रगति पर
2	जिला कोरबा के तिलकेजा से पहन्दा मार्ग लंबाई 3.71 कि.मी. का उन्नयन कार्य 07 नग हयूम पाईप पुलिया सहित।	360.92	प्रगति पर
3	जिला कोरबा के मदनपुर से बासीन मार्ग के 12.90 कि.मी. का उन्नयन कार्य	767.19	पूर्ण
4	प्राथ.स्वा. केन्द्र भवन पताढी जिला कोरबा में सीमेंट कांकीट मार्ग का निर्माण लंबाई 195 मी.	17.11	प्रगति पर
5	नवीन हाईस्कूल भवन डिटोरी में सीमेंट कांकीट पहुंच मार्ग का निर्माण, लंबाई 44 मी.	17.11	प्रगति पर
6	नवनिर्मित छात्रावास भवन श्यांग जिला कोरबा में सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई 233 मीटर	17.11	पूर्ण
7	हाईस्कूल भवन चोरभट्टी जिला कोरबा में सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण।	8.56	पूर्ण
8	हाईस्कूल भवन नोनदरहा जिला कोरबा में सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण, लंबाई 125 मीटर।	8.56	पूर्ण
9	पी.एच.सी.भवन करतला जिला कोरबा में सी.सी. पहुंच मार्ग निर्माण, लंबाई 146मी.।	10.63	प्रगति पर
10	आई.टी.आई. भवन करतला जिला कोरबा के सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण।	31.29	प्रगति पर
11	नवनिर्मित हायर सेकण्ड्री स्कूल भवन बरपाली जिला कोरबा में सीमेंट कांकीट पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	42.20	प्रगति पर

क्र.	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण / प्रगति पर/ अप्रारंभ)
1	2	3	4
12	नवनिर्मित नवीन हाईस्कूल भवन कथरीमाल जिला कोरबा में सीमेंट कांक्रिट पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	33.85	प्रगति पर
13	नवनिर्मित नवीन हाईस्कूल भवन तरदा जिला कोरबा में सीमेंट कांक्रिट पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	25.32	पूर्ण
14	शासकीय महाविद्यालय भवन करतला जिला कोरबा के सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण।	68.46	प्रगति पर
	योग:- 14 कार्य	1911.14	5 पूर्ण 9 प्रगति पर
सड़क कार्य			
1	कुदुरमाल-कुदमुरा मार्ग (उरगा-हाटी) के कि.मी. 12, 13, 22, 25, 26 = 5.00 कि.मी. नया डामरीकरण	80.00	पूर्ण
2	कुदुरमाल-कुदमुरा मार्ग (उरगा-हाटी) के कि.मी. 27, 28, 41, 42 = 4.00 कि.मी. नया डामरीकरण	55.00	पूर्ण
3	झगरहा से कोरकोमा मार्ग कि.मी. 1 से 4 = 4.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य।	45.00	पूर्ण
4	कोरकोमा से मदनपुर मार्ग कि.मी. 1 से 4 = 4.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य।	45.00	पूर्ण
5	श्यांग-बरपाली-कुदमुरा मार्ग के कि.मी. 11 से 15 = 5.00 कि.मी. मजबूतीकरण कार्य	80.00	पूर्ण
6	श्यांग-बरपाली-कुदमुरा मार्ग के कि.मी. 16 से 20 = 5.00 कि.मी. मजबूतीकरण कार्य	80.00	पूर्ण

क्र.	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/प्रगति पर/ अप्रारंभ)
1	2	3	4
7	जोगीपाली से नोनदरहा मार्ग कि.मी. 1 से 3= 3.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य।	54.00	पूर्ण
8	मदनपुर से बासीन मार्ग कि.मी. 1 से 4 = 4.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य।	46.00	अप्रारंभ
9	तिलकेजा से पहंदा मार्ग 3.65 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य।	34.00	अप्रारंभ
	योग :- 9 कार्य	519.00	7 पूर्ण 2 अप्रारंभ
पुल-पुलिया कार्य			
1	रामपुर के रीवापार-सोहागपुर मार्ग पर सोन नदी पर पुल निर्माण।	287.81	प्रगति पर।
2	कोरबा के बालपुर-दर्राभाठा-रीवापार- खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	191.51	प्रगति पर।
	योग:- 2 कार्य	479.32	2 प्रगति पर
	वर्ष 2015-16 कुल योग:- 25 कार्य	2909.46	12 पूर्ण 11 प्रगति पर 02 अप्रारंभ
	महायोग : 28 कार्य वर्ष 2014-15 से 2015-16	3098.46	15 पूर्ण 11 प्रगति पर 02 अप्रारंभ

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1229) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र आरंग अंतर्गत रीवा-कुकरा-नारा-टेकारी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

क्र	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहित कृषकों की संख्या	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु प्रभावित कृषकों का नाम
1	2	3	4	5
1	छतौना-दरबा-कुटेसर-बड़गांव-कुण्डा-नारा- लखौली मार्ग चौड़ीकरण कार्य	नारा	39	शैलेन्द्र कुमार पिता रमनलाल मादवी पिता सजेलाल मिली पिता देवाशीश बेनर्जी बालाराम पिता मदन कुर्मी लक्ष्मीनारायण पिता भूखन चंद्राकर नंदकुमार पिता रतनू चंद्राकर ध्रुवकुमार पिता श्यामलाल चंद्राकर सोहनलाल पिता खेदू चंद्राकर सीताराम पिता ननकू साहू मोहनलाल पिता सूरज साहू रोहित कुमार पिता सूरज साहू छन्नूलाल पिता भागीरथी चंद्राकार लक्ष्मीनारायण पिता दयाराम वर्मा ईतवारी पिता केजूराम रामबाई बेवा सेऊकराम सुजीत कुमार पिता नंदकुमार नाबा चंदन पिता संतूराम वली मधू बेवा संतूराम साहू संतोष पिता मोहन चंद्राकर एमनलाल पिता ललुवा परऊ पिता रजवा कमल पिता खेलावनराम साहू हिरदेलाल पिता दौवा

क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहित कृषकों की संख्या	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु प्रभावित कृषकों का नाम
1		3	4	5
				माधोलाल पिता बिरिजलाल
				लालजी पिता सुंदरलाल
				कुभकरण पिता रत्तीराम
				माखन पिता खेदूराम
				भागबती पिता जोधन
				ओमप्रकाश पिता सनत
				हीराराम पिता इंदल
				तीजूराम पिता नेतराम साहू
				तरुण कुमार पिता उजियार डडसेना
				बाहरूराम पिता फूलसिंग
				मोहनलाल पिता बिशाल
				सेवनलाल पिता मोजीराम साहू
				बहुर पिता मदन साहू
				संतराम पिता मदन साहू
				हठियारिन पिता सुदन
				बलराम पिता गैदलाल
				दिनेश्वर प्रसाद पिता सरजूप्रसाद ब्राम्हण
			योग-39 कृषक	
2	छतौना-दरबा-कुटेसर-बडगांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण कार्य	रीवा	8	बरखा अग्रवाल पति शैलेश अग्रवाल
				विनय पिता जी चंद मेघानी
				राधु पिता गोकुल
				सूरज कुमार साहू पिता झाड़ूराम जाति तेली

क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहित कृषकों की संख्या	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु प्रभावित कृषकों का नाम
1	2	3	4	5
				दिनदयाल उर्फ ढालू पिता किशुन चंद्राकर सिताराम साहू पिता नम्मू राम जाति तेली परमानंद ढीमर पिता बुधुराम ढीमर यवंतिका सिरमौर पति दिनेश कुमार सिरमौर
			योग-08 कृषक	
3	छतौना-दरबा-कुटेसर-बड़गांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण कार्य	कुकरा	3	धनीराम पिता केजूराम साहू लक्ष्मीनारायण पिता केजूराम साहू रेवाराम वल्द जयराम कल्याण पिता जयराम केजबती बेवा जयराम साहू
			योग-03 कृषक	
4	छतौना-दरबा-कुटेसर-बड़गांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण कार्य	खमरिया	5	सियाराम/भुलहा सतनामी केशोराम पिता उदेराम धोबी (बिसहत पिता उदेराम) चेतुराम पिता सालिक राम कॅवट परसराम पिता सोनसाय कॅवट तेजराम पिता उदेराम कॅवट
			योग-05 कृषक	
5	छतौना-दरबा-कुटेसर-बड़गांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण कार्य	दरबा	8	रामचंद्र पिता मयाराम ना.बा.दीपक पिता मयाराम वली पिता मयाराम पिता बदल सतनामी जनक राम वो अर्जुन पी. भागबली लोहार पुष्पा मंडल पति श्यामल मंडल गोविन्द प्रसाद पाण्डेय पिता अयोध्या प्रसाद पाण्डेय

क्र.	मार्ग का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहित कृषको की संख्या	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु प्रभावित कृषकों का नाम
1	2	3	4	5
				सुनीता पति शरद शर्मा सुशील पिता खोमलाल शांति बाई बेवा खोमलाल ना.बा. आदिति वो अनिता पी. शरद शर्मा पालक मां सुनीता बेवा शरद शर्मा
				रौनक तिवारी पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी
				प्रीति वो रौनक पिता सुरेन्द्र कुमारी तिवारी
				वैभव वो विपुल पी. स्व. विनय कुमार रश्मि देवा विनय कुमार
			योग-08 कृषक	
6	छतौना-दरबा- कुटेसर- बड़गांव-कुण्डा-नारा- लखौली मार्ग चौड़ीकरण कार्य	सोनपैरी	8	फुलसिंग, फुलचंद, रामचंद, पीसारान लुदु
				सीताराम पिता सुकालु साहू
				मेहत्तर पिता कलुवा
				संजय निहलानी पिता सुंदरदास
				सीताराम, आयोध्या भुवन, पीसरान, सुकालु साहू
				ममता भार्गव पति विरेन्द्र सुलेखा आडिल पति हरिशंकर
				चंद्रिका प्रसाद व. बुधराम साहू
				रामप्रसाद व. बुधराम साहू
			08 कृषक	
	महायोग :-	06 ग्राम	71 कृषक	

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 196) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2017 की स्थिति में बायपास सड़कों की स्वीकृति बाबत जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण एजेंसी का विवरण	अद्यतन स्थिति
		राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6
1	मारेगा से आड़ावाल मार्ग (जगदलपुर बायपास मार्ग) लंबाई 19.40 किमी. पुल-पुलिया सहित (जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किमी. 7 से 20/4 = 13.40 किमी.)	3586.00	5.5.10	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर	कार्य पूर्ण

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2307) के भाग (क) की जानकारी]

लेपटॉप क्रय एवं भुगतान की जानकारी

राशि रुपये में

क्र.	शैक्षणिक सत्र	संस्था का नाम	क्रय संख्या	भुगतान की राशि
1	2014-15	मेसर्स रिको इंडिया लिमिटेड, जसोला, नई दिल्ली	17,867	19,49,68,199/-
				7,12,58,000/-
				3,41,91,575/-
				1,90,42,801/-
				57,93,040/-
			Total Payment	32,52,53,615/-
2	2016-17	मेसर्स, हैवलेट-पैकार्ड, इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, पेन्टागॉन टावर्स-पी-1,103, पहली मंजिल, मगरपट्टा सिटी, हडप्सर, पूणे	16,819	8,72,80,997/-
				13,04,31,339/-
				1,76,45,616/-
				2,76,97,967/-
				Total Payment
			448	लानू नहीं

टेबलेट क्रय एवं भुगतान की जानकारी

राशि रुपये में

क्र.	शैक्षणिक सत्र	संस्था का नाम	क्रय संख्या	भुगतान की राशि
1	2014-15	मेसर्स रिको इंडिया लिमिटेड, जसोला, नई दिल्ली	25,000	5,66,45,456/-
				4,68,54,720/-
				2,07,60,520/-
				2,94,46,264/-
				Total Payment 15,37,06,960/-
		मेसर्स नियोटैरिक इन्फरमेटिक लिमिटेड, नई दिल्ली	31,000	15,67,70,773/-
				2,49,03,789/-
				2,82,78,844/-
				Total Payment 20,99,53,406/-
2	2016-17	मेसर्स कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी हाऊस, 46, एवेन्यू, सड़क क्रमांक-1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना	65,000	लागू नहीं

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2336) के भाग (ख) की जानकारी]

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों की जानकारी

वर्ष 2013-14				
क.	विकासखण्ड का नाम	कार्यों की जानकारी	स्वीकृत राशि लाख ₹0 में	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1	बोड़ला	बैरख से रानीदहरा 1 चैनल 1700 मी. में पुलिया के किनारे साइड कटाव पिछिंग कार्य	4.00	पूर्ण
वर्ष 2014-15				
1	कवर्धा	लिमो व्यपवर्तन नहर कार्यों की मरम्मत	8.99	पूर्ण
		अटल उद्यान में बाउन्ड्रीवाल	8.37	पूर्ण
		सकरी नदी सकरहा घाट के पास से बाढ़ से बचाव हेतु तटबंध निर्माण	5.32	पूर्ण
		सकरी नदी पर निर्मित छपरी एनीकट कम काजवे के सुधार कार्य हेतु	3.02	पूर्ण
		योग	25.70	
2	स.लोहारा	ग्राम कटोरी से खाम्ही मार्ग करानाला के सेतु निगम से पुलिया निर्माण कार्य	8.33	पूर्ण
		आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कलवर्ट क.01 ग्राम छीरबांधा	8.51	पूर्ण
		आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कलवर्ट क.02 ग्राम छीरबांधा	8.51	पूर्ण
		योग	25.35	
3	बोड़ला	रिटर्निंगवाल निर्माण एवं पिछिंग निर्माण कार्य मुक्तिघाम के पास भाग-1, कटगो, ग्राम पंचायत कटगो	5.87	पूर्ण
		रिटर्निंगवाल निर्माण एवं पिछिंग निर्माण कार्य मुक्तिघाम के पास भाग-2, ग्राम कटगो, ग्राम पंचायत कटगो	5.87	पूर्ण
		रिटर्निंगवाल निर्माण एवं पिछिंग निर्माण कार्य पुलिया के पास, ग्राम बांधा ग्राम पंचायत बांधा	5.87	पूर्ण
		रिटर्निंगवाल निर्माण कार्य, ग्राम झण्डी, ग्राम पंचायत बांधा	5.20	पूर्ण
		रिटर्निंगवाल निर्माण एवं पिछिंग निर्माण कार्य, कांदापारा प्राथ. शाला भवन के पीछे नाला में भाग-1 ग्राम कांदापारा, ग्राम पंचायत खडौदाखुर्द	6.00	पूर्ण
		रिटर्निंगवाल निर्माण एवं पिछिंग निर्माण कार्य, कांदापारा प्राथ. शाला भवन के पीछे नाला में भाग-2 ग्राम कांदापारा, ग्राम पंचायत खडौदाखुर्द	5.50	पूर्ण
	योग	34.31		

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1289) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

सं० क्र०	स्थापित कैम्प/प्लांट का स्थान	तहसील का नाम	ग्रामपंचायत का नाम	अधिग्रहित की गई भूमि का खसरा क्रमांक	कुल अधिग्रहित भूमि (रकबा हेक्टेयर में)	ठेकेदार द्वारा अनापत्ति हेतु प्रेषित आवेदन दिनांक	क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल जगदलपुर से प्राप्त अनुमति दिनांक	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई जन सुनवाई	
								स्थान	दिनांक
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बाबुकोहका	चारामा	गोलकुम्हड़ा	132 पटवारी हल्का क्र-15	1.22 हेक्टेयर	30.06.2016	24.09.2016	गोलकुम्हड़ा	27.09.2016
2	चिखलपुटी	कोण्डागांव	चिखलपुटी	1/46 क.ख.ग.घ.डपटवारी हल्का क्र०-16	4.41 हेक्टेयर	27.06.2016	07.03.2017	चिखलपुटी	14.03.2015
3	बालेंगा	बस्तर	बालेंगा	634/3,634/6 पटवारी हल्का क्र०-25	0.81 हेक्टेयर	04.02.2017	07.03.2017	बालेंगा	27.03.2015

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 111) की जानकारी]

क्र०	वर्ष	राजस्व प्रकरण कमांक एवं पारित आदेश दिनांक	भूमिस्वामी का नाम/पता	निजी भूमि ख०नं०/रकबा	भूमि अदला-बदली का प्रयोजन	अदला-बदली में दी गई शासकीय भूमि ख०नं०/रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1-	2012-13	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण कमांक 12/अ-20(3)/2012-13 एवं आदेश दिनांक 03.09.2013	श्री योगेश नाहटा पिता श्री बंशीलाल नाहटा, जाति जैन, निवासी सुकमा, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ०ग०)	नगर सुकमा स्थित भूमि खसरा नं० 510/2 रकबा 0.405 हे०/1.00 एकड़)	ग्राम सुकमा में मॉडल स्कूल के बाउण्ड्रीवाल, सड़क, पुलिया निर्माण आदि में प्रभावित निजी भूमि के बदले में दिये जाने हेतु	नगर सुकमा स्थित शासकीय भूमि 464/2 रकबा 1.012 हे० में से रकबा 0.405 हे० (1.00 एकड़)
2-	2013-14	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण कमांक 01/अ-20(3)/2013-14 एवं आदेश दिनांक 03.02.2014	श्रीमती एन. पार्वती पति श्री एन. रामकृष्ण राजू, निवासी सुकमा, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ०ग०)	नगर सुकमा स्थित भूमि खसरा नं. 920/1 रकबा 2.132 हे० में से रकबा 0.064 हे./0.16 एकड़	नगर पालिका परिषद् सुकमा अंतर्गत बस स्टेण्ड हेतु नाला व्यपवर्तन में उपयोग किये जाने हेतु	नगर सुकमा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 1275 रकबा 4.00 हे० में से रकबा 0.064 हे०(0.16 एकड़)
3-	2013-14	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण कमांक 02/अ-20(3)/2013-14 एवं आदेश दिनांक 18.03.2014	श्री पुसामी रामा पिता श्री देवा, जाति धुरवा, निवासी सुकमा, तहसील सुकमा जिला सुकमा (छ०ग०)	नगर सुकमा स्थित भूमि खसरा 30/2 रकबा नं० 0.507 हे०/1.26 एकड़ भूमि	भूमिस्वामी के भूमि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाईन निर्माण हेतु तार बाड़ा घेरकर पुलिस लाईन निर्माण किये जाने के फलस्वरूप	नगर सुकमा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं० 6.676 हे. में से 0.507 हे./1.26 एकड़ भूमि
4-	2013-14	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण कमांक 03/अ-20(3)/2013-14 एवं आदेश दिनांक 18.03.2014	श्री करामी चितई पिता मासा, जाति धुरवा, निवासी सुकमा, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ०ग०)	नगर सुकमा स्थित भूमि खसरा 26 रकबा नं० 1.695 हे०/4.19 एकड़ भूमि	भूमिस्वामी के भूमि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाईन निर्माण हेतु तार बाड़ा घेरकर पुलिस लाईन निर्माण किये जाने के फलस्वरूप	नगर सुकमा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं० 45 रकबा 3.440 हे० में से रकबा 1.695 हे०/4.19 एकड़ भूमि

5-	2013-14	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-20(3)/ 2013-14 एवं आदेश दिनांक 18.03.2014	श्री पुंसामी देवा पिता श्री नंदा जाति धुरवा, निवासी सुकमा, जिला सुकमा (छोगो)	नगर सुकमा स्थित भूमि खसरा नं० 30/1 रकबा 1.823 हे (4.50 एकड़)	भूमिस्वामी के भूमि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाईन निर्माण हेतु तार बाड़ा घेरकर पुलिस लाईन निर्माण किये जाने के फलस्वरूप	नगर सुकमा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 61/1 रकबा 8.833 हे० में से 1.012 हे० एवं खसरा नं 220/3 रकबा 6.676 हे० में से 0.810 हे० कुल रकबा 1.823 हे० / 4.50 एकड़
6-	2015-16	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण क्रमांक 08/अ-20(3)/ 2015-16 एवं आदेश दिनांक 11.07.2016	श्री अलीशेर मंसूरी पिता इस्लाम, जाति मुसलमान निवासी दोरनापाल, (हाल मुकाम सुकमा) तहसील कोण्टा, जिला सुकमा	नगर दोरनापाल स्थित भूमि 31/2 रकबा 0.248/0.62 हेक्टर/ एकड़	ग्राम दोरनापाल में एजुकेशन कलस्टर में प्रभावित निजी भूमि के बदले में दिये जाने हेतु	नगर दोरनापाल स्थित शासकीय भूमि खसरा नं० 88 रकबा 2. 265/5.61 हेक्टर/एकड़ भूमि में से रकबा 0.238 हे० (0. 59 एकड़) भूमि
7-	2015-16	न्यायालय कलेक्टर जिला सुकमा का राजस्व प्रकरण क्रमांक 13/अ-20(3)/ 2015-16 एवं आदेश दिनांक 28.09.2016	श्रीमती एन०पार्वती पति श्री एन०रामकृष्ण राजू, जाति क्षत्रीय निवासी सुकमा, तहसील सुकमा, जिला सुकमा	नगर सुकमा स्थित भूमि खसरा नं० 918/1 एवं 920/1 में से रकबा 0.175 हे० एवं 1.161 हे० कुल रकबा 1.336 हे०	नगर पालिका सुकमा में अन्तर्राज्यीय बस स्टेण्ड के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रभावित निजी भूमि के बदले में दिये जाने हेतु	नगर सुकमा स्थित शासकीय भूमि ख०नं० 464/3 एवं 1275/1 रकबा 1.214 हे० एवं रकबा 3.936 हे० में से रकबा 0.122 हेक्टर कुल रकबा 1.336 हे०

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1346) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु अधिकृत वीडियो की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना
1	बस्तर	113	55
2	दत्तेवाड़ा	59	20
3	कांकेर	98	73
4	नारायणपुर	40	25
5	बीजापुर	32	19
6	कोण्डागांव	70	9
7	सुकमा	37	5
8	दुर्ग	152	226
9	कवघा	93	61
10	राजनांदगांव	178	66
11	बेमेतरा	57	83
12	बालोद	127	57
13	बिलासपुर	82	38
14	जांजगीर-चांपा	122	54
15	कोरबा	104	46
16	रायगढ़	142	185
17	मुंगेली	78	11
18	धमतरी	101	133
19	महासमुंद	113	20
20	रायपुर	201	172
21	बलौदाबाजार	88	15
22	गारियाबंद	89	56
23	जशपुर	91	120
24	कोरिया	69	24
25	सरगुजा	95	59
26	सुरजपुर	77	26
27	बलरामपुर	54	11
	कुल योग	2562	1669

प्रपत्र "ब"

प्रशिक्षण हेतु व्ही.टी.पी. केन्द्र खोलने की अनुमति हेतु निर्धारित मापदण्ड

— 00 —

राज्य में छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम 2013 के तहत बिन्दु क्र 2 के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में पंजीयन हेतु निम्नानुसार पात्रता है :-

(क) निम्नलिखित श्रेणियों की किसी श्रेणी से संबंधित शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान, अर्थात:-

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबद्ध संस्थान,
2. केन्द्र सरकार के अधीन किसी भी राष्ट्रीय परिषद्, यथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नॉलजी परिषद् (नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नॉलजी) द्वारा अथवा उसकी अनुशंसा पर अनुमोदित अथवा उससे संबद्ध संस्थान
3. केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान:
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्रमांक 3 सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (च) अथवा धारा 3 द्वारा शासित विश्वविद्यालय अथवा संस्थान:
5. भारत में माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा के मंडलों या परिषदों से संबद्ध विद्यालय अथवा संस्थान:
6. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन अथवा इंटरनेशनल सिविल एवियेशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा अनुमोदित संस्थान।

(ख) कला शिल्प संस्कृति अथवा संबंधित रचनात्मक क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में अधिसूचित किया जायें:

(ग) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा स्थापित संस्थान अथवा संगठन (जिनमें स्वशासी संगठन सम्मिलित हैं)

(घ) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (क्रमांक 52 सन् 1961) के अधीन प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनी और फर्म:

(ङ) अपनी कारोवारी गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के इच्छुक और भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी वैध परमानेंट एकाउंट नंबर, अथवा वैध सेवा कर पंजीयन संख्या, अथवा वैध विक्रय कर पंजीयन संख्या, अथवा मूल्य सर्वाधिकार कर के लिए जारी वैध टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर धारण करने वाली कंपनी, फर्म, वाणिज्य और उद्योग के चैम्बर, तथा उद्योग अथवा व्यापार के संगठन:

- (च) अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्तरां फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता अथवा अन्य कोई भी कारोबारी जो समुचित प्राधिकारी के साथ उनको लागू विधि के अधीन पंजीकृत हो:
- (छ) कौशल विकास में संलग्न पंजीकृत सोसायटी और न्यास:
- (ज) अन्य कोई संस्थान अथवा व्यक्तियों का संगठन अथवा व्यक्तियों का समूह जिनके संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के उत्तरदायित्व संपादित करने की उपयुक्तता के बारे में प्राधिकरण संतुष्ट हो और उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में तथा उसकी पंजीयन संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट पर अधिसूचित करें।

राज्य में छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम 2013 में अनुसूची के अनुसार

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत अथवा पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले अथवा पंजीकृत माने गये व्यक्ति, निगमित निकाय एवं व्यक्तियों के समूह पंजीयन की वैधता की अवधि में अधिसूचित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण बैचों में प्रशिक्षणार्थी संख्या को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, अर्थात्:-
 - (क) व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक औजार, उपकरण, मशीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सामग्री आदि से युक्त वर्कशाप अथवा अन्य उचित स्थान,
 - (ख) सैद्धांतिकी प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त फर्नीचर, उपकरण आदि सहित उचित स्थान,
 - (ग) विद्युत कनेक्शन,
 - (घ) योग्य प्रशिक्षक,
 - (ङ) प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त परिवेश।

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारंकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 476) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

शिवरीनारायण-बिरा- (घठोली) चाम्पा मार्ग के संबंध में

स. क्रं.	कार्य का नाम	भेजे गये प्राक्कलन की राशि (करोड़ में)	लम्बाई कि.मी.	चौड़ाई	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (करोड़ में)	ठेकेदार का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शिवरीनारायण- बिरा- (घठोली) चाम्पा मार्ग का निर्माण कार्य	108.46	51.798	कैरिजवे 7.00 मी. 12.00 मीटर (सोल्डर सहित)	104.09 146.12 (पुनरीक्षित)	मे. जी.पी.एल.-आर.के. टी.सी.पी.एल. (ज्वाईंट वेंचर) हैदराबाद	प्रगति पर	31.12.2017	

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 2337) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

कचर्था विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क पुल तथा भवन निर्माण की स्वीकृति

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4
वर्ष 2015-16			
सड़क कार्य (बजट)			
1	आंछी से जोगीपुर से खैरवार मार्ग लं. 2.45 किमी. 9 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	03/2017
2	जिला कबीरधाम के खडौदाकला से कुसुमघटा पहुंच मार्ग लं. 3.40 किमी. 5 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	06/2017
3	धुधरी कला से पालीगुढ़ा मार्ग लं. 1.85 किमी. 3 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	05/2017
4	कबीरधाम के मक्के से सेमो मार्ग लं. 2.30 किमी. 3 नग पुलिया सहित	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
5	कबीरधाम के खरहटा से कुसुमघटा मार्ग लं. 5.20 किमी. 5 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	09/2017
6	घोटिया से जुनवानी मार्ग लं. 3.345 किमी. 3 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	08/2017
7	मानिकपुर से कुसुमघटा मार्ग लं. 2.00 किमी. 6 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	09/2017
8	शीतलपानी से मचईया कोहना मार्ग लं. 2.85 किमी. 5 नग पुलिय सहित	प्रगति पर	09/2017
9	ग्राम भागुटोला स्थित सुधा विहार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीमेंट कांकीट पहुंच मार्ग लं. 0.30 किमी. 1 नग पुलिया सहित	पूर्ण	-

स्वीकृत कार्य का नाम		पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4
10	एन.एच.डी.पी. परियोजना फेस-04 के अन्तर्गत रा.रा. क्रमांक 12 ए (नया रा.रा. क्रमांक 30) के कि.मी. 191.400 से 242.300 = 50.878 के मध्य 2 लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य	प्रगति पर	10/2017
	योग:- 10 कार्य	01-पूर्ण 08-प्रगति पर 01 - अप्रारंभ	
सड़क कार्य (जमा मद)			
निरंक			
सड़क कार्य (वार्षिक संधारण अंतर्गत नवीनीकरण)			
1	सुखाताल से बैहरसरी मार्ग किमी.1 से 2/2 = 1.20 किमी.	पूर्ण	-
2	बैजलपुर से कोको पहुंच मार्ग लं. 1.00 किमी.	पूर्ण	-
3	बम्हनी से मड़मड़ा मार्ग लं.1.00 किमी.	पूर्ण	-
4	थूहाडीह से खैरझिटी मार्ग लं. 1.00 किमी.	पूर्ण	-
5	मेनरोड मजगांव से सौर ऊर्जा मार्ग लं. 250 मीटर	पूर्ण	-
6	उपजेल कवर्धा पहुंच मार्ग लं. 420 मीटर	पूर्ण	-
	खडौदा से मदनपुर मार्ग लं. 1 से 2/2 = 1.20 किमी.	पूर्ण	-
	योग:- 7 कार्य	07-पूर्ण	-
पुल कार्य			
निरंक			
भवन कार्य (बजटेट)			
1	जिला कबीरधाम वि.ख. कवर्धा के गुढा में शा.उ.मा.शाला का निर्माण कार्य	प्रगति पर	03/2017
2	जिला कबीरधाम वि.ख. कवर्धा के सोनपुरी रानी में शा.उ.मा.शाला का निर्माण कार्य	प्रगति पर	03/2017
3	जिला कबीरधाम वि.ख. कवर्धा के सुरजपुरा में शा.उ.मा.शाला का निर्माण कार्य	प्रगति पर	03/2017

स्वीकृत कार्य का नाम		पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4
4	जिला कबीरधाम वि.ख. कवर्धा के खंरहट्टा में शा.उ.मा.शाला का निर्माण कार्य	प्रगति पर	03/2017
5	प्रदेश के मानक प्रयोगशाला में बाउण्ड्रीवाल एवं ट्यूब वेल एवं लेब निर्माण कार्य	पूर्ण	-
योग:- 5 कार्य		01-पूर्ण 04-प्रगति पर	
भवन कार्य (जमा मद) -			
1	पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला कबीरधाम	प्रगति पर	08/2017
2	कवर्धा में कोल्ड स्टोरेज भवन का निर्माण कार्य	प्रगति पर	04/2017
3	पुलिस थाना कुण्डा में बैरक निर्माण	पूर्ण	-
4	पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम में 2 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	पूर्ण	-
5	रक्षित क्षेत्र कबीरधाम में राजपत्रित अधिकारी मेस भवन के प्रथम तल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करना	पूर्ण	-
6	पुलिस थाना भवन पिपरिया के दिवारों व छत रिप्लेस्टिंग कार्य तथा फ्लोरिंग मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
7	रक्षित क्षेत्र कबीरधाम में कम्पोजिट वेलफेयर सेन्टर का निर्माण	पूर्ण	-
8	विश्रामगृह सहसपुर लोहारा में बाउण्ड्रीवाल कार्य	पूर्ण	-
9	उपसंभाग कवर्धा में प्रयोगशाला भवन कार्य	पूर्ण	-
योग:- 09 कार्य		07-पूर्ण 02- प्रगति पर	-
वर्ष 2015-16 कुल योग- 31 कार्य		16-पूर्ण 14- प्रगति पर 01 अप्रारंभ	
वर्ष 2016-17			
सड़क कार्य (बजट)			
1	जिला कबीरधाम के रबेली प्रतापपुर मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य लं. 19.80 किमी. 42 नग पुलि	प्रगति पर	03/2019

	स्वीकृत कार्य का नाम	पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4
2	पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन पहुंच मार्ग	प्रगति पर	06/2017
3	जिला न्यायालय परिसर में पक्की नाली का निर्माण कार्य	पूर्ण	-
4	जिला न्यायालय से अभियोजन ऑफिस पहुंच मार्ग	प्रगति पर	05/2017
5	जिला न्यायालय में साईन बोर्ड एवं गेट निर्माण कार्य	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
6	बिरकोना-पिपरिया-मरका- चुचरुंगपुर-दाढ़ी मार्ग (लंबाई 38.097 कि.मी.) का निर्माण/उन्नयन पुल-पुलिया सहित	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
7	कवर्धा-रामपुर-खम्हरिया मार्ग (लंबाई 28.07 कि.मी.) का निर्माण/उन्नयन पुल-पुलिया सहित	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
8	कारेसरा-खम्हरिया-सिल्हाटी मार्ग (लंबाई 39.228 कि.मी.) का निर्माण/उन्नयन पुल-पुलिया सहित	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
	योग:- 8 कार्य	01-पूर्ण 03-प्रगति पर 04-अप्रारंभ	
सड़क कार्य (जमा मद)			
1	कुरुवा से खैरा मार्ग में रपटा एवं पहुंच मार्ग का निर्माण 1 नग पुलिया सहित	प्रगति पर	04/2017
	योग - 01 कार्य	01- प्रगति पर	
सड़क कार्य (वार्षिक संधारण के अंतर्गत नवीनीकरण)			
1	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 80,81,82 = 3.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
2	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 93,97,99 = 3.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
3	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 100,101,102 = 3.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है

1	स्वीकृत कार्य का नाम	पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
2	3	4	
4	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 103,104,105 = 3.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
5	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 106,107 = 2.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
6	सहसपुर से सरोधा मार्ग के कि.मी. 1 से 4 = 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
7	सहसपुर से सरोधा मार्ग के कि.मी. 5 से 7 = 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
8	बम्हनी चारभाटा बस्ती के मार्ग के मार्ग में सी.सी.रोड़ निर्माण किमी. 2/8 से 3/2= 0.50 किमी.	पूर्ण	-
9	सरोधी नवागांव सरईपतेरा मार्ग लं. 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
10	घोघा छपरी मार्ग लं. 4.50 किमी. डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
11	कवर्धा शहर मार्ग बस स्टैण्ड से कलेक्टर कार्या. तक लं. 1.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
12	कवर्धा शहर मार्ग बस स्टैण्ड से कलेक्टर कार्या. तक लं. 1.02 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
13	कवर्धा शहर मार्ग एस.डी.एम. ऑफिस से लालपुर चौक तक लं. 1.20 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
14	कवर्धा शहर मार्ग पुराना सिविल न्यायालय पहुंच मार्ग लं. 1.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
15	कवर्धा शहर मार्ग जिला अस्पताल एवं महाविद्या. पहुंच मार्ग लं. 0.80 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
16	कवर्धा शहर मार्ग विभिन्न आंतरिक मार्ग 4.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
17	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 1 से 5 = 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
18	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 6 से 10 = 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है

1	स्वीकृत कार्य का नाम	पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
2	3	4	
19	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 11 से 15 = 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
20	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 31 से 34 = 4.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
21	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 16 से 20 = 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
22	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 21 से 25 = 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
23	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 26 से 30 = 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
24	कवर्धा भोरभदेव पालक मार्ग की कुल लं. 24.80 किमी. 1 से 4 = 4.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
25	कवर्धा भोरभदेव पालक मार्ग की कुल लं. 24.80 किमी. 11 से 14 = 4.00 किमी	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
26	कवर्धा भोरभदेव पालक मार्ग की कुल लं. 24.80 किमी. 17 से 19 = 4.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
27	कवर्धा बायपास मार्ग (नया) कुल लं. 4.04 किमी. 1 से 2 = 4.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
28	कवर्धा बायपास मार्ग (नया) कुल लं. 4.04 किमी. 3 से 4 = 4.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
29	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 1 से 10 = 10.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
30	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 11 से 20 = 10.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
31	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 21 से 30 = 10.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है

स्वीकृत कार्य का नाम		पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4
32	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी .31 से 38 = 8.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
33	बम्हनी से ठकुराईनटोला मार्ग लं. 2.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
34	धानीखुटा से कन्हारी मार्ग लं. 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
35	खारा से डोंगरिया मार्ग लं. 2.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
36	कवर्धा खैरबना मार्ग किमी. 1 से 3 = 3.00 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
37	कवर्धा खैरबना मार्ग किमी. 4 से 6/4 = 2.40 किमी.	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
योग:- 37 कार्य		05-पूर्ण 00-प्रगति पर 32-अप्रारंभ	
पुल कार्य			
निरंक			
भवन कार्य (बजटेट)			
1	कवर्धा जिला कबीरधाम में तहसील कार्यालय में रिकार्ड रूम का भवन का निर्माण	प्रगति पर	06/2017
2	कवर्धा के शा.पी.जी. महाविद्यालय में आडिटोरियम भवन का निर्माण कार्य	प्रगति पर	03/2018
3	शास. पौलीटेक्निक कबीरधाम में कन्या छात्रावास हेतु एक अधीक्षिका आवास गृह का निर्माण कार्य	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
योग:- 3 कार्य		02-प्रगति पर 01-अप्रारंभ	
भवन कार्य (जमा मद)			

	स्वीकृत कार्य का नाम	पूर्ण / प्रगति पर / अप्रारंभ	पूर्णता की संभावित तिथि
1	2	3	4
1	आचार्य पंथ ग्रिन्थ मुनी नाम साहेब पी.जी. कालेज में 8 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य	प्रगति पर	03 / 2017
2	कवर्धा में लाईवलीहुड कॉलेज (आजिविका महाविद्यालय कवर्धा)	प्रगति पर	11 / 2017
3	कबीरधाम में लाईवलीहुड कालेज में 50 सीटर कन्या छात्रावास एवं अधीक्षिका सह चौकीदार आवास निर्माण	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
4	जिला अस्पताल में दरवाजा खिड़की व वेंटिलेटर्स नवीनीकरण	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
5	बोड़ला में एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन निर्माण	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
6	कबीरधाम में प्रसव कक्ष का रिनावेशन जिला चिकित्सालय	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
7	रेंगाखार में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन का निर्माण	अप्रारंभ	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है
	योग:- 7 कार्य	02-प्रगति पर 05- अप्रारंभ	
	वर्ष 2016-17 का कुल योग- 56 कार्य	06-पूर्ण 08-प्रगति पर 42- अप्रारंभ	
	वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 का कुल योग- 87 कार्य	22-पूर्ण 22-प्रगति पर 43- अप्रारंभ	

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 2445) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत संस्थाओं के विकासखण्डवार नाम व पता की जानकारी

क्र	वि.ख.का नाम	वीटीपी का नाम	पता	विभाग का नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
1		शासकीय आई.टी.आई. कोरबा	कोरबा	कौशल विकास विभाग
2		शासकीय महिला आई.टी.आई. कोरबा	कोरबा	कौशल विकास विभाग
3		शासकीय उद्यान रोपणी पताड़ी	कोरबा	उद्यानिकी विभाग
4		वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर कोरबा	वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर कोरबा	पशुपालन विभाग
5		मल्टीपरपस फार्मर इंफोरमेशन सेंटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोरबा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत परिसर, विकासखण्ड-कोरबा	कृषि विभाग
6		सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति	प्रथम तल घंटाघर चौक लोक पुस्तकालय के पास निहारिका रोड कोरबा	
7		कामगार फाल्डेशन	प्लॉट नं.-14 एससीएल कोसाबाड़ी कोरबा	
8	कोरबा	कोरबा शिक्षण समिति	केसीसी कैंपस कोरबा कम्प्युटर कॉलेज, घंटाघर चौक के पास कोरबा	
9		कर्मदक्ष समाज विकास संस्था कोरबा	प्लॉट नं-6 राजश्री कॉम्प्लेक्स मेन रोड कोसाबाड़ी कोरबा	
10		ए.एस.डी.ई. कम्प्युटर एजुकेशन	इंदिरा नगर हाउस नं 271, वार्ड नं 37 छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक बालको नगर के पीछे कोरबा	
11		सम्यक जनसेवा एवं शिक्षण संस्था	एचआईजी 2 नेहरू नगर कोरबा	
12		जिया समाज कल्याण समिति हरदीबाजार	ग्राम पो- हरदीबाजार शिक्षक कॉलोनी हरदीबाजार	
13		सोसाईटी फॉर कम्प्युटर एजुकेशन ट्रेनिंग	सिनियर एमआईजी 85 नेहरू नगर कोरबा	
14		सोसल रिवाइवल ग्रुप ऑफ अरबन रूलर एण्ड ट्राइबल कोरबा	इरिगेशन कॉलोनी चौक दर्सी पो-जमनीपाली	
15	कोरबा	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरबा	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरबा रुमगरा पो-बालको नगर, जिला-कोरबा	तकनीकी शिक्षा
16		वैभव लक्ष्मी महिला कल्याण समिति कोरबा	बालाजी मंदिर के पास रामपुर कोरबा	
17		संघय समाज सेवी संस्था	ग्राम-भुलसीडीह पो-रिस्दी कोरबा	

क्र.	वि.ख.का नाम	वीटीपी का नाम	पता	विभाग का नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
18		प्राकृतिक निकेतन योगात्रम सेवा समिति कोरबा	एमआईजी 98 आर.पी.नगर फेस 2 निहारिका टॉकिज के पीछे कोरबा	
19	कोरबा	लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा	लाईवलीहुड कॉलेज आई.टी.आई कैम्पस कोरबा 495677	कौशल विकास विभाग
20		आईएल एण्ड एफएस स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	वेदांता आईएल एण्ड एफएस स्किल स्कूल बालको कैम्पस बालको नगर कोरबा,	
21		प्रगतिशील युवा मंडल कोरबा	एमआईजी 2 - 32 कोसाबाडी कोरबा, जिला-कोरबा	
22		उपवन महिला एवं बाल विकास समिति	टीपी राठौर क्वॉ.नं. 84 साडा कॉलोनी कोरबा	
23		दक्षता एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाईटी	6732 श्री बालाजी मंदिर मार्ग रामपुर कोरबा छ.ग.	
24		लक्ष्य समाज सेवी संस्था	एमआईजी नं 25 एच.बी.कॉलोनी, आर.पी. नगर निहारिका कोरबा	
25		श्री आचार्य शिक्षण समिति	एचआईजी 2 बुधवारी बाजार कोरबा	
26		नॉलेज इंफिनीटी एजुकेशन सोसाईटी	आईडीएसएमटी कॉम्प्लेक्स हॉल नं.3 घंटाघर निहारिका कोरबा	
27		इनोवेटिव ग्रुप	द्वितीय फ्लोर निशा कॉम्प्लेक्स घंटाघर कोरबा	
28		दर्पण सेवा समिति	द्वितीय फ्लोर राहुल फैंसी स्टोर कॉम्प्लेक्स स्मृति उद्यान मेन रोड निहारिका कोरबा के समाने	
29		सेडमेप कोरबा	डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर फेस 2 दुर्गा पंडाल के पास निहारिका कोरबा	
30		अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति कोरबा	बस स्टैंड कुदमुरा फॉरेस्ट डिवीजन के सामने	
31		स्किल टेक्निकल इंस्टीट्यूट	एचआईजी 11 निहारिका टॉकिज के पास कोरबा	
32		लायंस क्लब ऑफ कोरबा	लायंस स्कूल चांपा रोड सीतामणी कोरबा	
33		तेजसिंह मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल	तेजसिंह मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ए ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा 495677	
34	कोरबा	श्री बालाजी तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्था	हाउस नं 85/8 ओम प्लेट बालाजी मंदिर रोड कोरबा के पीछे 495677	
35		सरगुजा ज्ञानोदय एसोसियेशन	भैसमा अनजोरपाली पो.भैसमा कोरबा	

क्र	वि.ख.का नाम	वीटीपी का नाम	पता	विभाग का नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
36		इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोरबा	बालको-उरगा रिंग रोड ग्राम-झगरहा पो-रिस्दी कोरबा 495683	तकनीकी शिक्षा
37		लायंस शिक्षण समिति	लालूराम कॉलोनी कोरबा	
38		जीजीवसा समिति	प्लॉट नं.303 इदिरा विहार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीपी नगर कोरबा के सामने कोरबा	
39		संचय समाज सेवी संस्था	आर.पी.नगर फेस 1 दशहरा मैदान निहारिका कोरबा छ.ग.	
40		वन परिक्षेत्र कुदमुरा	वन परिक्षेत्र कुदमुरा	वन विभाग
41		वन परिक्षेत्र लेमरु	वन परिक्षेत्र लेमरु	वन विभाग
42		वन परिक्षेत्र कोरबा	वन परिक्षेत्र कोरबा	वन विभाग
43		वन परिक्षेत्र बालको	वन परिक्षेत्र बालको	वन विभाग
44		वन परिक्षेत्र पसरखेत	वन परिक्षेत्र पसरखेत	वन विभाग
45		मंगला काली उत्थान समिति कोरबा	एचआईजी 1 नेहरू नगर कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग.	
46	कोरबा	एसियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एण्ड रिसर्च आर्गेनाइजेशन	श्रीराम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लालूराम कॉलोनी टीपी नगर कोरबा	
47		जिला चिकित्सा एण्ड स्वास्थ्य विभाग कोरबा	रजगामार रोड शासकीय हॉस्पिटल कोरबा छ.ग.	स्वास्थ्य विभाग
48		अरोहन फाउंडेशन	इदिरा मार्केट बालको नगर छ.ग.	
49		उज्ज्वल स्व-सहायता समूह	इदिरा मार्केट बालको नगर छ.ग.	
50		आस्था फाउंडेशन वेलफेयर सोसाईटी	खसरा न. 493/2 रामपुर डिगापुर जिला-कोरबा छ.ग.	
51		जीवन रेखा फाउंडेशन	प्लॉट नं 14 पुराना केसीसी बिल्डिंग कोसाबाड़ी कोरबा	
52		भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कोरबा	दयानंद पब्लिक स्कूल कोसाबाड़ी के पास कोरबा छ.ग.	
53		लीला थंकाचन वेलफेयर सोसाईटी	कुआ मटटा नेहरू नगर कोरबा छ.ग.	
54		शितला माता स्वयं सेवी संस्था	महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स निहारिका घंटाघर चौक कोरबा	
55	कोरबा	जिला सेनानी नगर सेना कोरबा	जिला सेनानी नगर सेना कोरबा	सेनानी विभाग
56		जिला जेल कोरबा	जिला जेल रजगामार कोरबा	जेल विभाग
57		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग
58		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कोरबा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कोरबा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग

क्र.	वि.ख.का नाम	वीटीपी का नाम	पता	विभाग का नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
59	कोरबा	समृद्धि एजुकेशन एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन	शकुंतला हेल्थ क्लिनिक खरमोरा रोड पोड़ीबहार वार्ड नं 29 कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग.	
60		अवसर सेवा संस्था	एमआईजी 2 कोसाबाड़ी कोरबा	
61	करतला	सहायक संचालक मत्स्य करतला	करतला	मत्स्य पालन विभाग
62		शासकीय उद्यान रोपणी पटियापाली	करतला	उद्यानिकी विभाग
63		वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर कोरबा	वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर कोरबा	पशुपालन विभाग
64		मल्टीपरपस फार्मर इंफोरमेशन सेंटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करतला	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत परिसर, विकासखण्ड-करतला	कृषि विभाग
65		अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति कोरबा	मेन रोड तुमान विकासखण्ड-करतला	
66		कोरबा किसान विकास समिति	मेन रोड तुमान विकासखण्ड-करतला ग्राम-कोटमेर	
67	करतला	आर.बी.मेमोरियल शिक्षा एवं सेवा समिति	सदभावना भवन करतला के पास, जिला-कोरबा	
68		कोटमेर शिक्षा विकास समिति	सदभावना भवन करतला के सामने, जिला-कोरबा	
69		शासकीय आईटीआई करतला	शासकीय आईटीआई करतला	कौशल विकास विभाग
70		वन परिक्षेत्र करतला	वन परिक्षेत्र करतला, जिला-कोरबा छ.ग.	वन विभाग
71		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग करतला	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग करतला	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग
72		शासकीय उद्यान रोपणी पडरीपानी	शासकीय उद्यान रोपणी विकासखण्ड-कटघोरा	उद्यानिकी विभाग
73	कटघोरा	वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर कटघोरा	वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर कटघोरा	पशुपालन विभाग
74		मल्टीपरपस फार्मर इंफोरमेशन सेंटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कटघोरा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत परिसर, विकासखण्ड-कटघोरा	कृषि विभाग
75		कामगार फाउंडेशन कटघोरा	विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के पास अंबिकापुर रोड कटघोरा	
76		सरोकार सेवा संस्था	एसबीआई कटघोरा के पास	
77	कटघोरा	सार्थक पहल वेलफेयर	तहसील भाटा रेस्ट हाउस के पीछे तहसील रोड के पास कटघोरा जनपद पंचायत	
78		एग्रीकल्चर साइंस सेटर कोरबा	एग्रीकल्चर साइंस सेटर कोरबा लखनपुर पो-सुतरा विकासखण्ड-पोड़ीउपरोडा, जिला-कोरबा	कृषि विभाग
79	कटघोरा	आईटीआई चोरभट्टी	आईटीआई चोरभट्टी गोपाल छुरी, विकासखण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा छ.ग.	कौशल विकास विभाग

क्र.	वि.ख.का नाम	वीटीपी का नाम	पता	विभाग का नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।	
80		दर्दी परिसर वन परिक्षेत्र कटघोरा	दर्दी परिसर वन परिक्षेत्र कटघोरा	वन विभाग	
81		उप जेल कटघोरा	उप जेल कटघोरा मोहलाईभाटा, विकासखण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा छ.ग.	जेल विभाग	
82	पाली	शासकीय आईटीआई पाली	पाली कोरबा	कौशल विकास विभाग	
83		शासकीय उद्यान रोपणी पोडीलाफा	पाली	उद्यानिकी विभाग	
84		वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर पाली	वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर पाली	पशुपालन विभाग	
85		मल्टीपरपस फर्मर इंफोरमेशन सेंटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाली	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत परिसर, विकासखण्ड-पाली	कृषि विभाग	
86		कामभार फाउंडेशन पाली	सद्गुरु कबीर कॉम्प्लेक्स पाली		
87		पाली कम्प्युटर एजुकेशन सोसाईटी	शासकीय उ.मा.वि.पाली के पास, विकासखण्ड-पाली छ.ग.		
88		उजवला एजुकेशन सोसाईटी	तेंदूपारा मदन पाली, तहसील-पाली, जिला-कोरबा		
89		वन परिक्षेत्र पाली	बस प्रशिक्षण केन्द्र डोंगानाला वन परिक्षेत्र पाली	वन विभाग	
90		वन रोपणी परिसर पाली	वन परिक्षेत्र पाली, जिला-कोरबा	वन विभाग	
91		वन परिसर पाली	वन परिसर पाली	वन विभाग	
92		वन रोपणी नर्सरी परिसर पाली	वन रोपणी नर्सरी परिसर पाली	वन विभाग	
93		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पाली	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पाली	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग	
94		पोड़ीउपरोडा	शासकीय उद्यान रोपणी नगोई	पोड़ीउपरोडा	उद्यानिकी विभाग
95			वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर पोड़ीउपरोडा	वेटनरी हॉस्पिटल-कम-आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर पोड़ीउपरोडा	पशुपालन विभाग
96	मल्टीपरपस फर्मर इंफोरमेशन सेंटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोड़ीउपरोडा		वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत परिसर, विकासखण्ड-पोड़ीउपरोडा	कृषि विभाग	
97	परिमल प्रयास संस्थान		परिमल प्रयास संस्थान, विकासखण्ड-पोड़ीउपरोडा, जिला-कोरबा छ.ग.		
98	शासकीय आईटीआई पोड़ीउपरोडा		जनपद पंचायत कार्यालय के सामने	कौशल विकास विभाग	
99	मत्स्य बीज परिक्षेत्र एतमानगर		मत्स्य बीज परिक्षेत्र एतमानगर, विकासखण्ड-पोड़ीउपरोडा	मत्स्य पालन विभाग	
100	वन परिक्षेत्र पसान		पसान परिसर परिक्षेत्र पसान, विकासखण्ड-पोड़ीउपरोडा	वन विभाग	
101		गुरसियां परिसर वन परिक्षेत्र एतमानगर	गुरसियां परिसर वन परिक्षेत्र एतमानगर	वन विभाग	

क्र.	वि.ख.का नाम	वीटीपी का नाम	पता	विभाग का नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
102	पोड़ीउपरोड़ा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पोड़ीउपरोड़ा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पोड़ीउपरोड़ा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग
103		वन परिक्षेत्र जटगा	वन परिक्षेत्र जटगा, तहसील-पोड़ीउपरोड़ा	वन विभाग
104		निर्मल फाउंडेशन कोरबा	टेलिफोन एक्चेंज टावर बस स्टेण्ड के पास पोड़ीउपरोड़ा कोरबा	

टीप :- विभाग का नाम (जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है) कॉलम में रिक्त स्थान, निजी संस्थाओं द्वारा संचालित है।

प्रपत्र "ब"

कोरबा जिले में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत वीटीपी के विकासखण्डवार नाम व पता की जानकारी

क्र	विकासखंड का नाम	वीटीपी का नाम	वीटीपी का पता	विभाग के नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
1	कोरबा	अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति, कोरबा	शॉप क्र .07 नीलाम्बरी काम्प्लेक्स कोसाबाड़ी कोरबा	
2	कोरबा	आसरा एजुकेशन सोसाइटी	नेहरू नगर	
3	कोरबा	एएसडीई कम्प्यूटर एजुकेशन, कोरबा	क्वार्टर न-100, सेक्टर -5 बालक नगर कोरबा	
4	कोरबा	एशियन स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज	एस एस प्लाजा सेकंड थसवत, रूम क्र. 101,102, पावर हाउस रोड कोरबा	
5	कोरबा	अवनि एजुकेशन सोसाइटी कोरबा	डेली पब्लिक स्कूल, बालको नगर	
6	कोरबा	दक्षता एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी	बालाजी मंदिर रोड रामपुर	
7	कोरबा	एडवर्ड इंटरप्राइजेज	प्लॉट नं. 238 सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, जामनीपाली दर्सी	
8	कोरबा	शासकीय पॉलिटेक्निक, कोरबा	शासकीय पॉलिटेक्निक, कोरबा विलेज रूमगारा पोस्ट बालको, कोरबा	कौशल विकास
9	कोरबा	शासकीय आई टी आई कोरबा	शासकीय आई टी आई कोरबा	कौशल विकास
10	कोरबा	शासकीय महिला आई टी आई कोरबा	शासकीय महिला आई टी आई कोरबा	कौशल-विकास
11	कोरबा	आई एल एंड एफ एस स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कोरबा	बीएलसी कैम्पस, बालको नगर	

क्र	विज्ञापनखंड का नाम	वीटीपी का नाम	वीटीपी का पता	विभाग के नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
12	कोरबा	इनोवेटिव ग्रुप	द्वितीय फ्लोर निश कॉम्प्लेक्स, घंटाघर चौक कोरबा	
13	कोरबा	इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एजुकेशन, कोरबा	ऑफिस न. 43, आईडीएसएमटी कॉम्प्लेक्स, घंटाघर निहारिका	
14	कोरबा	इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एजुकेशन, कोरबा	ऐश्वर्य पैलेस, पं. रविशंकर नगर	
15	कोरबा	जिया समाज कल्याण समिति हरदीबाजार	विलेज पोस्ट हरदी बाजार, टीचर कॉलोनी, हरदी बाजार	
16	कोरबा	कामगार फाउंडेशन, कोरबा	के एम कॉम्प्लेक्स, एसबीआई एटीम बिल्डिंग, टीपी नगर कोरबा	
17	कोरबा	कर्मदक्ष समाज विकास संस्था	प्लॉट न. 6 राजश्री कॉम्प्लेक्स, मेन रोड कोसाबडी कोरबा	
18	कोरबा	नॉलेज इफिनिटी एजुकेशनल सोसाइटी	आईडीएसएमटी कॉम्प्लेक्स हॉल न. 3 घंटाघर, निहारिका	
19	कोरबा	कोरबा शिक्षण समिति कोरबा	कोरबा कम्प्यूटर कॉलेज, के सी सी केमप्स, घंटाघर चौक के पास	
20	कोरबा	लक्ष्य समाज सेवी संस्था	एमआईजी-2/103, रवि शंकर शुक्ला नगर	
21	कोरबा	लायन शिक्षण संस्थान	सीतामडी	
22	कोरबा	लायंस क्लब ऑफ कोरबा	लॉयन्स स्कूल चांपा रोड सीतामडी कोरबा	
23	कोरबा	प्रगतिशील युवा मंडल	आईडीएसएमटी कॉम्प्लेक्स शॉप न. 45 घंटाघर, निहारिका	
24	कोरबा	प्राकृति निकेतन योगाआश्रम सेवा समिति, कोरबा	एमआईजी-98, आर पी नगर, पीएच-2 निहारिका टॉकिज के पीछे	
25	कोरबा	प्रगतिशील युवा मंडल	शाप न. 45 घंटाघर कॉम्प्लेक्स निहारिका	
26	कोरबा	संचय समाज सेवी संस्था	भुलसिडिह, कोरबा	
27	कोरबा	सम्यक जनसेवा एवं शिक्षण संस्था कोरबा	वार्ड न. 25 राजीव विहार, रामपुर	

क्र	विकासखंड का नाम	वीटीपी का नाम	वीटीपी का पता	विभाग के नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
28	कोरबा	श्री अर्चना एजूकेशन सोसायटी	एचआईजी 2 नेहरू नगर कोरबा	
29	कोरबा	स्किल एजुकेशन सोसाइटी	एचआईजी 2 नेहरू नगर कोरबा	
30	कोरबा	स्किल टेक्निकल इंस्टिट्यूट	एचआईजी 11 निहारिका टॉकिज के पास कोरबा	
31	कोरबा	श्रीमति सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति	फर्स्ट फ्लोर हॉल न. 5, घंटाघर चौक, ईसेवा के सामने निहारिका रोड	
32	कोरबा	सोशल रिवाइवल ग्रुप ऑफ अर्बन रूरल एंड ट्राइबल, कोरबा	सिवाई कॉलोनी चौक, दर्री, पोस्ट जामनीपाली	
33	कोरबा	सोसायटी फॉर कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कोरबा	एमआईजी - 85 नेहरू नगर, बुधवारी बाजार, कोरबा	
34	कोरबा	सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन	भैसमा अनजोरपाली पो.भैसमा कोरबा	
35	कोरबा	वैभव लक्ष्मी महिला कल्याण समिति कोरबा,	तुलसी नगर, वार्ड न. 2 कोरबा	
36	कटघोरा	कामगार फाउंडेशन, कटघोरा	विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, अम्बिकारोड, कटघोरा	
37	कटघोरा	सार्थक पहल वेलफेयर सोसायटी, कटघोरा	टींगपुर बंग्लो, गायत्री धर्मशाला के पिछे, न्यू बस स्टैंड कटघोरा	
38	कटघोरा	सार्थक पहल वेलफेयर सोसाइटी कटघोरा	वार्ड न. 2 तहसील भाटा रेस्ट हाऊस के पिछे कटघोरा	
39	पोंड़ी उपरोड़ा	परिमल प्रयास सस्थान, पासन	कोरबा रोड	
40	पोंड़ी उपरोड़ा	निर्मल फाउंडेशन, कोरबा	सुरेश मित्तल निवास, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, बस स्टैंड पोंड़ीउपरोड़ा	
41	पाली	शासकीय आई टी आई पाली	तहसील के पास, पाली	कौशल विकास
42	पाली	जय शंकर नेशनल सामाजिक सेवा आगंजाईनेशन, पाली	संजय कुमार मानिकपुरी के/ऑफ जीवन दास मानिकपुरी लाफा रोड अटल चौक, शांति नगर पाली	

क्र	विभागसखंड का नाम	वीटीपी का नाम	वीटीपी का पता	विभाग के नाम जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है।
43	पाली	कामगार फाउंडेशन, कोरबा	सदगुरु कबीर कॉम्प्लेक्स, पाली	
44	पाली	महिला ग्राम विकास समिति, कोरबा	वार्ड न. 9, पाली कम्प्यूटर एजुकेशन सेंटर शासकीय हायर सेकण्डरी स्कुल के पास,	
45	पाली	पाली कम्प्यूटर एजुकेशन सोसाइटी	शासकीय हायर सेकण्डरी स्कुल के पास	
46	करतला	अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति, कोरबा	मेनरोड ,तुमन करतला	
47	करतला	कोरबा किसान विकास समिति, कोरबा	मेनरोड करतला, करतला ब्लॉक, कोरबा	
48	करतला	आर बी मेमोरियल शिक्षण एवं सेवा समिति	के / ऑफ प्रमोद कुमार श्रीवास, विलेज टूमन मेन रोड सक्ति	

टीप :- विभाग का नाम (जिसके अंतर्गत वीटीपी संचालित है) कॉलम में रिक्त स्थान, निजी संस्थाओं द्वारा संचालित है।

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2639) के भाग (क) की जानकारी]

महासमुंद विकासखंड में 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक हटाये गये अतिक्रमण की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	हटाये गये अतिक्रमण का रकबा (हे.) में	आवासीय / कृषि भूमि
1	बेलसोणडा	0.20	कृषि
2	परसदा (ब)	1.00	कृषि
3	लाफिनकला	22.00	कृषि
4	बड़गांव	14.40	कृषि
5	जामपाली	0.25	कृषि
6	भोरिंग	30.12	कृषि एवं आवासीय
7	मचेवा	3.60	कृषि
8	अछोला	96.00	कृषि
9	पटेवा	3.70	कृषि
10	बरेकेलकला	6.20	कृषि
11	तुरेगा	3.45	कृषि
12	लखनपुर	8.17	कृषि
13	जलकी	1.42	कृषि
14	तुमगांव	1.14	कृषि
15	खैरा	8.00	कृषि
16	खट्टी	0.05	निर्माणाधीन आवासीय
17	चिंगरौद	6.70	कृषि
18	दम्हनी	1.50	कृषि
19	खरोरा	0.04	कृषि
20	कांपा	1.60	कृषि
21	चिरको	0.08	कृषि
योग :-		209.62	

परिशिष्ट "पन्द्रह"

[परिवर्तित-अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2648) के भाग (क) की जानकारी]

नगरनार स्टील प्लांट हेतु फरवरी 2017 तक अधिग्रहित भूमि का विवरण

वर्ष - 2001

क्रमांक	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	रकबा (हे.मै.)
1	नगरनार	145	157.71
2	कस्तुरी	92	62.55
3	आमागुड़ा	48	43.44
4	मंगनपुर	18	25.11
कुल योग :-		303	288.81

वर्ष - 2010

क्रमांक	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	रकबा (हे.मै.)
1	नगरनार	119	26.35
2	कस्तुरी	165	71.29
3	मंगनपुर	326	96.07
4	आमागुड़ा	55	16.06
5	चोकावाड़ा	26	16.53
6	उपनपाल	51	8.79
7	माड़पाल	233	63.79
8	बीजापुट	77	19.86
कुल योग :-		1052	318.74

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सोलह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 212) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण/मरम्मत

क्र.	वर्ष	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की संख्या	निरस्त कार्यों की संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति		
					पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2012-13	पुल-पुलियां कार्य	3	0	3	0	0
		भवन कार्य	0	0	0	0	0
		सड़क कार्य	74	12	62	0	0
		योग :-	77	12	65	0	0
2	2013-14	पुल-पुलियां कार्य	0	0	0	0	0
		भवन कार्य	0	0	0	0	0
		सड़क कार्य	117	87	29	1	0
		योग :-	117	87	29	1	0
3	2014-15	पुल-पुलियां कार्य	5	0	1	4	0
		भवन कार्य	0	0	0	0	0
		सड़क कार्य	18	4	11	3	0
		योग :-	23	4	12	7	0
4	2015-16	पुल-पुलियां कार्य	4	0	0	4	0
		भवन कार्य	0	0	0	0	0
		सड़क कार्य	40	3	28	7	2
		योग :-	44	3	28	11	2

क्र.	वर्ष	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की संख्या	निरस्त कार्यों की संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति		
					पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	2016-17 (15 फरवरी 2017 तक)	पुल-पुलियां कार्य	1	0	0	0	1
		भवन कार्य	0	0	0	0	0
		सड़क कार्य	41	0	7	7	27
		योग :-	42	0	7	7	28
	कुल योग :-	पुल-पुलियां कार्य	13	0	4	8	1
		भवन कार्य	0	0	0	0	0
		सड़क कार्य	290	106	137	18	29
महायोग :-			303	106	141	26	30

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 461) की जानकारी]

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष	फीस से प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	जनभागीदारी शुल्क के रूप में वर्ष में प्राप्त राशि	पूर्व वर्ष का शेष राशि	योग	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	2015-16	1360597.00	1129343.00	231254.00	2550400.00	912481.00	3462881.00	2620241.00	842640.00
		2016-17	1178654.00	520196.00	658458.00	2046600.00	871106.00	2917706.00	1223691.00	1694015.00
2	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	2015-16	106592.00	61636.00	44956.00	93600.00	89345.00	182945.00	84254.00	98691.00
		2016-17	124704.00	37051.00	87653.00	167800.00	101642.00	269442.00	64579.00	204863.00

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष	फीस से प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	जनमागीदारी शुल्क के रूप में वर्ष में प्राप्त राशि	पूर्व वर्ष का शेष राशि	योग	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	2015-16	1360597.00	1129343.00	231254.00	2550400.00	912481.00	3462881.00	2620241.00	842640.00
		2016-17	1178654.00	520196.00	658458.00	2046600.00	871106.00	2917706.00	1223691.00	1694015.00
2	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	2015-16	106592.00	61636.00	44956.00	93600.00	89345.00	182945.00	84254.00	98691.00
		2016-17	124704.00	37051.00	87653.00	167800.00	101642.00	269442.00	64579.00	204863.00

परिशिष्ट "अट्टारह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 477) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में भवनों के निर्माण की स्थिति

क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ
		राशि (रु०लाखमें)	दिनांक	
1	2	3	4	5
वर्ष 2014 से दिसम्बर 2016 तक				
1	जिला जांजगीर-चांपा वि.ख. बम्हनीडीह के देवरी में शा०उ०मा०वि० भवन का निर्माण।	95.35	01.10.2014	पूर्ण
2	सक्ती में शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण।	246.51 (पुनरीक्षित)	30.06.2016	पूर्ण
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सारागांव में 50 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण।	147.96 (पुनरीक्षित)	27.08.2016	पूर्ण
4	जिला जांजगीर-चांपा वि.ख. सक्ती के नगरदा में शा०उ०मा०वि० भवन का निर्माण	95.35	15.06.2015	प्रगति पर
5	व्यवहार न्यायालय सक्ती, जिला-चांपा में न्यायिक कर्मचारियों हेतु 06 नग जी टाईप आवास गृह का निर्माण।	66.44	17.03.2016	प्रगति पर
6	शा०उ०मा०वि० चोरिया वि०ख० बम्हनीडीह में भवन निर्माण।	145.68	25.10.2016	अप्रारंभ
	कुल-06 कार्य	797.29		03 पूर्ण, 02 प्रगति 01 अप्रारंभ

परिशिष्ट "उन्नीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 617) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिले में वर्ष 2013 से 31-01-2017 तक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिये गये प्रशिक्षण की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	बरमकेला	533
2	धरमजयगढ़	749
3	घरघोड़ा	365
4	खरसिया	294
5	लैलूंगा	353
6	पुसौर	339
7	रायगढ़	8460
8	सारंगढ़	884
9	तमनार	1185
	कुल योग	13162

रायगढ़ जिले में वर्ष 2013 से 31.01.2017 तक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत दिये गये प्रशिक्षण की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	बरमकेला	1033
2	धरमजयगढ़	40
3	घरघोड़ा	0
4	खरसिया	0
5	लैलूंगा	0
6	पुसौर	40
7	रायगढ़	3250
8	सारंगढ़	454
9	तमनार	0
	कुल योग	4817

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले में 113 शासकीय एवं 29 अशासकीय संस्थाये संचालित है।

केन्द्रवार ट्रेडवार प्रशिक्षण की जानकारी

क्र	केन्द्र का नाम	क्र.	ट्रेड का नाम
1	2	3	4
1	आदर्श फॉउंडेशन	1	फ्रन्ट आफिस कम रिशेषनिष्ट
2	छत्तीसगढ़ अत्याव्यवसायी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	2	डाइवर कम प्यून
		3	टेलर (बेसिक स्विंग आपरेटर)
		4	जिंक-जैक मशीन एम्ब्राडरी
3	सिविल हास्पिटल खरसियां	5	बेडसाइड असिस्टेंट
4	गोल्डन फ्यूचर सेवा समिती	6	फ्रन्ट आफिस कम रिशेषनिष्ट
5	आयुर्वेद डिस्पेंसरी सरिया	7	नेचुरोथैरेपिस्ट 1
6	हर्टीकल्चर नर्सिरी धरमजयगढ़	8	गार्डनर्स
7	हर्टीकल्चर नर्सिरी नदीगांव बरमकेला	9	गार्डनर्स
8	जिनू वेल्फेयर सोसायटी	10	कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट
9	मनह कन्सलटेंसी एवं कंप्यूटर इन्स्टीट्यूट	11	रिपेयर ऑफ मेटनेस आफ पर्सनल इलेक्टानिक डिवाइस
		12	असिस्टेंट फैशन सेल्स एण्ड शोरुम रिप्रजेटिव
10	माइक्रोबीट कंप्यूटर-	13	बेडसाइड असिस्टेंट
		14	नर्सिंग एड्स
11	ओलिव डायग्नोस्टिक प्रा. लिमिटेड	15	नर्सिंग एड्स
		16	लेबोरेटरी असिस्टेंट
12	प्रगति कौशल प्रशिक्षण केन्द्र रायगढ़	17	इलेक्ट्रीशियन
		18	रिपेयर ऑफ मेटनेस आफ रेफ्रिजरेशन
13	रायगढ़ कंप्यूटर कॉलेज	19	अकाउंटिंग
		20	कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट
14	रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज पुंजीपथरा	21	मेशन
		22	प्लंबर
		23	इलेक्ट्रीशियन डोमेसटिक
		24	आर्क एण्ड गैस वेल्डर
		25	मेटनेस एण्ड रिपेयर ऑफ बैकहोल लोडर एण्ड फ्रंट इंड लोडर विल
		26	बेसिक फिंटीग वर्क
		27	हाउस होल्ड सर्विस (जनरल)
		28	रिपेयर एण्ड मेटनेस आफ विन्डो एण्ड स्मिट ए.सी.
		29	इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी गार्ड

क्र	केन्द्र का नाम	क्र.	ट्रेड का नाम
1	2	3	4
15	रुलर इंजिनियरिंग सर्विस सब डिविजन, धरमजगढ़	30	असिस्टेंट मेशन
16	रुलर इंजिनियरिंग सर्विस सब डिविजन, लैलूंगा	31	असिस्टेंट मेशन
17	श्रीमती. सावित्री देवी शिक्षण समिति, रायगढ़	32	असिस्टेंट फायर ऑपरेटर
18	तसर प्रशिक्षण केन्द्र, आमघाट	33	रिलर
19	तसर प्रशिक्षण केन्द्र, बर्रा	34	रिलर
20	तसर प्रशिक्षण केन्द्र, कोतरलिया	35	रिलर
21	तसर प्रशिक्षण केन्द्र, लोईंग	36	रिलर
22	तसर प्रशिक्षण केन्द्र, पड़िगांव	37	रिलर
23	तसर प्रशिक्षण केन्द्र, शकरबोगा	38	रिलर
24	उत्तम मेमोरियल कॉलेज रायगढ़	39	एकाउंटिंग
25	वेटेनरी हॉस्पिटल घरघोड़ा	40	काऊ बॉय
		41	वेक्सनेटर
		42	पोल्ट्री फार्मिंग
26	वेटेनरी हॉस्पिटल लैलूंगा	43	काऊ बॉय
		44	वेक्सनेटर
27	वेटेनरी हॉस्पिटल, सारंगढ़	45	पोल्ट्री फार्मिंग
		46	डेयरी फार्मिंग
28	वेटेनरी डिस्पेंसरी, कुडेकेला	47	पोल्ट्री फार्मिंग
29	वेटेनरी डिस्पेंसरी, पखनाकोट	48	पोल्ट्री फार्मिंग
30	वेटेनरी डिस्पेंसरी ससकोबा	49	पोल्ट्री फार्मिंग
31	वेटेनरी डिस्पेंसरी सिसरिंगा	50	पोल्ट्री फार्मिंग
32	वेटेनरी डिस्पेंसरी ठाकुर पोडी	51	पोल्ट्री फार्मिंग
33	जिला जेल कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, रायगढ़	52	क्यूल्टीवेशन ऑफ वेजीटेबलस्
		53	बार-बैंडर
		54	मेशन
		55	इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक
		56	योगा थिरेपिस्ट

प्रपत्र "स"

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु वर्षवार आबंटित एवं व्यय राशि की जानकारी

वर्ष	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि
1	2	3
2013-14	14566233	15649301
2014-15	20646850	18868644
2015-16	39853400	14167277
2016-17	33800000	25465970

स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत प्रशिक्षण के विरुद्ध भुगतान की गई राशि का विवरण

वर्ष	आबंटित राशि	भुगतान की गई राशि
1	2	3
2013-14	-	6914400
2014-15	-	5483720
2015-16	-	2883750
2016-17	-	निरंक

परिशिष्ट "बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 626) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मरईगुड़ा से गोलापल्ली 8 किमी. सड़क निर्माण की लागत एवं पुल-पुलियां की जानकारी

लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर

(रु. लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत	फर्म (ठेकेदार) का नाम	स्ट्रेचवार कार्य की अद्यतन स्थिति	
					सड़क कार्य	पुल पुलिया कार्य
1	2	3	4	5	7	8
1	धितलनार-मरियागुड़म मार्ग	किमी 57 से 59 = 3.00 किमी लिंगलपल्ली के पहले।	252.47	श्री पी. अमर कुमार	3 किमी. डामरीकरण	04 नग पुलिया पूर्ण किमी 57/2 = 01 नग पुलिया प्रगति पर
2	धितलनार-मरियागुड़म मार्ग	किमी 60 से 62 = 3.00 किमी लिंगलपल्ली के पास।	265.90	श्री पी. अमर कुमार	3 किमी. डामरीकरण	03 नग पुलिया पूर्ण किमी 61/6 = 01 नग पुलिया कार्य प्रगतिरत
3	धितलनार-मरियागुड़म मार्ग	किमी 63 से 65 = 3.00 किमी मरियागुड़म के पास।	292.35	श्री पी. अमर कुमार	3 किमी. डामरीकरण	04 नग पुलिया पूर्ण
योग :- (3 स्ट्रेच)		9 कि.मी.	810.72		डामरीकरण 9.00 किमी. पूर्ण	11 नग पुलिया पूर्ण, 2 नग प्रगति पर

परिशिष्ट "इक्कीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 627) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला सुकमा में धर्मपेन्टा से किस्टाराम सड़क निर्माण

लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर

(रु. लाख में)

स.क्र.	जिला का नाम	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	कार्य की लागत	फर्म (ठेकेदार) का नाम	पुल-पुलियों का प्रस्तावित स्थल किलोमीटरवार	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)		वित्तीय
							सड़क कार्य	पुल पुलिया कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुकमा	किस्टाराम-धर्मपेन्टा-पैदागुडम मार्ग लंबाई 12.00 कि.मी. पुल-पुलिया सहित	12.00	2538.62	श्री के.मोहन रेड्डी	(1) कि.मी. 1/4, 1/8, 1/10(2 नग), 2/2, 2/4, 2/8, 2/8, 3/2, 3/8, 3/10, 4/2, 4/8, 4/8, 5/2, 5/4(2 नग), 5/8, 6/8, 6/10, 10/4, 7/4, 8/4, 8/8, 9/8(2 नग), 10/4, 12/8, 12/8, कुल-28 नग पुल-पुलिया	मिट्टी कार्य 12.00 कि.मी. पूर्ण एवं जी.एस.डी. 4.00 कि.मी. प्रगति पर, (अपूर्ण)	(कि.मी. 1/8) 1 नग पुलिया (अपूर्ण) एवं 28 नग अप्रारंभ	363.57

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1246) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

आरंग नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय अधिलेखानुसार तालाब/डबरी की जानकारी

क्र	तालाब का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	शासकीय/निजी	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1	मोहन डबरी	1863	0.809	निजी	
2	कांदा डबरी	2655	0.550	निजी	
3	दबका तालाब	2664	4.905	निजी	
4	रानीसागर तालाब	2661	4.654	निजी	
5	पचरी डबरी	2683	0.401	निजी	
6	डबरी	3365	2.157	निजी	
7	केवशी तालाब (पानी के नीचे)	3402/1	5.362	निजी	
8	बड़े नकटी तालाब	3680	2.687	निजी	
9	छोटे नकटी तालाब	3683/1	3.175	निजी	
10	बुढी डबरी	3781	0.757	निजी	
11	शिवनाथ डबरी	3784	1.011	निजी	
12	जलसेन तालाब	2666/1	2.351	निजी	
13	डबरी (पानी के नीचे)	3669/3	0.433	शासकीय	
14	महाभाया तालाब (पानी के नीचे)	3730	1.841	शासकीय	
15	नारायणबन्ध तालाब (पानी के नीचे)	3732/1	5.686	शासकीय	
16	रनबीहार तालाब (पानी के नीचे)	3748	2.731	शासकीय	
17	गस्ताही तालाब (पानी के नीचे)	24	1.089	शासकीय	
18	ठाकुरदिया तालाब (पानी के नीचे)	322	2.529	शासकीय	
19	हथमार तालाब (पानी के नीचे)	330	2.363	शासकीय	
20	खरखरा तालाब (पानी के नीचे)	950	2.258	शासकीय	
21	कुकरी डबरी (पानी के नीचे)	978	1.416	शासकीय	
22	खल्लारी डबरी (पानी के नीचे)	1578	0.344	शासकीय	
23	नया तालाब (पानी के नीचे)	1924	1.675	शासकीय	
24	डबरी (पानी के नीचे)	1974	0.724	शासकीय	
25	अधियार खोर तालाब (पानी के नीचे)	2023	1.574	शासकीय	
26	अधियार खोर तालाब (पानी के नीचे)	2093	3.136	शासकीय	
27	गुठियारी तालाब (पानी के नीचे)	2242	2.328	शासकीय	
28	दमोहा तालाब (पानी के नीचे)	3306	2.946	शासकीय	
29	बड़े घोघयाई तालाब (पानी के नीचे)	3339	2.440	शासकीय	
30	छोटे घोघयाई तालाब (पानी के नीचे)	3253	0.716	शासकीय	
31	पडरी तालाब (पानी के नीचे)	3480	3.642	शासकीय	
32	कैठा तालाब (पानी के नीचे)	3582	2.845	शासकीय	
33	भण्डारी तालाब (पानी के नीचे)	2457/1	2.748	शासकीय	
34	काना भैरा डबरी (पानी के नीचे)	2620	1.764	शासकीय	
35	समेरिया डबरी (पानी के नीचे)	2653	2.784	शासकीय	
36	झलमला तालाब (पानी के नीचे)	2725/1	13.354	शासकीय	
37	ठाकुरदिया डबरी (पानी के नीचे)	3152	0.462	शासकीय	
38	बावली डबरी	3396	0.214	शासकीय	
39	डबरी	1925	0.041	शासकीय	

प्रपत्र "ब"

कार्यालय तहसीलदार आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

महाभाया तालाब पार वार्ड क्रमांक 13 में अतिक्रमण धारियों की सूची।

1. चिंताराम पटेल / गोवर्धन पटेल
2. बल्ला साहू(अनिल) / मोहन साहू
3. श्रीमती ललिता गेण्डे / स्व. बहुरदास
4. श्रीमती बुधियारिन लोधी / स्व. रतन
5. उमेश साहू / बुधराम साहू
6. श्रीमती बदरा बाई साहू / स्व. सुखनंदन साहू
7. जितेन्द्र साहू / गणेश साहू
8. उस्मान भाटी / इकबाल भाटी
9. हबलू खान / स्व. सलीम खान
10. मनोहर लोधी / स्व. गोपाल लोधी
11. लाला साहू
12. जमानुद्दीन तंवर / स्व. गनी
13. ममता अहिरवार / स्व. सुखराम
14. शकुन साहू /
15. मोहन साहू / स्व. सोनउ साहू

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1360) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर में पॉवर प्लांट द्वारा किये गये वृक्षारोपण संबंधी जानकारी

स. क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	किये गये वृक्षारोपण का स्थल	अद्यतन स्थिति में रोपित पौधों की संख्या	मंडल की सम्मति में निर्दिष्ट वृक्षारोपण	उद्योग द्वारा मंडल की सम्मति में वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट शर्त की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही	वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट शर्त की पूर्ति नहीं किये जाने पर उद्योग के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	मेसर्स आर. के. एम. पॉवर जेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला-जाजगीर-चांपा	जलाशय क्षेत्र, तालाब के चारों ओर, राखड़ बांध के चारों ओर, मंदिर क्षेत्र, लेबर कॉलोनी, हॉस्टल क्षेत्र, साईलो एरिया, कूलिंग टॉवर एरिया, पुराना वर्कशॉप एरिया, मटेरियल यार्ड, केकरामाट गांव, नहर मार्ग, सिक्यूरिटी गार्ड क्वार्टर के पीछे, ग्राम-घिवरा, धोबनीपाली, बांधापाली, खनहाकोट, डेकरापाली एवं उच्चपिंडा आदि।	330000	उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण	उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।	प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
2.	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-उमरा, जिला-जाजगीर-चांपा	ऊर्जा हॉस्टल क्षेत्र, राखड़ बांध क्षेत्र, जलाशय क्षेत्र, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं डी.एम. प्लांट एरिया, ऐश साईलो एरिया, खेल मैदान के सामने, स्वीच यार्ड आदि।	189926	उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण	उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र 210 एकड़ में से 190 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है।	वृक्षारोपण हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।
3.	मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिंघीतराई, तहसील-उमरा, जिला-जाजगीर-चांपा	पॉवर ब्लाक, कोल हैण्डलिंग प्लांट, वॉटर स्टोरेज रिजर्वायर, कॉलोनी एवं कॉलोनी पहुंच मार्ग, मेन गेट एवं मुख्य मार्ग के किनारे आदि।	250000	उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण	उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र 290.5 एकड़ में से 249 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है।	उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है। वृक्षारोपण हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1807) की जानकारी]

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में स्वीकृत एवं स्वीकृत पद के विरुद्ध संकायवार नियमित/सविदा के रूप में कार्यरत की जानकारी

क्र.	पदनाम	ब्रांच का नाम	स्वीकृत	भरे	
				नियमित कार्यरत	सविदा कार्यरत
1	प्राध्यापक	सिविल	02	0	0
		मेकेनिकल	02	0	0
		इलेक्ट्रीकल	02	0	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स	02	1	0
		माईनिंग	01	0	0
		सूचना प्रौद्योगिकी	01	0	0
		गणित	01	1	0
		भौतिकी	01	1	0
		रसायन	01	0	0
	योग	13	03	00	
2	सह-प्राध्यापक	सिविल	03	1	0
		मेकेनिकल	03	1	0
		इलेक्ट्रीकल	03	0	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स	03	1	0
		माईनिंग	02	0	0
		सूचना प्रौद्योगिकी	02	0	0
		गणित	02	0	0
		भौतिकी	02	0	0
		रसायन	01	0	0
		अंग्रेजी	01	0	0
	योग	22	03	00	
3	सहायक प्राध्यापक	सिविल	07	4	0
		मेकेनिकल	07	7	1
		इलेक्ट्रीकल	07	2	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स	07	6	1
		माईनिंग	07	1	0
		सूचना प्रौद्योगिकी	07	0	0
		गणित	03	3	0
		भौतिकी	02	0	0
		रसायन	02	1	1
		अंग्रेजी	02	1	0
		एप्लाइड जियोलॉजी	01	0	0
		सिस्टम एनालिस्ट	01	0	0
	योग	53	25	03	
	महायोग	88	31	03	

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1852) के भाग (ख) की जानकारी]

राष्ट्रीय राजमार्ग में अर्जित की जा रही भूमियों की ग्रामवार सूची

क्र.	ग्राम का नाम	कुल कृषक	भुगतान हेतु कुल राशि	कुल अर्जित रकबा	भुगतान किये गये कृषकों की संख्या	वितरित राशि	भुगतान हेतु शेष कृषकों की संख्या	भुगतान हेतु शेष राशि
1	हथनेवरा	58	162540884	9.559	53	140636223	5	21904661
2	अफरीद	76	135446022	13.624	58	98635703	18	36810319
3	सारागांव	80	187328333	12.990	57	147198763	23	40129570
4	रिसदा	23	43112110	3.948	17	37472209	6	5639901
	सकरली(वा)	42	63462241	3.389	22	30028795	20	33433446
6	पारथा	35	109740252	7.038	29	98523089	6	11217163
7	नवापाराखुर्द	2	800520	0.127	2	800520	0	0
8	हरेती	11	9508781	1.200	10	9089923	1	418858
9	ओड़की	24	28978171	2.649	22	27482131	2	1496040
	बगबुड़वा	9	15020225	1.779	8	13171427	1	1848798
	बोरदा	77	75859457	10.581	57	62677513	20	13181944
	गतेशपालीखुर्द	30	25587248	4.566	18	14005086	12	11582162
	रगजा	43	75153280	6.202	39	72492160	4	2661120
	नरानियाकला	60	88660112	7.773	47	74273630	13	14386482
	कुल:-	570	1021197636	85.425	439	826487172	131	194710464

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1927) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र केशकाल के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में आर.बी.सी. 6-4 के तहत अनुदान सहायता राशि वितरण की जानकारी

क्र	वर्ष	तहसील	अग्नि से क्षति		जनहानि		मकान क्षति		पशुक्षति		कुआ से क्षति		सूखा से क्षति		ओलावृष्टि से फसल क्षति		अतिवृष्टि से फसल क्षति (रिश गाद से क्षति)		महायोग	
			संख्या	वितरित राशि	संख्या	वितरित राशि	संख्या	वितरित राशि	संख्या	वितरित राशि	संख्या	वितरित राशि	कृषक संख्या	वितरित राशि	क संख	वितरित राशि	क संख	वितरित राशि	क्षति संख्या	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2014-15	फरसगढ़	6	23200	14	2100000	110	407900	25	263650	0	0	0	0	0	0	129	448104	284	3242864
2		केशकाल	2	10737	12	1800000	55	343350	9	151200	0	0	0	0	0	0	0	0	78	2305287
3		बुधसजपुर	7	37886	18	2269300	72	344800	2	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	97	2671986
		मौला	15	71823	42	8159300	237	1096050	36	444850	0	0	0	0	0	0	129	448104	469	8220127
1	2015-16	फरसगढ़	0	0	19	6489000	81	358800	27	517800	2	1100	10063	65478883	0	0	69	300140	10261	73058723
2		केशकाल	6	23144	12	4500000	47	502800	14	370000	0	0	10822	55746557	0	0	1	4941	10902	61447442
3		बुधसजपुर	5	63059	18	4950000	19	60800	7	155000	1	20000	8391	33673413	0	0	0	0	8441	38912272
		मौला	11	78203	39	18160000	147	922400	48	1042800	3	21100	28276	154898863	0	0	70	305081	29904	173416437

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2263) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र०	आवेदक का नाम	आवेदन का प्रकार	आवेदन की तिथि	मांग की गई भूमि का रकबा	आबंटित भूमि	आबंटन की तिथि
01	02	03	04	05	06	07
1	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	शास0	17.10.2013	100 एकड़	2,04,771.12 वर्गमी.	07.01.2015
2	सिकल सेल इस्टीट्यूट	शास0	01.08.2013	25 एकड़	100193.6 वर्गमी.	23.01.2014
3	डॉ० शुकांत कुमार बेहरा	निजी	07.05.2014	1000 वर्गमी.	1000 वर्गमी.	01.07.2014
4	डॉ० सुनील व्यास,	निजी	04.12.2012	1000 वर्गमी.	1000 वर्ग मी.	30.05.2013
5	सत्य साई हेल्थ एजुकेशन	निजी	06.09.2011	50 एकड़	12.10 हेक्टेयर	21.12.2011
6	डॉ० अंकुर गुप्ता	निजी	25.09.2013	1107 वर्गमी.	1107 वर्गमी.	11.02.2014
7	डॉ० मोहम्मद एयाज खान	निजी	25.07.2015	2242.40 वर्गमी.	2242.40 वर्गमी.	23.10.2015
8	डॉ० नवीन कुमार साहू	निजी	25.07.2015	1365.70 वर्गमी.	1365.70 वर्गमी.	23.10.2015
9	लाईफ वर्थ डॉयग्नोस्टिक सेंटर	निजी	25.07.2015	1114.70 वर्गमी.	1114.70 वर्गमी.	06.11.2015
10	डॉ० जी०बी० गुप्ता	निजी	01.03.2014	2376 वर्गमी.	2376 वर्गमी.	16.05.2014
11	सरोज सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल	निजी	26.08.2015	8040.31 वर्गमी.	8040.31 वर्गमी.	12.01.2016
12	डॉ. भरत सिघानिया	निजी	19.10.2016	2000 वर्गमी.	2000 वर्गमी.	18.01.2017
13	गणेश विनायक	निजी	19.10.2016	679.51 वर्गमी.	679.51 वर्ग मी.	18.01.2017
14	श्री बालाजी इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर	निजी	30.12.2016	50 एकड़	—	प्रक्रियाधीन

प्रपत्र "ब"

भू-खण्ड आवंटन की शर्तें

01. पट्टेदार (शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय उपक्रम/संस्था) नया रायपुर विकास योजना 2031 के प्रावधानों के अध्याधीन निम्नलिखित शर्तों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए :-
- (अ) पट्टेदार निस्तार पत्रक एवं रूढ़ी पत्रक में दर्ज सुखाचार विधि अनुसार प्रदान करेगा।
 - (ब) सार्वजनिक उपयोग हेतु यदि भूमि के किसी भाग की आवश्यकता होगी तो पट्टेदार मना नहीं करेगा।
 - (स) विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण होते तक पुराने प्रचलित मार्गों पर सार्वजनिक आवागमन का अधिकार यथावत रहेगा।
 - (द) विकास शुल्क (सड़क, बिजली, पानी इत्यादि हेतु), व्यपवर्तन शुल्क अथवा अन्य कोई कर अधिरोपित होने की दशा में पट्टेदार उसका भुगतान करेगा।
 - (ई) भवन निर्माण के एक माह के अंदर भवन एवं भूमि के दूषित जलोत्वरण एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंध अपने स्वयं के खर्च से पट्टेदार अपने भवन एवं भूमि के लिए व्यवस्था करेगा।
 - (फ) एन.आर.डी.ए. दूषित जलोत्वरण तथा ठोस अपशिष्ट संबंधी अनुज्ञास की शिकायतों की जाँच करेगा और यदि पट्टेदार उसे सूचना दिये जाने पर सूचना में निर्धारित अवधि में निराकरण/समाधान नहीं करता है तो एन.आर.डी.ए. स्वयं निराकरण/समाधान करायेगा और जो खर्च आवेगा उसे पट्टेदार से वसूल कर सकेगा।
02. पट्टेदार द्वारा एन.आर.डी.ए. अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, या उसके द्वारा अधिकृत की गई सेवा प्रदाय करने वाली एजेंसी ऐसे व्यक्तियों के साथ जो किसी जल प्रदाय पाइप लाईन, दूषित जलोत्वरण, मल प्रवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, विद्युत प्रणाली, टेली कम्यूनिकेशन प्रणाली आदि के डालने, मरम्मत अथवा बदलने तथा उससे संबंधित कार्य के लिये, साथ ही इन सेवा प्रणालियों के संबंध में संधारण करने या मरम्मत के प्रयोजन के लिये जैसा आवश्यक हो, उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने की अनुमति देगा।
03. पट्टेदार उपरोक्त खण्ड (2) में उल्लेखित सेवा प्रणालियों पर उन्हें डालने वाले अधिकारी की लिखित पूर्व की अनुमति के बिना बाधा नहीं डालेगा, निर्माण नहीं करेगा अथवा उनमें अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा।
04. एन.आर.डी.ए. की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना पट्टेदार उक्त भूमि का निर्धारित/विहित किये गये उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये न तो उपयोग करेगा, न किसी अन्य को ऐसी अनुमति देगा।
05. पट्टेदार उक्त भूमि पर किसी प्रकार से मादक एवं विस्फोटक पदार्थों आदि के निर्माण, विक्रय अथवा रखने हेतु उपयोग नहीं कर सकेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।

06. पट्टेदार उक्त भूमि पर किसी भी धार्मिक इमारत का न तो निर्माण करेगा और न ही उसके निर्माण की अनुमति देगा और न ही उक्त भूमि को ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग लेने देगा।
07. पट्टेदार आबंटन की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करेगा। पट्टा पंजीकृत कराये जाने हेतु आवश्यक पंजीयन शुल्क आदि जो भी व्यय होगा उसे पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा। पट्टेदार उक्त भूमि का उपयोग सिर्फ निर्धारित/विहित प्रयोजन हेतु कर सकेगा। पट्टेदार द्वारा एन.आर.डी.ए. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था आदि को किसी भी प्रकार से अभिहस्तांकन या हस्तांतरित नहीं किया जावेगा और न ही उप-पट्टे पर दिया जावेगा।
08. पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि पर एन.आर.डी.ए. की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर नलकूप खनन नहीं किया जावेगा।
09. पट्टेदार द्वारा भवन अनुज्ञा के अनुसार ही भवनों का निर्माण किया जावेगा तथा प्रत्येक भवन में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण एवं संधारण किया जावेगा।
10. लीज पट्टादार द्वारा मंजूर की गई 30 वर्ष की अवधि के अंत में और इसके बाद भी दो बार प्रत्येक 30 वर्ष की अनुवर्ती अवधि के लिये पट्टेदार के निवेदन पर और उसके खर्च पर नवीनीकरण मंजूर की जायेगी, जिसके लिये उक्त भूमि का नवीनीकरण पट्टा निष्पादित करेगा।

वर्तमान में भू-भाटक प्रब्याजी के 2 प्रतिशत की दर से लगेगा परंतु पट्टे के प्रत्येक नवीनीकरण के समय तत्समय भाड़ा 100 प्रतिशत अधिकतम तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकरण पट्टे में उसमें दी गई ऐसी शर्तें जो कि हो सकती हो और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य में उपयुक्त समझी जाये, रखी जा सकेगी।

परंतु यह और कि प्रत्येक अनुवर्ती नवीनीकरण पर नियत किये जाने वाले भाड़े और लगाये जाने वाली शर्तों के संबंध में एन.आर.डी.ए. का निर्णय अंतिम होगा।

11. पट्टेदार पट्टा अभिलेख के निष्पादन के एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्राप्त कर भवन का निर्माण प्रारंभ कर देगा और तीन वर्ष की अवधि में भवन पूर्ण कर पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए भवन का उपयोग प्रारंभ कर देगा। विलंब की स्थिति में निम्नानुसार सरचार्ज देय होगा—

समय वृद्धि का खण्ड	समय वृद्धि की अवधि	अतिरिक्त प्रभार राशि प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में
प्रथम	बारह माह या उसका अंश	बीस
द्वितीय	प्रथम समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	पच्चीस
तृतीय	द्वितीय समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	तीस
चतुर्थ	तृतीय समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	पैंतीस
पंचम	चतुर्थ समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	चालीस

12. पट्टेदार समस्त जलस्रोत जैसे तालाब, नाला आदि को संरक्षित रखेगा, बिना अनुमति इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा।
13. पट्टेदार समस्त वृक्षों को सुरक्षित रखेगा, बिना अनुमति इन्हें नहीं काटेगा।
14. पट्टा के करारनामा में किसी भी शर्त के बावजूद विवाद उपस्थित होने पर प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का निर्णय अंतिम होगा जिसे पट्टेदार को मानना अनिवार्य है।
15. यह कि पट्टेदार पर छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के समस्त प्रावधान बंधनकारी होंगे।

परिशिष्ट "अट्‌टाईस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2338) के भाग (ख) की जानकारी] .

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों, पुल पुलिया के संधारण एवं पुनर्निर्माण की स्वीकृति

क्र.	कार्य का नाम
1	2
वर्ष 2015-16	
सड़क कार्य	
1	आंछी से जोगीपुर से खैरवार मार्ग लं. 2.45 किमी. 9 नग पुलिया सहित
2	जिला कबीरधाम के खडौदाकला से कुसुमघटा पहुंच मार्ग लं. 3.40 किमी. 5 नग पुलिया सहित
3	घुघरी कला से पालीगुढ़ा मार्ग लं. 1.85 किमी. 3 नग पुलिया सहित
4	कबीरधाम के मक्के से सेमो मार्ग लं. 2.30 किमी. 3 नग पुलिया सहित
5	कबीरधाम के खरहट्टा से कुसुमघटा मार्ग लं. 5.20 किमी. 5 नग पुलिया सहित
6	घोटिया से जुनवानी मार्ग लं. 3.345 किमी. 3 नग पुलिया सहित
7	मानिकपुर से कुसुमघटा मार्ग लं. 2.00 किमी. 6 नग पुलिया सहित
8	शीतलपानी से मचईया कोहना मार्ग लं. 2.85 किमी. 5 नग पुलिय सहित
9	ग्राम भागुटोला स्थित सुधा विहार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीमेंट कांकीट पहुंच मार्ग लं. 0.30 किमी. 1 नग पुलिया सहित
10	म.प्र.सीमा चिल्पी से कवर्धा सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 12ए (नया रा.रा. क्रं. 30) का 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य पुल-पुलिया सहित
11	बोडला-तरेगांव-दलदली मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य लंबाई 40.97 कि.मी.
12	सुखाताल से बैहरसरी मार्ग किमी.1 से $2/2 = 1.20$ किमी. में नवीनीकरण कार्य
13	बैजलपुर से कोको पहुंच मार्ग लं. 1.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
14	बम्हनी से मड़मड़ा मार्ग लं.1.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
15	थूहाडीह से खैरझिटी मार्ग लं. 1.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
16	मैनरोड मजगांव से सौर ऊर्जा मार्ग लं. 250 मीटर में नवीनीकरण कार्य
17	उपजेल कवर्धा पहुंच मार्ग लं. 420 मीटर में नवीनीकरण कार्य
18	खडौदा से मदनपुर मार्ग लं. 1 से $2/2 = 1.20$ किमी. में नवीनीकरण कार्य
19	बिरकोना-मरका-पिपरिया मार्ग लं. 14 से $24/8 = 11.80$ किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
20	बिरकोना-मरका-पिपरिया मार्ग लं. 7 से 13 $= 7.00$ किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य

क्र.	कार्य का नाम
1	2
19	बिरकोना-मरका-पिपरिया मार्ग लं. 14 से 24/8 = 11.80 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
20	बिरकोना-मरका-पिपरिया मार्ग लं. 7 से 13 =7.00 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
21	बिरकोना-मरका-पिपरिया मार्ग लं. 6.00 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
22	कवर्धा रामपुर खम्हरिया मार्ग किमी 10.00 किमी. एवं घोटिया जुनवानी मार्ग लं. 3.00 किमी में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
23	कवर्धा रवेली प्रतापपुर लं. 15.00 किमी. , आछी से बनो मार्ग लं. 3.00 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
24	चिल्फी रेंगाखार सात्हेवारा मार्ग लं. 56.00 किमी. में डब्ल्यू.बी.एम. पेच रिपेयर का कार्य
25	राजनांदगांव कवर्धा पोडी मार्ग लं. 79/4 से 115/4 =36 किमी में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
26	कवर्धा शहर मार्ग लं. 9.00 किमी एवं कवर्धा बायपास मार्ग लं. 1.30 किमी में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
27	कुसुमघटा नेउरगांव मार्ग लं. 2.00 किमी. सिंघारी पांडातराई मार्ग लं. 8.50 किमी. चिल्फी रेंगाखार मार्ग लं.56.00 किमी. में गिट्टी मुरुम एवं डस्ट एकत्रीकरण का कार्य
28	कवर्धा रामपुर ठाठापुर मार्ग लं. 23.00 किमी. में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य
29	पालक भोरमदेव मार्ग लं. 8.80 किमी. विभिन्न मार्गों में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य
30	कवर्धा भोरमदेव पालक मार्ग लं. 24.80 किमी., दौजरी नाउडिह मार्ग लं. 4.20 किमी. , झिरना चरडोगरी नवागांव मार्ग लं. 4.60 किमी. , बाझीमहुआ सुखतल मार्ग लं. 4.50 किमी. सारंगपुर कोडार सिंघनपुरी मार्ग 2.27 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
31	कवर्धा रामपुर बम्हनी मड़मड़ा मार्ग लं. 4.00 किमी., घोटिया जुनवानी मार्ग लं. 3.00 किमी. राजपुर से कोहड़िया मार्ग लं. 6.00 किमी. में गिट्टी एवं डस्ट एकत्रीकरण कार्य,
	योग:- 31 कार्य
पुल कार्य	
1	राजनांदगांव-कवर्धा-पोडी मार्ग (राज्यमार्ग क.-5) कि.मी. 85/10 पर करी नदी सेतु।
वर्ष 2015-16 का कुल योग- 32 कार्य	

क्र.	कार्य का नाम
1	2
	वर्ष 2016-17
सड़क कार्य	
1	जिला कबीरधाम के कवर्धा रवेली प्रतापपुर मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य लं. 19.80 किमी. 42 नग पुलिया सहित
2	पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
3	जिला न्यायालय परिसर में पक्की नाली का निर्माण कार्य
4	जिला न्यायालय से अभियोजन ऑफिस पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
5	बिरकोना-पिपरिया-मरका-चुचरुंगपुर-दाढ़ी मार्ग (लंबाई 38.097 कि.मी.) का निर्माण/उन्नयन पुल-पुलिया सहित (कवर्धा, पंडरिया एवं नवागढ़ विधानसभा)
6	कवर्धा-रामपुर-खम्हरिया मार्ग (लंबाई 28.07 कि.मी.) का निर्माण/उन्नयन पुल-पुलिया सहित (कवर्धा, पंडरिया एवं साजा विधानसभा)
7	कारेसरा-खम्हरिया-सिल्हाटी मार्ग (लंबाई 39.228 कि.मी.) का निर्माण/उन्नयन पुल-पुलिया सहित (कवर्धा, पंडरिया एवं साजा विधानसभा)
8	कुरुवा से खैरा मार्ग में रपटा एवं पहुंच मार्ग का निर्माण 1 नग पुलिया सहित
9	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 80,81,82 = 3.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
10	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 93,97,99 = 3.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
11	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 100,101,102 = 3.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
12	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 103,104,105 = 3.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
13	राजनांदगांव कवर्धा पोंड़ी मार्ग कुल लं. 36.00 किमी. 106,107 = 2.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
14	सहसपुर से सरोधा मार्ग के कि.मी. 1 से 4 = 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य
15	सहसपुर से सरोधा मार्ग के कि.मी. 5 से 7 = 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य

क्र.	कार्य का नाम
1	2
16	बम्हनी चारभाठा बस्ती के मार्ग के मार्ग में सी.सी.रोड निर्माण किमी. $2/8$ से $3/2 = 0.50$ किमी. में नवीनीकरण कार्य
17	सरोधी नवागांव सरईपतेरा मार्ग लं. 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य
18	घोघा छपरी मार्ग लं. 4.50 किमी. डामर नवीनीकरण कार्य
19	बम्हनी बायपास मार्ग लं. $1/2$ से $1/8 = 0.80$ किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य
20	कोयलारझोरी कन्हारी मार्ग किमी. 1 से $6/4 = 5.40$ किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य
21	सिंघारी पांडातराई मार्ग किमी. 1,3,4,5, $8/2-6 = 4.50$ किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य
22	गरा पहुंच मार्ग लं. 2.30 किमी. $1,2,3/2 = 2.30$ किमी. डामर नवीनीकरण कार्य
23	कवर्धा शहर मार्ग बस स्टैण्ड से कलेक्टर कार्या. तक लं. 1.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
24	कवर्धा शहर मार्ग बस स्टैण्ड से कलेक्टर कार्या. तक लं. 1.02 किमी. में नवीनीकरण कार्य
25	कवर्धा शहर मार्ग एस.डी.एम. ऑफिस से लालपुर चौक तक लं. 1.20 किमी. में नवीनीकरण कार्य
26	कवर्धा शहर मार्ग पुराना सिविल न्यायालय पहुंच मार्ग लं. 1.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
27	कवर्धा शहर मार्ग जिला अस्पताल एवं महाविद्या. पहुंच मार्ग लं. 0.80 किमी. में नवीनीकरण कार्य
28	कवर्धा शहर मार्ग विभिन्न आंतरिक मार्ग 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
29	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 1 से 5 = 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
30	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 6 से 10 = 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
31	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 11 से 15 = 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
32	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 31 से 34 = 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
33	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 16 से 20 = 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य

क्र.	कार्य का नाम
1	2
34	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 21 से 25 = 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
35	लोहारा रेंगाखार मार्ग कुल लं. 33.40 किमी. 26 से 30 = 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
36	कवर्धा भोरमदेव पालक मार्ग की कुल लं. 24.80 किमी. 1 से 4 = 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
37	कवर्धा भोरमदेव पालक मार्ग की कुल लं. 24.80 किमी. 11 से 14 = 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
38	कवर्धा भोरमदेव पालक मार्ग की कुल लं. 24.80 किमी. 17 8 9 = 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
39	कवर्धा बायपास मार्ग (नया) कुल लं. 4.04 किमी. 1 से 2 = 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
40	कवर्धा बायपास मार्ग (नया) कुल लं. 4.04 किमी. 3 से 4 = 4.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
41	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 1 से 10 = 10.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
42	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 11 से 20 = 10.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
43	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 21 से 30 = 10.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
44	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग कुल लं. 38.20 किमी. 31 से 38 = 8.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
45	बम्हनी से ठकुराईनटोला मार्ग लं. 2.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
46	धानीखुटा से कन्हारी मार्ग लं. 5.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
47	खारां से डोंगरिया मार्ग लं. 2.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
48	कवर्धा खैरबना मार्ग किमी. 1 से 3 = 3.00 किमी. में नवीनीकरण कार्य
49	कवर्धा खैरबना मार्ग किमी. 4 से 6/4 = 2.40 किमी. में नवीनीकरण कार्य
50	राजपुर कोहडिया धरमगढ़ मार्ग लं. 6.00 किमी., घोटिया जुनवानी मार्ग लं. 3.00 किमी. में डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य।
51	चिल्फी रेंगाखार साल्हेवारा मार्ग लं. 56.00 किमी., लोहारा रेंगाखार मार्ग 17.40 किमी., सिंघारी पाण्डातराई मार्ग लं. 8.50 किमी., कवर्धा भोरमदेव मार्ग लं. 16.00 किमी. स्टोन में पेटिंग एवं फिगरिंग का कार्य

क्र.	कार्य का नाम
1	2
52	कवर्धा भोरमदेव पालक मार्ग लं. 24.80 किमी., राजनांदगांव कवर्धा पोड़ी मार्ग लं. 36.00 किमी., साजा सिल्हाटी मार्ग लं. 10.00 किमी., झिरना चरडोगरी मार्ग लं. 4.60 किमी., आंछी बानो मार्ग लं. 3.00 किमी., दौजरी नवडीह मार्ग लं. 4.75 किमी. मदनपुर पहुंच मार्ग लं. 2.00 किमी, दशरंगपुर से खडसरा मार्ग लं. 6.00 किमी. बैजलपुर कोको मार्ग लं. 3.00 किमी., कवर्धा बायपास मार्ग लं. 1.30 किमी. डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
53	राजनांदगांव कवर्धा पोड़ी मार्ग लं. 36.00 किमी. डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
54	चिल्फी रेंगाखार साल्हेवारा मार्ग लं. 56.00 किमी., कुरमा कोयलारझोरी मार्ग लं. 5.00 किमी., सरोधा भोरमदेव मार्ग लं. 15.80 किमी., कवर्धा भोरमदेव मार्ग लं. 16.00 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
55	कवर्धा रेंगाखार मार्ग लं. 28.40 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
56	चिल्फी रेंगाखार साल्हेवारा मार्ग लं. 56.00 किमी. में बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
57	राजनांदगांव कवर्धा पोड़ी मार्ग लं. 36.00 किमी., कारेसरा खम्हरिया सिल्हाटी मार्ग लं. 21.70 किमी., कवर्धा रवेली कुण्डा मार्ग लं. 20.00 किमी., गांगीबहरा राजपुर मार्ग लं. 6.00 किमी0 स्टोन एवं फिगरिंग का कार्य
58	कवर्धा शहर लं. 9.00 किमी., कवर्धा बायपास मार्ग लं. 1.30 किमी. कवर्धा खैरबना मार्ग लं. 5.40 किमी., राजनांदगांव कवर्धा पोड़ी मार्ग लं. 36.00 किमी. में डब्ल्यू0बी0 एम0 एवं बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य

क्र.	कार्य का नाम
1	2
59	कवर्धा रेंगाखार व्हाया मादाघाट मार्ग किमी. 21/4 से 39/2, कुरमा कोयलारझोरी कन्हारी मार्ग 3.00 किमी., गरा पहुंच मार्ग 1.60 किमी., चिल्फी सुपखार मार्ग 15.00 किमी. नेऊरगांव कुसुमघटा मार्ग 2.00 किमी. डब्ल्यू0बी0 एम0 एवं, बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य
	योग :- 59 कार्य
पुल कार्य	
निरंक	
वर्ष 2016-17 का कुल योग- 59 कार्य	
वर्ष 2015-16 से 2016-17 का कुल योग- 91 कार्य	

परिशिष्ट "उनतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2339) के भाग (क) की जानकारी]

कबीरधाम जिले के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
प्राध्यापक	12	0	12
सहायक प्राध्यापक	99	27	72
पीजी प्राचार्य	1	1	0
यूजी प्राचार्य	6	1	5
स्पोर्ट्स अधिकारी	2	0	2
ग्रंथपाल	3	1	2
रजिस्ट्रार	0	0	0

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2405) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ एवं खरसिया विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों के प्रेषित प्रस्तावों की स्वीकृति

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र	वर्ष	शासन को प्रेषित			स्वीकृत कार्य			पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ		
			पुल	आर.ओ.बी.	अण्डर ब्रिज	पुल	आर.ओ.बी.	अण्डर ब्रिज	पुल	आर.ओ.बी.	अण्डर ब्रिज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायगढ़	2011-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2		2012-13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3		2013-14	01	—	—	01	—	—	01 प्रगति	—	—
4		2014-15	01	—	—	01	—	—	01 प्रगति	—	—
5		2015-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :-		02	—	—	02	—	—	02 प्रगति	—	—
1	खरसिया	2011-12	02	—	—	02	—	—	02 पूर्ण	—	—
2		2012-13	01	—	—	01	—	—	01 प्रगति	—	—
3		2013-14	01	—	—	01	—	—	01 प्रगति	—	—
4		2014-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5		2015-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :-		04	—	—	04	—	—	02 पूर्ण 02 प्रगति	—	—
	महायोग :-		06	—	—	06	—	—	02 पूर्ण 04 प्रगति	—	—

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2535) के भाग (ख) की जानकारी]

जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित केशकाल घाट का चौड़ीकरण

क्र.	कार्य का नाम	दिनांक 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	केशकाल घाट का चौड़ीकरण (ज्यामितिय सुधार) कार्य	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई (11.02.2014)। कार्य प्रगति पर।
2	केशकाल घाट का वैकल्पिक मार्ग (केशकाल बाईपास) निर्माण कार्य	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई (01.01.2016)। कार्य प्रगति पर।

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2554) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग द्वारा वर्ष 2014-15 में उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	उद्योग के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम-राम्हेपुर, जिला-कबीरधाम	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 20.03.2015 को निर्देश जारी किया गया।
2.	मेसर्स धनलक्ष्मी पेपर मिल प्रा.लि., ग्राम-झींकाखार, तहसील डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 20.03.2015 को निर्देश जारी किया गया।
3.	मेसर्स लोहिया पेपर एण्ड बोर्ड प्रा.लि., ग्राम-नेवनारा, बेरला, जिला-राजनांदगांव	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 20.03.2015 को निर्देश जारी किया गया।
4.	मेसर्स डोंगरगांव पेपर मिल्स प्रा.लि. ग्राम-झींकाखार, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 20.03.2015 को निर्देश जारी किया गया।
5.	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 20.03.2015 को निर्देश जारी किया गया।
6.	मेसर्स दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम-करकाभाट, जिला-बालोद	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 20.03.2015 को निर्देश जारी किया गया।

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग द्वारा वर्ष 2015-16 में उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	उद्योग के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स कुसुम इण्डस्ट्रीज (राईस मिल), ग्राम-करहीडीह, धमधा रोड, जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
2.	मेसर्स शांति ट्रेडिंग कंपनी, ग्राम-जेवरा सिरसा, तहसील व जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
3.	मेसर्स जयश्री पेड्डी प्रोसेसर्स प्रा.लि., ग्राम-चिखली, जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
4.	मेसर्स एस.के. इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चिखली, जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
5.	मेसर्स ओम पेड्डी प्रोसेसिंग प्लांट, ग्राम-चिखली, जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
6.	मेसर्स नारायण पेड्डी प्रोसेसिंग प्लांट, ग्राम-खपरी, जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
7.	मेसर्स श्री सीता राईस मिल, ग्राम-चिखली, धमधा रोड, जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
8.	मेसर्स आभिशेक राईस एण्ड आटा मिल (यूनिट-2), ग्राम-जेवरा सिरसा जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
9.	मेसर्स श्रद्धा ट्रेडर्स (यूनिट-3), ग्राम-जेवरा सिरसा जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।

22.	मेसर्स महावीर धान कुटाई केन्द्र, ग्राम-करंजा, धमधा रोड जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
23.	मेसर्स ओम हरिकृष्णा राईस मिल, ग्राम-समोदा, धमधा रोड जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने-एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
24.	मेसर्स किशोर सारटेक्स एण्ड राईस मिल प्रा.लि., ग्राम-समोदा, धमधा रोड जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
25.	मेसर्स श्री सीता राईस मिल, (यूनिट-2), ग्राम-जेवरा धमधा रोड जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
26.	मेसर्स श्री सीता उद्योग (यूनिट-2), ग्राम-जेवरा धमधा रोड जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने एवं दूषित जल को परिसर के बाहर निस्सारण किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 16.04.2015 को नोटिस जारी किया गया।
27.	मेसर्स धनलक्ष्मी पेपर मिल प्रा. लि., ग्राम-झींकाखार तहसील डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव	उद्योग द्वारा सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 29.04.2015 को विधुत विच्छेदन किये जाने हेतु निर्देश जारी किया गया।
28.	मेसर्स रेकॉन स्टील एण्ड पावर प्रा.लि., ग्राम-जोरातराई जिला-राजनांदगांव	17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों के अंतर्गत आनलाईन जल/वायु मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना नहीं किये जाने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 03.02.2016 को उत्पादन बन्द करने का निर्देश जारी किया गया।
29.	मेसर्स दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम-करकाभाट पो0 सोरार, तहसील व जिला-बालोद	17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों के अंतर्गत आनलाईन जल/वायु मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना नहीं किये जाने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 04.02.2016 को उत्पादन बन्द करने का निर्देश जारी किया गया।

प्रपत्र "स"

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग द्वारा 01 अप्रैल 2016 से 24 फरवरी 2017 की अवधि में उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	उद्योग के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, (यूनिट-3), ग्राम-टेडेसरा जिला-राजनांदगांव	उद्योग बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के तहत बिना वैध सम्मति के स्थापित एवं संचालित होने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत उत्पादन बन्द करने एवं विधुत विच्छेदन करने हेतु दिनांक 03.06.2016 को निर्देश जारी किया गया।
2.	मेसर्स सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स प्रा.लि., 65, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के तहत बिना वैध सम्मति के स्थापित एवं संचालित होने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 07.06.2016, 13.07.2016 को नोटिस एवं उत्पादन बन्द करते हुए विधुत विच्छेदन करने हेतु दिनांक 13.07.2016 को निर्देश जारी किया गया।
3.	मेसर्स सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स प्रा.लि., 11, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के तहत बिना वैध सम्मति के स्थापित एवं संचालित होने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 13.07.2016 को नोटिस जारी किया गया।
4.	मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग में स्थापित कोक ओवन बैटरी नं.-1 एवं बैटरी नं.-2 के चिमनी से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन एवं अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सक्षम रूप से संचालन नहीं किये जाने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 18.10.2016 को नोटिस एवं दिनांक 01.12.2016 को निर्देश जारी किया गया।
5.	मेसर्स शिवनाथ उद्योग (वाशिंग सोप), ग्राम-टेडेसरा जिला-राजनांदगांव	उद्योग द्वारा सक्षम जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 27.10.2016 को नोटिस जारी किया गया।
6.	मेसर्स हिन्दुस्तान केमिकल एण्ड एल्युमीनियम इण्डस्ट्रीज, 50, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
7.	मेसर्स दल्ली मेकेनाईज माईन, दल्लीराजहरा जिला-बालोद	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
8.	मेसर्स सायनो आर्गेनिक पेन्ट्स प्रा.लि., 85-86, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।

9.	मेसर्स नंदिनी लाईम स्टोन माईन, नदिनी जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
10.	मेसर्स राजहरा मेकेनाईज माईन, दल्लीराजहरा जिला-बालोद	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
11.	मेसर्स स्वर्णा होमकेयर प्रोडक्ट, 123बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
12.	मेसर्स कुशल केमिकल, 74-ए, हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
13.	मेसर्स एस.एस. उद्योग, 17-एन, भारी औद्योगिक क्षेत्र, हथखोज भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
14.	मेसर्स इण्डियन पेट्रो कोल प्रोडक्ट, 22-सी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया।
15.	मेसर्स अपर्णा कार्बन प्रा.लि. ग्राम-जेवरा, धमधा रोड जिला-दुर्ग	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 06.01.2017 को नोटिस जारी किया गया।
16.	मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला-दुर्ग	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 24.01.2017 को उत्पादन बन्द करने के रिवाइस्टड निर्देश जारी किया गया।
17.	मेसर्स अनिल ट्रेडर्स, ग्राम-करंजा भिलाई जिला-दुर्ग	वायु प्रदूषण की शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 15.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
18.	मेसर्स महावीर धान कुटाई केन्द्र, ग्राम-करंजा भिलाई धमधा रोड जिला-दुर्ग	वायु प्रदूषण की शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 15.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
19.	मेसर्स महाराजा पेडडी प्रोसेसिंग, ग्राम-करंजा भिलाई धमधा रोड जिला-दुर्ग	वायु प्रदूषण की शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 15.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
20.	मेसर्स श्री सीता एग्री फूड प्रा.लि. ग्राम-अरसनारा धमधा रोड जिला-दुर्ग	वायु प्रदूषण की शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 15.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
21.	मेसर्स जगदम्बा फूड, ग्राम-करंजा भिलाई धमधा रोड जिला-दुर्ग	वायु प्रदूषण की शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 15.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
22.	मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय हॉटमिक्स प्लांट, ग्राम-बरबसपुर, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव	निरीक्षण के दौरान उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं पाए जाने एवं वैध सम्मति नहीं होने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 21.02.2017

34.	मेसर्स दास प्रोसेसर्स, (हॉटमिक्स प्लांट), ग्राम-कलकसा, तहसील व जिला-राजनांदगांव	निरीक्षण के दौरान उद्योग में अत्यधिक वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित किये जाने एवं बिना वैध सम्मति के उत्पादनरत होने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 21.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
35.	मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम-तेलीटोला (टप्पा), तहसील डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव	निरीक्षण के दौरान उद्योग में अत्यधिक वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित किये जाने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 21.02.2017 को नोटिस जारी किया गया।
36.	मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (भिलाई इस्पात संयंत्र) मे0 महामाया दुल्की आयरन ओर माईन, जिला बालोद एवं राजनांदगाँव	परिवाद पत्र अंतर्गत धारा-15 एवं 16 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सहपठित संशोधित धारा-03 उपधारा-01, 02 के खण्ड-05 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं सहपठित धारा-34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दिनांक 30.01.2017 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्लीराजहरा, जिला बालोद में माईन्स के विरुद्ध वाद दायर किया गया।

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2558) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र०	एक्सल संख्या	टायर संख्या	अधिकतम भार क्षमता
01	2 एक्सल	3 टायर	9000 कि०ग्रा० अर्थात 90 कि०टल
02	2 एक्सल	4 टायर	12000 कि०ग्रा० अर्थात 120 कि०टल
03	2 एक्सल	6 टायर	16200 कि०ग्रा० अर्थात 162 कि०टल
04	3 एक्सल	10 टायर	25000 कि०ग्रा० अर्थात 250 कि०टल
05	4 एक्सल	12 टायर	31000 कि०ग्रा० अर्थात 310 कि०टल
06	5 एक्सल	18 टायर	37000 कि०ग्रा० अर्थात 370 कि०टल
सेमी आर्टिकुलेटेड व्हीकल			
07	3 एक्सल	10 टायर	26400 कि०ग्रा० अर्थात 264 कि०टल
08	5 एक्सल	14 टायर	35200 कि०ग्रा० अर्थात 352 कि०टल
09	5 एक्सल	18 टायर	40200 कि०ग्रा० अर्थात 402 कि०टल
10	5 एक्सल	18 टायर	44000 कि०ग्रा० अर्थात 440 कि०टल
11	6 एक्सल	22 टायर	49000 कि०ग्रा० अर्थात 490 कि०टल

टीप-

- 1/ अधिकतम भार क्षमता में वाहन के खाली गाड़ी का वजन भी शामिल रहता है तथा खाली गाड़ी का वजन घटा देने पर भार क्षमता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- 2/ सामान्यतः अलग-अलग वाहनों का खाली गाड़ी का वजन अलग-अलग होता है।
- 3/ राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य मार्ग या ग्रामीण मार्ग पर संचालित होने वाली मालवाहनों के लिए एक समान ही अधिकतम भार क्षमता निर्धारित की जाती है।

प्रपत्र "ब"

- 1/ अधिकतम चौड़ाई— मोटरयानों की सकल चौड़ाई 2.6 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- 2/ अधिकतम लंबाई—
 - i. दो एक्सल या अधिक रिजिड फ्रेम वाले परिवहन यान की दशा में 12 मीटर अधिक से नहीं होगी
 - ii. दो से अधिक एक्सल वाले आर्टिकुलेटेड यानों की दशा में 16 मीटर से अधिक नहीं होगी
 - iii. ट्रक-ट्रेलर या ट्रेलर-ट्रेकर संयोजन की दशा में 18 मीटर से अधिक नहीं होगी
- 3/- अधिकतम ऊंचाई—
 - i. डबल डेक (परिवहन यान) से भिन्न किसी यान की दशा में 3.8 मीटर से अधिक नहीं होगी
 - ii. ट्रेक्टर-ट्रेलर मालयान की दशा में यह 4.20 मीटर से अधिक नहीं होगी
 - iii. फेट कंटेनर ढोने वाले लदे ट्रेलर की दशा में यह संविरचित कंटेनरसईज्ड मोटरयान की दशा में 4.52 मीटर से अधिक नहीं होगी

प्रपत्र "स"

ओवरलोड चलने वाले का निरीक्षण पंजीयन पुस्तिका में अंकित अधिकतम भार क्षमता से अधिक सामग्री परिवहन करने पर सामग्री की बिल्टी तथा तौल कांटे में तुलवाकर ओवरलोड के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। केन्द्र शासन (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 41 (अ) दिनांक 07 जनवरी 2016 के द्वारा प्रदत्त अधिकतम भार क्षमता में 05 प्रतिशत अधिक माल परिवहन करने की छूट प्रदान की गई है। ओवरलोड माल परिवहन करते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 113 तथा 114 के तहत कार्यवाही की जाती है। वाहनों की बाडी साईज (सामग्री भरने की जगह) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 93 में दिये गये प्रावधान के अनुसार बाडी का निर्माण किया गया है अथवा नहीं? इसे सुनिश्चित करने लिए माप लिया जाता है और यदि निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 (1) (क) के अनुसार पंजीयन निलंबन अथवा धारा 55 के तहत पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाती है। यदि सही साईज के वाहन में लोड इस प्रकार किया जाता है कि यह बाँडी से बाहर निकला रहता है, तब मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177/200 के तहत कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2559) की जानकारी]

भू-खण्ड आवंटन की शर्तें

01. पट्टेदार (शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय उपक्रम/संस्था) नया रायपुर विकास योजना 2031 के प्रावधानों के अध्याधीन निम्नलिखित शर्तों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए :-

- (अ) पट्टेदार निस्तार पत्रक एवं रूढ़ी पत्रक में दर्ज सुखाचार विधि अनुसार प्रदान करेगा।
- (ब) सार्वजनिक उपयोग हेतु यदि भूमि के किसी भाग की आवश्यकता होगी तो पट्टेदार मना नहीं करेगा।
- (स) विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण होते तक पुराने प्रचलित मार्गों पर सार्वजनिक आवागमन का अधिकार यथावत रहेगा।
- (द) विकास शुल्क (सड़क, बिजली, पानी इत्यादि हेतु), व्यपवर्तन शुल्क अथवा अन्य कोई कर अधिरोपित होने की दशा में पट्टेदार उसका भुगतान करेगा।
- (ई) भवन निर्माण के एक माह के अंदर भवन एवं भूमि के दूषित जलोत्क्षरण एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंध अपने स्वयं के खर्च से पट्टेदार अपने भवन एवं भूमि के लिए व्यवस्था करेगा।
- (फ) एन.आर.डी.ए. दूषित जलोत्क्षरण तथा ठोस अपशिष्ट संबंधी अनुत्रास की शिकायतों की जाँच करेगा और यदि पट्टेदार उसे सूचना दिये जाने पर सूचना में निर्धारित अवधि में निराकरण/समाधान नहीं करता है तो एन.आर.डी.ए. स्वयं निराकरण/समाधान करायेगा और जो खर्च आवेगा उसे पट्टेदार से वसूल कर सकेगा।

02. पट्टेदार द्वारा एन.आर.डी.ए. अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, या उसके द्वारा अधिकृत की गई सेवा प्रदाय करने वाली एजेंसी ऐसे व्यक्तियों के साथ जो किसी जल प्रदाय पाइप लाइन, दूषित जलोत्क्षरण, मल प्रवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, विद्युत प्रणाली, टेली कम्यूनिकेशन प्रणाली आदि के डालने, मरम्मत अथवा बदलने तथा उससे संबंधित कार्य के लिये, साथ ही इन सेवा प्रणालियों के संबंध में संधारण करने या मरम्मत के प्रयोजन के लिये जैसा आवश्यक हो, उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने की अनुमति देगा।

03. पट्टेदार उपरोक्त खण्ड (2) में उल्लेखित सेवा प्रणालियों पर उन्हें डालने वाले अधिकारी की लिखित पूर्व की अनुमति के बिना बाधा नहीं डालेगा, निर्माण नहीं करेगा अथवा उनमें अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा।

04. एन.आर.डी.ए. की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना पट्टेदार उक्त भूमि का निर्धारित/विहित किये गये उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये न तो उपयोग करेगा, न किसी अन्य को ऐसी अनुमति देगा।

05. पट्टेदार उक्त भूमि पर किसी प्रकार से मादक एवं विस्फोटक पदार्थों आदि के निर्माण, विक्रय अथवा रखने हेतु उपयोग नहीं कर सकेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।

06. पट्टेदार उक्त भूमि पर किसी भी धार्मिक इमारत का न तो निर्माण करेगा और न ही उसके निर्माण की अनुमति देगा और न ही उक्त भूमि को ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग लेने देगा।

07. पट्टेदार आबंटन की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करेगा। पट्टा पंजीकृत कराये जाने हेतु आवश्यक पंजीयन शुल्क आदि जो भी व्यय होगा उसे पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा। पट्टेदार उक्त भूमि का उपयोग सिर्फ निर्धारित/विहित प्रयोजन हेतु कर सकेगा। पट्टेदार द्वारा एन.आर.डी.ए. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था आदि को किसी भी प्रकार से अभिहस्तांकन या हस्तांतरित नहीं किया जावेगा और न ही उप-पट्टे पर दिया जावेगा।

08. पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि पर एन.आर.डी.ए. की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर नलकूप खनन नहीं किया जावेगा।

09. पट्टेदार द्वारा भवन अनुज्ञा के अनुसार ही भवनों का निर्माण किया जावेगा तथा प्रत्येक भवन में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण एवं संधारण किया जावेगा।

10. लीज पट्टादार द्वारा मंजूर की गई 30 वर्ष की अवधि के अंत में और इसके बाद भी दो बार प्रत्येक 30 वर्ष की अनुवर्ती अवधि के लिये पट्टेदार के निवेदन पर और उसके खर्च पर नवीनीकरण मंजूर की जायेगी, जिसके लिये उक्त भूमि का नवीनीकरण पट्टा निष्पादित करेगा।

वर्तमान में भू-भाटक प्रब्याजी के 2 प्रतिशत की दर से लगेगा परंतु पट्टे के प्रत्येक नवीनीकरण के समय तत्समय भाड़ा 100 प्रतिशत अधिकतम तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकरण पट्टे में उसमें दी गई ऐसी शर्तें जो कि हो सकती हो और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य में उपयुक्त समझी जाये, रखी जा सकेगी।

परंतु यह और कि प्रत्येक अनुवर्ती नवीनीकरण पर नियत किये जाने वाले भाड़े और लगाये जाने वाली शर्तों के संबंध में एन.आर.डी.ए. का निर्णय अंतिम होगा।

11. पट्टेदार पट्टा अभिलेख के निष्पादन के एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्राप्त कर भवन का निर्माण प्रारंभ कर देगा और तीन वर्ष की अवधि में भवन पूर्ण कर पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए भवन का उपयोग प्रारंभ कर देगा। विलंब की स्थिति में निम्नानुसार सस्चार्ज देय होगा—

समय वृद्धि का खण्ड	समय वृद्धि की अवधि	अतिरिक्त प्रभार राशि प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में
प्रथम	बारह माह या उसका अंश	बीस
द्वितीय	प्रथम समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	पच्चीस
तृतीय	द्वितीय समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	तीस
चतुर्थ	तृतीय समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	पैंतीस
पंचम	चतुर्थ समय वृद्धि के बाद बारह माह या उसका अंश	चालीस

12. पट्टेदार समस्त जलस्रोत जैसे तालाब, नाला आदि को संरक्षित रखेगा, बिना अनुमति इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा।
13. पट्टेदार समस्त वृक्षों को सुरक्षित रखेगा, बिना अनुमति इन्हें नहीं काटेगा।
14. पट्टा के करारनामा में किसी भी शर्त के बावजूद विवाद उपस्थित होने पर प्रमुख सचिव/सचिव, छठगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का निर्णय अंतिम होगा जिसे पट्टेदार को मानना अनिवार्य है।
15. यह कि पट्टेदार पर छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के समस्त प्रावधान बंधनकारी होंगे।

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2593) के भाग (क) से (घ) की जानकारी]

कांकेर जिले में स्थित गढ़िया पहाड़ में सी.सी. रोड निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

क्र०	कार्य का नाम	प्रशासकीय राशि (रु. लाख में)	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य में विलंब के कारण	विलंब के कारण लागत में वृद्धि राशि (रु. लाख में)	सड़क निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा।
1	2	3	4	5	6	7
1	कांकेर जिले में गढ़िया पहाड़ तक पक्की सड़क (सी०सी० रोड लं०-3.00 कि०मी०) निर्माण।	652.50	24.03.2015	स्वीकृत मार्ग के एलायनमेंट वन क्षेत्र होने के कारण फारेस्ट क्लिअरेंस विलंब से प्राप्त होने के कारण।	25.00	संभावित तिथि 30.06.2017

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2594) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को दी गई सहायता राशि वितरण में अनियमितता की जानकारी

क.	जिला	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	गबन की गई राशि
1	2	3	4	5
1	रायपुर	-	-	0.00
2	महासमुंद	-	-	0.00
3	धमतरी	-	-	0.00
4	दुर्ग	-	-	0.00
5	राजनांदगांव	श्री कुबेर साहू, पटवारी, तहसील राजनांदगांव श्री भुपेन्द्र कुमार देवांगन, पटवारी, तहसील राजनांदगांव	अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई तथा कुबेर साहू को निलंबन से बहाल कर तहसील मानपुर स्थानांतरण किया गया। अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया	तहसील राजनांदगांव के अन्तर्गत रूपये 1,64,290.00 अन्य कृषकों के खाते में स्थानान्तरित हो गया था जिसे संबंधित द्वारा शासकीय खजाने में चालान द्वारा जमा किया गया है।
6	कबीरधाम	-	-	0.00
7	बस्तर	-	-	0.00
8	कांकेर	-	-	0.00
9	दंतवाड़ा	-	-	0.00
10	बिलासपुर	श्री विजय भरत साहू, पटवारी, तहसील मरवाही	अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबन उपरांत विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच के आधार पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।	0.00
11	जांजगीर-चांपा	-	-	0.00
12	कोरबा	-	-	0.00
13	रायगढ़	-	-	0.00
14	जशपुर	-	-	0.00
15	सरगुजा	-	-	0.00

क.	जिला	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	गबन की गई राशि
1.	2	3	4	5
16	कोरिया	श्री सदाशिव मिश्रा पटवारी, तहसील मनेद्रगढ़	अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय कार्यवाही कर एक वेतन वृद्धि रोकी गई।	0.00
17	बीजापुर	-	-	0.00
18	नारायणपुर	-	-	0.00
19	गरियाबंद	-	-	0
20	बलौदाबांजार	-	-	0.00
21	बालोद	-	-	0.00
22	देमैतरा	-	-	0.00
23	मुंगेली	-	-	0.00
24	कोण्डागाँव	श्रीमती माधुरी नाग पटवारी, तहसील माकड़ी	किसानों को चेक वितरण के एवज में राशि वसूली की शिकायत मिलने पर निलंबन किया जाकर विभागीय जांच संस्थित कर जांच उपरांत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए अन्य हल्के में स्थानांतरण किया गया।	0.00
25	सुकमा	श्री मनहरण लाल राठौर पटवारी, तहसील कौटा	अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबन उपरांत विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच में लापरवाही बरतने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन से बहाल कर दिया गया।	0.00
		श्री मोहम्मद साबिर रिजवी पटवारी, तहसील कौटा	अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबन उपरान्त विभागीय जांच संस्थित की गई। पटवारियों की कमी एवं महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन को ध्यान में रखते हुए निलंबन से बहाल कर दिया गया।	
26	बलसमपुर	-	-	0.00
27	सूरजपुर	-	-	0.00

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2636) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में लेपटॉप एवं टेबलेट वितरण किये जाने का लक्ष्य एवं वितरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	शैक्षणिक वर्ष	लेपटॉप		टेबलेट	
		लक्ष्य	वितरण हेतु महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए	लक्ष्य	वितरण हेतु महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए
1.	2014-15	17,867	17,867	56,000	56,000
2.	2015-16	17,367	डी.बी.टी. के माध्यम से राशि का हस्तांतरण	70,000	डी.बी.टी. के माध्यम से राशि का हस्तांतरण
3.	2016-17	17,267	12,577 (31 जनवरी, 2017 की स्थिति में)	70,000	आरंभ नहीं

वर्ष 2014-15, एवं 2016-17 में 31 जनवरी, 2017 की स्थिति में लक्ष्य के विरुद्ध महाविद्यालयों को वितरण हेतु उपलब्ध कराए गए लेपटॉप एवं टेबलेट की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	वर्षवार लेपटॉप की संख्या		वर्षवार टेबलेट की संख्या
		2014-15	2016-17 (31 जनवरी, 2017 की स्थिति में)	2014-15
1	बालोद	निरंक	निरंक	1486
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	निरंक	0	1379
3	बलरामपुर	निरंक	निरंक	498
4	बस्तर (जगदलपुर)	373	303	1106
5	बेमेतरा	निरंक	0	751
6	बीजापुर	निरंक	निरंक	77
7	बिलासपुर	2480	0	7935
8	दंतेवाड़ा	27	0	171
9	धमतरी	87	0	1878
10	दुर्ग	6894	6005	7182
11	गरियाबंद	निरंक	निरंक	687
12	जांजगीर चांपा	12	0	3951
13	जशपुर	निरंक	निरंक	1070

14	कांकेर	निरंक	0	1306
15	कवर्धा	88	0	1131
16	कोंडागांव	निरंक	निरंक	529
17	कोरबा	208	205	3214
18	कोरिया	निरंक	0	774
19	महासमुंद	निरंक	निरंक	1445
20	मुंगेली	42	0	693
21	नारायणपुर	निरंक	निरंक	171
22	रायगढ़	327	0	3312
23	रायपुर	6157	5139	8614
24	राजनांदगाँव	883	681	3364
25	सरगुजा	289	244	2845
26	सुकमा	निरंक	निरंक	41
27	सुरजपुर	निरंक	निरंक	390
	योग	17867	12577	56000

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 में क़य किए गए लेपटॉप एवं टेबलेट की लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

राशि रुपये में

क्र.	शैक्षणिक वर्ष	सामग्री का नाम	संस्था का नाम	दर
01	2014-15	लेपटॉप	मेसर्स रिको इंडिया लिमिटेड, जसोला, नई दिल्ली	19,750/-
02	2016-17	लेपटॉप	मेसर्स हेवलेट पैकार्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, पेन्टागॉन टावर्स-पी-1, 103 मगरपट्टा सिटी, हडप्सर पुणे	17,490/-
03	2014-15	टेबलेट	मेसर्स रिको इंडिया लिमिटेड, जसोला, नई दिल्ली	6,699/-
			मेसर्स नियोटेरिक इन्फरमेटिक लिमिटेड, नई दिल्ली	7,450/-
04	2016-17	टेबलेट	मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर लिमिटेड, कार्वी हाऊस, 46, एवेन्यू, सड़क क्रमांक-1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना	6,789/-

टीप 1:- वर्ष 2015-16 के छात्र-छात्राओं को लेपटॉप एवं टेबलेट के स्थान पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि उनके खाते में आबंटित की जा रही है, अतः लागत संबंधी जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2641) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

महाराष्ट्र विकासखंड में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त आवेदनों की जानकारी

महाराष्ट्र विकासखंड में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त आवेदनों की प्रश्नांक (क) में उल्लेखित प्रकरण जिनमें समयावधि निर्धारित है।

(अ)

मद	राजस्व वर्ष 2014-15			राजस्व वर्ष 2015-16			राजस्व वर्ष 2016-17			03 माह से अधिक लंबित प्रकरण	लंबित होने के कारण
	प्राप्त	निराकृत	शेष	प्राप्त	निराकृत	शेष	प्राप्त	निराकृत	शेष		
अविवादित नामांतरण	417	417	0	2336	2336	0	489	489	0	0	
अविवादित बंटवारा	331	331	0	161	161	0	162	162	0	0	
सीमांकन	147	1	146	413	161	252	170	43	127	398	सीमांकन प्रकरणों में नक्शा जीर्ण शीर्ण होने तथा 05 डिसमिल या 5 डिसमिल से कम भूमि का बटांकन नहीं होने के कारण

प्रश्नांक (क) में दर्शित अन्य प्रकरण

(ब)

मद	राजस्व वर्ष 2014-15			राजस्व वर्ष 2015-16			राजस्व वर्ष 2016-17			03 माह से अधिक लंबित प्रकरण	लंबित होने के कारण
	प्राप्त	निराकृत	शेष	प्राप्त	निराकृत	शेष	प्राप्त	निराकृत	शेष		
विवादित नामांतरण	167	126	41	328	178	150	98	10	86	191	(1) न्यायालयीन प्रक्रिया पालन पूर्णतः सुनिश्चित करने का कारण (2) राजस्व न्यायालयों में राजस्व विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण पीठासीन अधिकारी पदस्थ नहीं होने के कारण
विवादित बंटवारा	31	22	9	68	28	40	18	1	18	49	(3) नजूल से संबंधित मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण बाधा उत्पन्न हुई अभिलेखों के छानबीन में समय लगाने के कारण
दुटिसुधार	45	30	15	36	21	15	2	1	1	30	(4) राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरण की भूमि के संबंध में सिविलवाद लंबित होने के कारण
पट्टा नवीनीकरण (नजूल)	0	0	0	27	0	27	2	0	2	27	

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2649) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रश्नांश "क" में तहत स्वीकृत राशि से संपादित किये गये कार्य, संस्थाओं को कार्यवार भुगतान की गई राशि तथा भुगतान राशि का आधार से संबंधित जानकारी

क्र.	व्ही.टी.पी. का नाम	कोर्स का नाम	हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	व्यय का आधार
1	शासकीय हार्दिकल्वर नर्सरी बड़ाजी	कल्टीवेशन ऑफ वेजीटेबल	20	82500.00	82500.00	प्रशिक्षण के घण्टे व प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर राशि का भुगतान किया गया
2	शा. आई.टी.आई. लोहणडीगुड़ा	एकाउंट अस्सिस्टेंट यूजिंग टेली	20	275000.00	275000.00	
3	चित्रकोट टेक्नीकल इंस्टीटयुट	मेसन	20	300000.00	60000.00	
4	चित्रकोट टेक्नीकल इंस्टीटयुट	मेसन	20	300000.00	60000.00	
5	चित्रकोट टेक्नीकल इंस्टीटयुट	मेसन	20	300000.00	60000.00	
6	चित्रकोट टेक्नीकल इंस्टीटयुट	मेसन	20	300000.00	60000.00	
7	चित्रकोट टेक्नीकल इंस्टीटयुट	मेसन	10	150000.00	30000.00	
3	जनपद प्रशिक्षण संस्थान बास्तानार	एकाउंट अस्सिस्टेंट यूजिंग टेली	20	341000.00	68200.00	
4	जनपद प्रशिक्षण संस्थान बास्तानार	वर्मीकल्वरिंग एण्ड वर्मीकोपोस्टिंग	20	94500.00	18900.00	
योग :-			170	2143000.00	714600.00	

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2650) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृति भवन निर्माण कार्य

क्र.	वर्ष	स्वीकृत भवन की संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत राशि (रु.लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	
					भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
विकासखण्ड तोकापाल						
1	2014-15	2	तहसील कार्यालय तोकापाल में मिटींग हॉल का निर्माण कार्य	11.34	कार्य पूर्ण	9.18
2			तोकापाल जि. बस्तर में महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य	213.15	कार्य प्रगति पर	116.79
3	2015-16	4	जिला बस्तर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर के छात्रावास भवन का निर्माण	327.75	कार्य प्रगति पर	32.61
4			जिला बस्तर के तोकापाल में नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण	207.27	कार्य प्रगति पर	93.77
5			जिला बस्तर के तोकापाल में आई.टी.आई. छात्रावास भवन का निर्माण	105.48	कार्य प्रगति पर	36.89
6			ग्राम कलेपाल में हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य	73.73	कार्य प्रगति पर	0.00
7	2016-17 (फरवरी 2017 तक)	1	मरच्यूरी भवन एवं विश्राम शेड निर्माण कार्य तोकापाल	10.00	अप्रारंभ	0.00
	योग :-	7		948.72	1 कार्य पूर्ण 5 कार्य प्रगति पर 1 अप्रारंभ	289.24

क्र.	वर्ष	स्वीकृत भवन की संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत राशि (रु.लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	
					भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
विकासखण्ड दरमा						
1	2014-15		निरंक			
2	2015-16	1	ग्राम तीरथगढ़ में हाई स्कूल भवन का निर्माण	73.73	अप्रारंभ	0.00
3	2016-17 (फरवरी 2017 तक)	2	चितापुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण	95.35	अप्रारंभ	
			कोटुमसर में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	28.75	कार्य प्रगति पर	0.00
	योग :-	3		197.83	1 कार्य प्रगति पर 2 अप्रारंभ	0.00
विकासखण्ड बास्तानार						
1	2014-15	0		0	0	0.00
2	2015-16	1	किलेपाल में ट्रांजिस्ट हॉस्टल का निर्माण	113.74	अप्रारंभ	0.00
3	2016-17 (फरवरी 2017 तक)	1	बड़ेकिलेपाल में मरच्यूरी वार्ड एवं विश्राम शेड निर्माण	10.00	अप्रारंभ	0.00
	योग :-	2		123.74	2 अप्रारंभ	0.00

क्र.	वर्ष	स्वीकृत भवन की संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत राशि (रु.लाख मे)	कार्य की अद्यतन स्थिति	
					भौतिक	वित्तीय (रु.लाख मे)
1	2	3	4	5	6	7
विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा						
1	2014-15	0		0	0	0.00
2	2015-16	1	लोहण्डीगुड़ा में ट्राजिस्ट हॉस्टल का निर्माण	113.74	कार्य प्रगति पर	0.00
3	2016-17 (फरवरी 2017 तक)	2	उसरीबेड़ा में कृषक प्रशिक्षण सह कृषक सलाह केन्द्र	31.95	अप्रारंभ	
			सतसपुर में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	28.75	कार्य प्रगति पर	0.00
	योग :-	3		174.44	2 प्रगति पर 1 अप्रारंभ	0.00

परिशिष्ट "इकचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2654) के भाग (क) की जानकारी]

अतिक्रमण की जानकारी वर्ष 2014-15

क्र. सं.	अ-68/2014-15	कब्जाधारी का नाम पिता/पति का	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	मे से रकबा	भूमि की मद	राशि
8	अ-68/2014-15	सुरेश पिता साई खान जाति ईसाई	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	128 व.मी.	नजुल	
9	अ-68/2014-15	श्रीमती अर्चना चौहान पति नवीन क्षत्र	भानुप्रतापपुर	145/1	7.086	0.024 हे०	नजुल	1000/-
10	अ-68/2014/2014	बृजेश कुमार पिता मूलचरण दुबे भानु	भानुप्रतापपुर	145/1	7.086	0.024 हे०	नजुल	500/-
11	अ-68/2014-15	श्रीमती मीनाक्षी नाग पति मनिष गोड	भानुप्रतापपुर	81/1	2.934	0.012 हे०	आबादी	500/-
12	अ-68/2014-15	याम शुक्ला पिता लक्ष्मी कांत भानुप्रत	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.011 हे०	नजुल	1500/-
13	अ-68/2014-15	गजाधर पिता मेहतरु महार भानुप्रताप	भानुप्रतापपुर	145/1	7.086	108 व.पुट	नजुल	
14	अ-68/	श्रीमती गोदवारी पति स्व. गजानंद घ	भानुप्रतापपुर	145/1	7.086	0.044 हे०	नजुल	1000
15	अ-68/	निर्मला पति रूधीराम धोबी	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.020 हे०	नजुल	500/-
16	अ-68/2014-15	तिलेश्वर पाण्डे पिता हीरामणी	भानुप्रतापपुर	145/1	8.532	585 फीट	नजुल	500/-
17	अ-68/2014-15	जयप्रकाश पिता राजेन्द्र कलार	भानुप्रतापपुर	81/15	3.384	0.020 हे०	नजुल	500/-
18	अ-68/2014-15	ललीत कुमार शर्मा पिता विजय	भानुप्रतापपुर	145/4	8.532	0.088 हे०	नजुल	800/-
19	अ-68/2014/15	विजय धमेजा पिता गोरेलाल सिन्धी	भानुप्रतापपुर	79	8.094	240 फीट	नजुल	1000/-
20	अ-68/2014-15	श्री एन. सतीस कुमरी पिता मोहन न	भानुप्रतापपुर	145/4	8.532	336 फीट	नजुल	500/-
21	अ-68/2014-15	आनेद जैन पिता रमेशचंद जैन भानुप्र	भानुप्रतापपुर	8/1क	14.128	0.010 हे०	बडे झाड जंग	500/-
22	अ-68/2014-15	गीता शर्मा पति मदनलाल	भानुप्रतापपुर	75	1.740	360 मीटर	नजुल	1500
23	अ-68/2014-15	कमला शर्मा पति विष्णु प्रसाद भानुप्र	भानुप्रतापपुर	75	1.740	260 मी	नजुल	1500
24	अ-68/2014-15	पुष्पा शर्मा पति शंकर ब्राम्हण	भानुप्रतापपुर	75	1.740	360 फीट	नजुल	1500
25	अ-68/2014-15	मोगरा शर्मा पति जगनाथ भानुप्रताप	भानुप्रतापपुर	75	1.740	300 फीट	नजुल	1500
26	अ-68/2014-15	रिपु सुदन शर्मा पति जगनाथ ब्राम्हण	भानुप्रतापपुर	75	1.740	260 फीट	नजुल	1000
27	अ-68/2014-15	रजिन्दर कौर पति स्व.हरजीत भानुप्रत	भानुप्रतापपुर	आर. एफ	आर.एफ	24 फीट	नजुल	1000
28	अ-68/2014-15	उर्मिला दुग्गा पति कन्हैया भानुप्रताप	भानुप्रतापपुर	5/1क	64.08	0.08	बाडे झाड जंग	500/-

22	146/अ-68/2014-15	सविता साहू पति मधुसुदन तेली भानु	भानुप्रतापपुर	64/3क	1.388	0.048	नजूल	4000/-
23	156/अ-68/2014-15	रमोतीन साहू पति गेन्दूलाल तेली भा	भानुप्रतापपुर	64/1	8.038	0.020	नजूल	500
24	162/अ-68/2014-15	श्री अन्दापान बी.ई पिता स्व. पी. एम	भानुप्रतापपुर	79	8.094	450 वर्ग प	नजूल	1000
25	164/अ-68/2014-15	श्रीमती सोगारी पति सोनूराम भानुप्रत	भानुप्रतापपुर	38/1	0.823	0.020 हे०		1000
26	165/अ-68/2014-15	सुमन गुप्ता पति महन्तू	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	0.008	नजूल	500
		वर्ष 2015-16						
1	2/अ-68/2015-16	श्रीमती एन. ईश्वरी पति स्व. एन राम	भानुप्रतापपुर	64/1	1.782	0.040	नजूल	1000/-
2	8/अ-68/2015-16	गोदवारी पति शिवराम गांडा भानबेडा	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.020	नजूल	500/-
3	14/अ-68/2014-15	रजिन्दर कौर पिता हरजीत	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.024	नजूल	3000/-
4	21/अ-68/2015/16	श्री के जे जोश पिता श्री के एम. जो	भानुप्रतापपुर	79	8.094	450 वर्ग प	नजूल	1000
5	28/अ-68/2015-16	भगवती पिता भीलाराम सिन्दी भानुप्रत	भानुप्रतापपुर	145/4	8.532	0.040	नजूल	1000/-
6	30/अ-68/2015-16	संजय कुमार पिता गणेशराम गोड भा	भानुप्रतापपुर	145/4	8.738	0.012	नजूल	500/-
7	44/अ-68/2015-16	चन्द्रशेखर तुरे पिता मोहन महार	भानुप्रतापपुर	145/4	8.535	0.020	नजूल	1000/-
8	45/अ-68/2015/16	मो हनीफ अंसारी पिता अन्सर अली	भानुप्रतापपुर	120/1	3.699	0.018	नजूल	2000/-
9	56/अ-68/2015-16	मनोज सचदेव पिता द्वारिका सिन्दी	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	396 व.फी.	नजूल	
10	58/अ-68/2015-16	सन्तोष कुमार साहू पिता अंगाराम भा	भानुप्रतापपुर	145/4	8.538	0.028	नजूल	2000
11	60/अ-68/2015/16	लेखनराम पिता प्यारेलाल महार भानु	भानुप्रतापपुर	6	0.607	0.007	नजूल	2000
12	62/अ-68/2015/16	राजेश यादव पिता राधेश्याम यादव	भानुप्रतापपुर	38/1	0.823	0.020	नजूल	2000/-
13	72/अ-68/2015-16	गंशान्त कुमार पिता प्यारेलाल महार	भानुप्रतापपुर	6	0.607	0.007	नजूल	1500
14	73/अ-68/2015-16	कालेशवर पिता प्यारेलाल महार	भानुप्रतापपुर	6	0.607	0.007	नजूल	1500
15	78/अ-68/2015-16	एन० राजेश पिता एन० मोहन नाई	भानुप्रतापपुर	145/4	85.38	0.010	नजूल	1500
16	82/अ-68/2015-16	सुशील शर्मा पिता विजय शर्मा	भानुप्रतापपुर	153	1.497	0.020	नजूल	1500
17	86/अ-68/2015-16	किंकरराम पिता गिरधारी देवागांव	भानुप्रतापपुर	152	1.530	0.006	नजूल	700
18	90/अ-68/2015-16	श्रीमती एन रंजीत पति एन० संतोश	भानुप्रतापपुर	145/4	8.532	0.020	नजूल	2000

19	99/अ-68/2015-16	श्रीमती कान्ती नाग पति फागू हल्वा	भानुप्रतापपुर	8/1/क	4.128	0.006	नजूल	1500
20	124/अ-68/2015-16	मनप्रीतसिंह पिता प्रीतम सिक्ख	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	0.016	नजूल	2000
21	129/अ-68/2015-16	मो0 जावेद पिता मो0उरमान	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	0.006	नजूल	1000
22	145/अ-68/2015-16	शिवशंकर देहारी पिता अमरनाथ हल	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	0.030	नजूल	1500
23	152/अ-68/2015-16	महेश कुमार यादव पिता गणेश यादव	भानुप्रतापपुर	81/1/क	2.902	0.036	नजूल	1500
24	140/अ-68/2015-16	मनमीत सिंह पिता प्रीतमसिंह सिक्ख	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	0.004	नजूल	
25	71रुअ-68/2015-16	राजकुमार नेताम पिता कवल गोंड	भानुप्रतापपुर	145/1	7.086	0.040	नजूल	1500
26	160/अ-68/2015-16	सरला टेलरिया पिता नरेश	भानुप्रतापपुर	145/4	8.538	0.026	नजूल	2000
27	172/अ-68/2015-16	चन्दाबाई कदम पति शंकर राव कदम	भानुप्रतापपुर	105	14.33	0.020	नजूल	1500
28	185/अ-68/2015-16	जैतराम पिता सुखराम	भानुप्रतापपुर	5/1क/1	2.902	0.020	नजूल	2000
29	187/अ-68/2015-16	रविन्द्र पिता चन्द्रभान क्षत्रीय	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.020	नजूल	
30	192/अ-68/2015-16	दिनेश कुमार पिता रामलाल ब्राम्हण	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.020	नजूल	5000
31	194/अ-68/2015-16	हरिदास पिता बलहरि पाल	भानुप्रतापपुर	152	0.09	0.020	नजूल	
32	196/अ-68/2015-16	एन0रवि पिता एन0 बिरैया	भानुप्रतापपुर	145/4	0.538	0.008	नजूल	
33	199/अ-68/2015-16	रविन्द्र पिता चन्द्रभान क्षत्रीय	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.09	नजूल	
34	200/अ-68/2015-16	लीला पति प्रवीण सिन्हा	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.008	नजूल	
35	201/अ-68/2015-16	रिषभ जैन पिता रानूलाल	भानुप्रतापपुर	151	0.02	0.02	नजूल	8000
36	203/अ-68/2015-16	फतेचन्द पिता जसराज जैनु	भानुप्रतापपुर	120/1	2.699	0.012	नजूल	
37	218/अ-68/2015-16	अर्जुन चौधरी पिता खिपाराम	भानुप्रतापपुर	64/2	2.699	0.020	नजूल	2500
38	222/अ-68/2015-16	कंचन शर्मा पति दीपक शर्मा ब्राम्हण	भानुप्रतापपुर	120	3.699	0.020	नजूल	2000
39	224/अ-68/2015-16	सत्यनारायण पिता सुरेश पाटी	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.010	नजूल	2000
40	225/अ-68/2015-16	गुलजार सिंह पिता हरभान	भानुप्रतापपुर	152	5.002	0.020	नजूल	
41	228/अ-68/2015-16	रामगोशाई पिता गीतालाल	भानुप्रतापपुर	8/1क	14.128	0.020	नजूल	1500
42	124@v&68@2015&16	मनप्रीत सिंह पिता प्रीतम	भानुप्रतापपुर	11/1	3.617	0.016	नजूल	2000

43	234 / अ-68 / 2015-16	राजदेव पिता हरिषंकर राउत	भानुप्रतापपुर	64 / 1	8.033	0.026	नजूल	5000
44	235 / अ-68 / 2015-16	राजेश कुमार पाण्डे पिता शिवशंकर	भानुप्रतापपुर	77	1.404	0.005	नजूल	
45	238 / अ-68 / 2015-16	अनुप चौधरी पिता खुमाराम	भानुप्रतापपुर	11 / 1	3.617	0.020	नजूल	5000
46	241 / अ-68 / 2015-16	सुरेश जेकब पिता साईमन इसाई	भानुप्रतापपुर	11 / 1	3.617	0.009	नजूल	
47	243 / अ-68 / 2015-16	राजेश कुमार पाण्डे पिता शिवशंकर	भानुप्रतापपुर	77	1.404	0.005	नजूल	
48	251 / अ-68 / 2015-16	तरलोचन पिता मोहन भाटिया	भानुप्रतापपुर	146	0.789	0.020	नजूल	5000
49	261 / अ-68 / 2015-16	टीकाराम पिता दीपाराम शर्मा	भानुप्रतापपुर	64 / 1	8.033	0.020	नजूल	
50	263 / अ-68 / 2015-16	कुन्दन लाल पिता मोहन	भानुप्रतापपुर	11 / 2	0.579	0.018	नजूल	6000
51	263 / अ-68 / 2015-16	प्राणेश चक्रवर्ती पिता उपेन्द्र	भानुप्रतापपुर	81 / 1क	2.902	0.009	नजूल	5000
52	264 / अ-68 / 2015-16	रत्नापाल पति नैनीगोपाल	भानुप्रतापपुर	9	0.227	0.016	नजूल	
53	265 / अ-68 / 2015-16	एम०सी०दास पिता गौरंगचन्द्रदास बं	भानुप्रतापपुर	9	0.227	0.016	नजूल	
54	266 / अ-68 / 2015-16	विरेंद्र नाथ राय पिता रामजनम राय	भानुप्रतापपुर	9	0.227	0.016	नजूल	
55	268 / अ-68 / 2015-16	कुन्तीबाला पति सतनाम	भानुप्रतापपुर	81 / 1क	2.902	0.026	नजूल	5000
56	272 / अ-68 / 2015-16	रूपलता यादव पति दयालू राउत	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.020	नजूल	5000
57	275 / अ-68 / 2015-16	विवेकपाण्डे पिता अभय ब्राम्हण	भानुप्रतापपुर	120 / 1	3.699	0.012	नजूल	1000
58	277 / अ-68 / 2015-16	सोमारी पोया पति तुलसी	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.009	नजूल	
59	278 / अ-68 / 2015-16	मंशाराम पिता धनसिंह गोंड	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.015	नजूल	5000
60	286 / अ-68 / 2015-16	श्रीमती पुष्पाबाई पति शंकरराव	भानुप्रतापपुर	75	1.740	0.010	नजूल	
61	190 / अ-68 / 2015-16	रदीश राज पिता राजप्पन उरवा	भानुप्रतापपुर	5 / 1क / 1	75.734	0.020	नजूल	1500
62	07 / अ-68 / 2015-16	जासन टांडिया पिता सदाराम	भानुप्रतापपुर	151 / 1क	0.024	0.024	नजूल	
63	3 / अ-68 / 2015-16	गुरतेज सिंह पिता अमीतसिंह	भानुप्रतापपुर	362,399	0.18,0.12	0.18,0.12	नजूल	
		वर्ष-2016-17						
1	8 / अ-68 / 2016-17	अध्यम जैन समाज भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	145 / 4	8.538	0.030	नजूल	
2	9 / अ-68 / 2016-17	जुगल गांधी पिता मुरलीधर	भानुप्रतापपुर	79,11 / 1	8.094,0.02	0.1104		

3	13/अ-68/2016-17	हेमन्त सोनी पिता प्रभाकर	भानुप्रतापपुर	81/1क	2.902	0.024		
4	21/अ-68/2016-17	लक्ष्मणजैन पिता रूपसिंग कलार	भानुप्रतापपुर	1,3	1.891	0.104		
5	24/अ-68/2016-17	श्रीमती रेखा मिश्रा पति मंगेश	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.018		
6	25/अ-68/2016-17	सागर आहूजा पिता यशपालसिन्धी	भानुप्रतापपुर	64/1	8.063	0.024	नजूल	5000
7	26/अ-68/2016-17	विकी पिता राजकुमार सिन्धी	भानुप्रतापपुर	64/1	8.063	0.048	नजूल	5000
8	38/अ-68/2016-17	राजेश रंगारे पिता कन्हैया मरार	भानुप्रतापपुर	120/1	3.699	0.016	नजूल	
9	40/अ-68/2016-17	दिलीप कुमार पिता जतीन्द्र	भानुप्रतापपुर	145/1	7.086	0.030	नजूल	10000
10	53/अ-68/2016-17	मगनलाल पिता गुलाब मोची	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.027	नजूल	
11	54/अ-68/2016-17	बिन्दा पति उगमलाल मोची	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.027	नजूल	
12	55/अ-68/2016-17	कंचन मालेकर पति साहेन मोची	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.027	नजूल	
13	56/अ-68/2016-17	रामदयाल पिता अंकालू	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.040	नजूल	
14	57/अ-68/2016-17	मंमता द्विवेदी पति पूणानन्द	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.050	नजूल	
15	58/अ-68/2016-17	झरना बक्शी पति अनिलबक्शी	भानुप्रतापपुर	145/1	8.538	0.030	नजूल	
16	59/अ-68/2016-17	कुमारी बाई पति दूलार गोंड	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.020	नजूल	
17	60/अ-68/2016-17	अंजना कश्यप पिता रामचंद	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.020	नजूल	
18	61/अ-68/2016-17	जगदीश पिता काश्मीर सिक्ख	भानुप्रतापपुर	81/1क	2.900	0.011	नजूल	
19	62/अ-68/2016-17	मुकेश जैन पिता नेमीचंद जैन	भानुप्रतापपुर	120	3.099	0.007	नजूल	
20	63/अ-68/2016-17	अमृतलाल जैन पिता नेमीचंद	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.016	नजूल	
21	64/अ-68/2016-17	राकेश जैन पिता नेमीचंद	भानुप्रतापपुर	146	0.789	0.024	नजूल	
22	65/अ-68/2016-17	प्रमोद जैन पिता नेमीचंद जैन	भानुप्रतापपुर	146	0.789	0.024	नजूल	
23	66/अ-68/2016-17	धनेश्वरी मरकाम पति ललीत	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.012	नजूल	
24	67/अ-68/2016-17	नरेश जैन पिता कन्हैयालाल	भानुप्रतापपुर	120/10	3.699	0.010	नजूल	
25	68/अ-68/2016-17	संतोष कुमार पिता कन्हैयालाल	भानुप्रतापपुर	152	0.020	0.020	नजूल	
26	69/अ-68/2016-17	नितिन रंगारी पिता आरके रंगारी	भानुप्रतापपुर	168	3.415	0.020	नजूल	
27	70/अ-68/2016-17	हरप्रीत कौर पिता निर्मलसिंह	भानुप्रतापपुर	120/1	3.699	0.010	नजूल	
28	71/अ-68/2016-17	पुष्पा सिन्हा पिता हजारीराम	भानुप्रतापपुर	163	0.567	0.005	पानीके नीचे	
29	72/अ-68/2016-17	अम्बा सिन्हा पति हजारीराम	भानुप्रतापपुर	163	0.567	0.012	पानीके नीचे	
30	73/अ-68/2016-17	जासन टांडिया पिता सदाराम	भानुप्रतापपुर	64/3	1.382	0.012	घरागन	
31	74/अ-68/2016-17	नरेश शिवनानी पिता हरिश	भानुप्रतापपुर	79	8.094	0.012	नजूल	
32	75/अ-68/2016-17	नीता यादव पिता विष्णुयादव	भानुप्रतापपुर	81/1क	2.902	0.032	नजूल	
33	76/अ-68/2016-17	नान्दू आइस पिता कलाचंद	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.012	नजूल	
34	77/अ-68/2016-17	दशमता साहू पति पुनीतराम	भानुप्रतापपुर	64/1	8.033	0.016	नजूल	
35	78/अ-68/2016-17	नरेश नवलानी पिता गोपाल	भानुप्रतापपुर	11/1	3.817	0.008	नजूल	
36	79/अ-68/2016-17	मुकेश शर्मा पिता श्यामलाल	भानुप्रतापपुर	64/1	8.330	0.012	नजूल	

3.242E.

वर्ष प्रकटा क्रमांक

2014-15 - 26

2015-16 - 63

2016-17 - 36

योग 125 प्रकटा

13/17

भानुप्रतापपुर

नरेश शिवनानी

भानुप्रतापपुर

परिशिष्ट "बयालीस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 2666) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र हेतु वार्षिक बजट में स्वीकृत सड़कें

क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ
1	2	3	4
वर्ष 2014-15			
1	खैरागढ़ में बायपास मार्ग का निर्माण लंबाई 4.95 कि.मी.	3116.10	अप्रारंभ
वर्ष 2015-16			
1	जिला राजनांदगांव के बिजलदेही से पाण्डुका मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी.	242.80	पूर्ण
वर्ष 2016-17			
1	शास. हा.से. टोलागाँव, गातापारकला, मदिराकुही, हाईस्कूल ईटार, अचानकपुर नवागांव, कुरूभाठ, मड़ौदा, सिविल कोर्ट खैरागढ़ डाईट हास्टल भवन खैरागढ़, भवन के पहुँच मार्ग का निर्माण (09 भवन)	19.76	प्रगति
2	शास. हा.से. जालबांधा, बाजार अतरिया, पांडादाह, हाईस्कूल कामठा, बैहाटोला, गाड़ाघाट, दिलीपपुर, बफरा, उपस्वास्थ्य केन्द्र गातापार (जंगल) भवन के पहुँच मार्ग का निर्माण (09 भवन)	19.28	प्रगति
3	प्रा.स्वा.के. छुईखदान, सालहेवारा, पुराना न्यायालय भवन छुईखदान, हाईस्कूल ढाबा, हा.से.स्कूल पैलीमेटा भवन के पहुँच मार्ग का निर्माण (05 भवन)	18.91	पूर्ण
4	उपस्वास्थ्य केन्द्र भुरभुसी, समनापुर, गोपालपुर, ठाकुरटोला, भोथली, आई.टी.आई. भवन छुईखदान, एवं गंडई महाविद्यालय भवन के पहुँच मार्ग का निर्माण (07 भवन)	18.91	पूर्ण

क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ
1	2	3	4
5	प्राथ.स्वा.के. पैलीमेटा, गातापारनाका, उपस्वास्थ्य केन्द्र सरईपतेरा, बीरुटोला, बुंदेली, शास. कन्या हा.से.स्कूल छुईखदान, के पहुँच मार्ग का निर्माण (06 भवन)	18.82	पूर्ण
6	शा.हा.से. छुईखदान, बुंदेली, जंगलपुर, बकरकट्टा, साल्हेवारा, प्राथ. स्वा. के. पेडरवानी, बकरकट्टा भवन के पहुँच मार्ग का निर्माण (07 भवन)	18.15	पूर्ण
7	तहसील कार्या. छुईखदान, गण्डई, हाईस्कूल ठाकुरटोला, जंगलपुर, कुम्हरवाड़ा, कुटेलीकला, हा.से. बुर, उपस्वास्थ्य केन्द्र तेन्दुभाठा (उदान) आदिवासी बालक छात्रावास गण्डई का पहुँच मार्ग का निर्माण (09 भवन)	19.58	अप्रारंभ
8	हाईस्कूल कंटगी, उपस्वास्थ्य केन्द्र देवपुरा, दनिया में पहुँच मार्ग का निर्माण (03 भवन)	18.82	अप्रारंभ
9	हाईस्कूल संडी, कुटेलीखुर्द, उदान, पदमावतीपुर, उदयपुर, ठंडार, सुखरी, पेण्डरवानी, कोपरो, उपस्वास्थ्य केन्द्र कंटगी में पहुँच मार्ग का निर्माण (10 भवन)	18.91	अप्रारंभ
10	हाईस्कूल रामपुर, मोहगांव, आमगांव, गातापारनाका, खुड़मुड़ी, शास. कन्या हा.से. गण्डई महाविद्यालय साल्हेवारा का पहुँच मार्ग का निर्माण (07 भवन)	19.77	अप्रारंभ
11	साल्हेवारा कालेज पहुँच मार्ग	4.45	अप्रारंभ

क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ
1	2	3	4
12	हाईस्कूल चंदैनी, अनु.अधि. राजस्व कार्या., हाईस्कूल कौचरी, पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी हा.से. स्कूल लोनिवि. विश्रामगृह, हाईस्कूल विक्रमपुर, पुलिस थाना गातापार (जंगल) पहुँच मार्ग का निर्माण (07 भवन)	19.93	अप्रारंभ
योग :- 12 कार्य		215.29	04 कार्य पूर्ण 02 प्रगति पर 06 अप्रारंभ
कुल 14 कार्य		3574.19	05 कार्य पूर्ण 02 कार्य प्रगति पर 07 अप्रारंभ

परिशिष्ट "तिरालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2668) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में बजट में स्वीकृत राशि

क्र.	वर्ष	मार्ग का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ)
1	2	3	4
1	2014-15	निरंक	
2	2015-16	छुरियाडोंगरी टिपानगढ़ महाराष्ट्र बार्डर मार्ग का निर्माण किमी. 2/2 से 4/6 = 2.60 किमी.	प्रगति पर
3	2016-17 (जनवरी 2017 तक)	चिचोला-छुरिया-कल्लूबंजारी से महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग लंबाई 25.006 कि. मी. पुल-पुलिया सहित (खुज्जी एवं मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त)	प्रगति पर
4		चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला से महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग लंबाई - 22.212 कि.मी. पुल-पुलिया सहित (खुज्जी एवं मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त)	प्रगति पर
		योग :-	